प्रकाशक :
अ. वा. सहस्त्रबुद्धे
मंत्री, अ. भा. चरखा संघ, सेवाग्राम,
वर्धा, मध्यप्रदेश

पांचवी बार—१०००, अगस्त, १९५२
मूल्य आठ आना

मुद्रक :
अ. ठा. नाणावटी
हिन्दुस्तानी छापघर, वर्धा

पाँचवां संस्करण

खादी-केन्द्र-सूची का यह पाँचवां संस्करण, जो कि १ जुलाअी १९५२ से ३० जून १९५३ के लिये अधिकृत है, प्रकाशित किया जा रहा है।

चारों संस्करणों की अधिकतर सब बातें अिस संस्करण में कायम रखी हैं। पिछले संस्करण में बहुत थोड़ी संस्थाओं के भाव-पत्रक दिये गये थे, अिस संस्करण में मुख्य-मुख्य सभी प्रमाणित संस्थाओं के भावपत्रक आ गये हैं। परिशिष्ट का प्रकरण नया बढ़ाया गया है और अुसमें प्रमाणपत्र के नियम, अर्जी फार्म, अेजन्सी नियम, संस्थाओं के लिये विधान का मसविदा आदि प्रमाणितों के लिये आवश्यक बातें दी गयी हैं। खादी केन्द्र सूची को खादी की संस्थाओं की 'गाअिडबुक' बनाने का हमारा अुद्देश्य है और अुस दृष्टि से हमने अिस संस्करण को परिपूर्ण बनाने की कोशिश की है।

पिछले वर्ष की कुछ प्रमाणित संस्थाअें अिस वर्ष प्रमाणित नहीं रही हैं। आन्ध्र की 'पटेरू खादी वीवर्स को-आपरेटिव सेल सोसायटी' तथा नाग-विदर्भ की 'ग्राम सहकारी सोसायटी सिंदेवाही' को प्रमाणपत्र नहीं दिये गये हैं। अुड़ीसा की अुत्कल खादी मंडल, बरीकटक, तथा गुजरात की मलाडा, धारी तथा वीरनगर और महाकोशल की मोहझरी की संस्थाअें केवल वस्त्र-स्वावलंबन का काम करती हैं, अिसलिये अुन्होंने अिस वर्ष प्रमाणपत्र नहीं लिया है, जरूरत भी नहीं है। श्रीनगर की 'मटका टेक्स्टाअिल अिंडस्ट्री' ने भी अभी तक प्रमाणपत्र नहीं लिया है। अिसके अलावा 'कर्नाटक खादी और रूरल अिंडस्ट्रीज असोसिअेशन, रोण,' 'गांधीधाम खादी भंडार, आदिपुर' 'महात्मा खादी सहकारी मंडली, अक्कलकोट' 'खादी भंडार, वाअी' और 'शेंदुर्णी' तथा 'मेवाड़ खादी समिति, अुदयपुर' अिन संस्थाओं ने काम के अभाव में अिस वर्ष प्रमाणपत्र नहीं लिया है।

नया प्रमाणपत्र लेनेवालों में, 'सौराष्ट्र रचनात्मक समिति, राजकोट' 'बांबे विलेज अिंडस्ट्रीज कमेटी, बंबअी' 'खादी प्रतिष्ठान, सोदपुर' तथा 'संयुक्त खादी मंडल, पटना' के नाम विशेष अुल्लेखनीय हैं। अिनके अलावा बकों (आसाम) बहादराबाद (अु. प्र.), जम्मू (काश्मीर), राजपुरा तथा अंबाला (पंजाब), तमलुक

तथा सोनामुखी (बंगाल), पंढरपुर (महाराष्ट्र), और कारंजा तथा आमगांव (नाग-विदर्भ) की संस्थाअें अिस वर्ष नयी प्रमाणित हुअी हैं।

गत वर्ष केन्द्रीय सरकार ने दो लाख रुपये चरखा संघ की सलाह से प्रमाणितों में वितरण करने के लिअे संघ के सुपुर्द किये। खादी काम का विस्तार देखते हुअे यह रकम नगण्य सी है यह बात संघ ने साफ़ तौर पर सरकार की नजर में ला दी थी। अिस रकम का वितरण अुत्पत्ति के लिअे अधिक से अधिक २,००० रु. बिक्री के लिअे १,००० रु. और वस्त्रस्वावलंबन के लिअे १,००० रु. प्रति संस्था के हिसाब से प्रमाणितों में किया गया है।

खादीकाम को अिस वक्त बहुत नाज़ुक परिस्थिति में से गुजरना पड़ रहा है। बिक्री मंद हो गयी है और अिसलिअे जगह-जगह खादी के स्टॉक बढ़ गये हैं। अुत्पत्ति केन्द्रों में गरीब कत्तिनों का काम बंद करना पड़ रहा है और हजारों की तादाद में कत्तिनें बेकार बन रही हैं। स्वदेशी शासन होते हुअे भी जब यह कठिन परिस्थिति खड़ी होती है तो व्याकुलता बढ़ती है।

दूसरी ओर रुअी के बाजारभाव अेका-अेक फीसदी चालीस प्रतिशत तक गिर जाने से कअी संस्थाओं को काफ़ी नुकसान अुठाना पड़ रहा है। अिस विपरीत परिस्थिति में भी जिस धीरज और हिंमत से अनेक संस्थाअें अपना काम चला रही हैं, यह देखते हुअे वे धन्यवाद की पात्र हैं।

सेवाग्राम (वर्धा)
ता. १-९-१९५२

द्वारकानाथ लेले
सहायक मंत्री,
अखिल भारत चरखा संघ

सुधार

केन्द्र सूची छपते-छपते नीचे लिखे परिवर्तन हुअे हैं:—

अ. भा. चरखा संघ, कांग्रेस खादी भंडार, पूना तथा खादी भंडार, ३९४ कालबादेवी रोड, बम्बअी ये दोनों भंडार बंद कर देने का निर्णय हुआ है।

अ. भा. चरखा संघ, तंजोर विभाग का विभाग-कार्यालय कुंबकोणम् से बदल कर त्रिचिनापल्ली को चला गया है। अुसका पता अिस तरह है:—

A. I. S. A. Tanjore Vibhag, 104, Salai Road, Woriur P. O., Trichinopoly S. I.

अनुक्रमणिका

नयी प्रमाणित संस्थाअें :—

(५२ व) मढी विभाग विविध कार्यकारी आपचल सहकारी मंडल लि०
मु० बांसकुअी, पो. मढी, जिला-सूरत, गुजरात ।

(८९ व) हाजीपुर प्रोड्यूसर्स अेण्ड कन्झ्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाअिटी लि०
ठि. पो. हाजीपुर, जि. मुझफ्फरपुर, बिहार ।

पता-सुधार :—

पृष्ठ ५/३२ अ. भा. चरखा संघ, कताअी मंडल विभाग,
मकान नं. वी-६—३१२, सुलतान बाजार, हैदराबाद (दक्षिण)।

वर्णानुक्रम सूची

(केन्द्र नाम के आगे दिये हुअे आंकडे पृष्ठ के और अुनके सामने डॅश देकर दिये हुये आंकडे क्रमांक के हैं।)

(फ)

(व)

श

स

(ह)

अखिल भारत चरखा संघ

खादी-केंद्र-सूची

शाखाओं तथा विभागों के मुख्य कार्यालय

(1) आंध्र

1. अखिल भारत चरखा संघ कृष्णा विभाग ठि. पो. मछलीपट्नम् Masulipatam, S. Rly. दक्षिण भारत
2. अ. भा. च. संघ गोदावरी विभाग, ठि पो. काकिनाडा Kakinada S. Rly. (द. भा.)
3. अ. भा. च. संघ नेल्लोर विभाग, ठि. पो. ट्रंक रोड, नेल्लोर Nellore S. Rly. (द. भा.)
4. अ. भा. च. संघ तेनाली विभाग, ठि. पो. तेनाली Tenali, जि. गुंटूर Guntur, S. Rly. (द. भा.)
5. अ. भा. च. संघ श्रीकाकुलम् विभाग, ठि. पो. श्रीकाकुलम् Srikakulam (चिकाकोल Chicacole) Eastern Rly.

(2) उत्तर प्रदेश

6. अ. भा. च. संघ केन्द्र, ठि. हिरासपट्टी, पो. मधुवन Madhuban, जि. आजमगढ, उ. प्र.

(3) कर्नाटक

7. अ. भा. च. संघ हुबली विभाग ठि. पो. हुबली Hubli, S. जि. धारवाड Dharwar

ता. 1-7-52 से 30-6-53 तक के लिये अधिकृत

8. अ. भा. च. संघ कल्हाल विभाग, ठि. कल्हाल Kalhal, पो. नरगुंद Nargund, जि. धारवाड Dharwar, S. R.

9. अ. भा. च. संघ कलादगी विभाग, ठि. पो. कलादगी Kaladgi जि. विजापुर Bijapur, S. R.

10. अ. भा. च. संघ दक्षिण कर्नाटक विभाग, ठि. पो. चिकमगलूर Chikmagalur, S. R. म्हैसूर राज्य Mysore State

(4) काश्मीर

11. अ. भा. च. संघ काश्मीर विभाग, ठि. पो. श्रीनगर Srinagar, काश्मीर राज्य Kashmir State, तार—Khadi Shop, फोन–294

(5) केरल

12. अ. भा. च. संघ पालघाट विभाग, ठि. पो. पालघाट Palghat, S. Rly. मलबार Malabar । तार Charkha Sangh, Palghat

13. अ. भा. च. संघ कोझीकोड विभाग, ठि. गांधी आश्रम, पो. अेरानीपालम Eranhipalam, S. R., जि. काझीकोड—6 Kozhikode—6, दक्षिण मलबार South Malabar

14. अ. भा. च. संघ नागरकाअिल विभाग, ठि. पॅलेस रोड Palace Road पो. नागरकाअिल Nagercoil, त्रावणकोर Travancore

15. दक्षिण भारत खादी कला शाला, ठि. पारंबा Paramba, पो. अमरमूबलम् Amarambalam, वाया नीलंबूर Nilambur, मलबार Malabar

(6) गुजरात

16. अ. भा. च. संघ गुजरात शाखा, ठि. स्वराज्य आश्रम, पो. बारडोली Bardoli, T. V. R., जि० सूरत Surat (कार्य विभाग—
1. वस्त्र स्वावलंबन, 2. कताई मण्डल, 3. प्रमाण-पत्र 4. खादी सरंजाम)

17. अ. भा. च. संघ केन्द्र, गणदेवी रोड, पो. बिलीमोरा Bilimora, W. Rly. जि. सूरत

(7) तामिलनाड

18. अ. भा. च. संघ तंजोर विभाग, ठि. West Kadalangudi पो. कुंभकोणम् Kumbakonam S. R., जि तंजोर Tanjore

19. अ. भा. च. संघ तिरुनेलवेल्ली विभाग, ठि. पो. कोविलपट्टी Koilpatti, S. R., जि. तिरुनेलवेल्ली Tirunelveli

20. अ. भा. च. संघ तिरुपुर विभाग, ठि. गांधी नगर, पो. तिरुपुर Tirupur S. R., जि. कोयम्बुतूर Coimbatore, तार—Vastralaya, फोन-Gandhi Nagar—62, Central Vastralaya—55

21. अ. भा. च. संघ मदुरा रामनद विभाग, East Avanimoola Street ठि. पो. मदुरै Madurai S. R.

22. अ. भा. च. संघ मद्रास विभाग, खादी भंडार, 65-66, राटन बाजार, Rattan Bazar मद्रास-3 Madras-3, फोन-4678

(8) पंजाब

23. अ. भा. च. संघ पंजाब शाखा, ठि. पो. आदमपुर-द्वाबा Adampur-Doaba, जि. जलंधर Jullundur, रे. स्टे. खुर्दपुर Khurdpur E. P. R., तार Secretary Charkha Sangh.

(9) बंगाल

24. अ. भा. चरखा संघ वस्त्रस्वावलंबन केंद्र, ठि. बारिदा Barida. पो. गढहरिपुर Garh-Haripur, जि. मिदनापुर Midnapur पश्चिम बंगाल तार- Egra Po., R. S. Contai Road E. R.

(10) बिहार

25. अ. भा. चरखा संघ समग्र विद्यालय, खादीग्राम, पो. मलेपुर Mallehpur, जि. मुंगेर, बिहार

(11) महाराष्ट्र

26. अ. भा. च. संघ वस्त्रस्वावलंबन केंद्र, 394 कालबादेवी रोड, बंबई-2 Bombay-2, C. R. & W. R, फोन—31246

27. अ. भा. च. संघ पूना विभाग, कॉंग्रेस खादी भांडार, बुधवार चौक, पूना-2 Poona-2, C. R.

28. अ. भा. च. संघ नागविदर्भ विभाग, ठि. पो. मूल Mul, जि. चांदा Chanda म. प्र., रेल्वे स्टेशन-मूलमरोडा Mul-Maroda, E. R.

(12) महाकोशल

29. अ. भा. च संघ छत्तिसगढ विभाग, ठि. पो. कुरा Kurra, जि. रायपुर Raipur, म. प्र.

(13) राजस्थान

30. अ. भा. च. संघ राजस्थान शाखा, ठि. पो. गोविंदगढ़-मलिकपुर Govindgarh-Malikpur, जि. जयपुर Jaipur, R. V. R., तार—Khadi-Bhandar

(14) सेवाग्राम

31. अ. भा. च. संघ, प्रधान कार्यालय, ठि. पो. सेवाग्राम Sevagram, वाया वर्धा Wardha, रे. स्टे. वर्धा Wardha C. R. फोन-35

(15) हैदराबाद

32. अ. भा. च. संघ कताई मंडल विभाग, C/o खादी कंझ्यूमर्स को-आपरेटिव सोसायटी लि० खादी भंडार, सुलतान बाजार, पो. हैदराबाद (दक्षिण) Hyderabad Dn.

शाखाओं तथा विभागों के उत्पत्ति-बिक्री केन्द्र

आन्ध्र शाखा

(विभाग—कृष्णा, तेनाली, नेल्लोर, गोदावरी, श्रीकाकुलम्)

(1) कृष्णा विभाग

विभाग कार्यालय— ठि. पो. मछलीपट्नम् Masulipatam S. R.

उत्पत्ति केन्द्र

1. खादी कार्यालय, ठि. पो. कुरुमद्दाली Kurumaddali, Via—पामर्रु Pamarru, जि. किस्टना Kistna, S. R.
2. ,, ठि. पो. मछलीपट्नम् Masulipatam, जि. किस्टना Kistna S. R.

बिक्री केन्द्र

3. खादी भंडार, पो. विजयवाडा Vijayawada, जि. किस्टना Kistna, S. R.

खादी एजन्सियां

4. श्री. रा. कृष्णमूर्ति, ठि. पो. विजयवाडा Vijayawada, जि. किस्टना Kistna S. R.
5. श्री. मल्लिपाड्डि अंबारिशुड्डु, ठि. पो. कोडुर Kodur, दिवी तालुक, किस्टना जिला Kistna Dist. S. R.

(2) तेनाली विभाग

विभाग कार्यालय--ठि. पो तेनाली Tenali जि. गुंटूर Guntur S. R

बिक्री केन्द्र

1. खादी कार्यालय, पो. तेनाली Tenali, जि. गुंटूर Guntur, S. R.

खादी एजन्सियां

2. श्री. सीतारामय्या, ठि. राविकंपाडु Ravikampadu, पो. कोल्लूर Kollur, जि. गुंटूर Guntur
3. ,, पु. वेंकय्या, ठि. आलपाडु Alapadu, पो. तेनाली Tenali, जि. गुंटूर Guntur
4. ,, के. तुलसम्मा, मंत्री, कताई मंडल, ठि. पो. पेदारावूर Pedaravur, तालुक तेनाली
5. ,, वी. नारायण, मंत्री, कताई मंडल, ठि. पो. बोब्बरलंका Bobbaralanka, ताल्लुक रेपल्ली, जि. गुंटूर

(3) नेल्लोर विभाग

विभाग कार्यालय—ट्रंक रोड़, नेल्लोर Nellore S. R.

उत्पत्ति केन्द्र

1. खादी कार्यालय, ठि. पो. कंदुकूरु Kandukuru, जि. नेल्लोर Nellore S. R.
2. ,, ठि. पो. पेदारिकट्ला Pedarikatla, via-Podili पोडिलि, जि. नेल्लोर Nellore, S. R.
3. ,, ठि. पो. पेद्दअलवलपाडु Peddalavalapadu, जि. नेल्लोर Nellore, S. R.
4. ,, ठि. पो. गुडूरू Gudur, वाया कर्नूल Kurnool, C. R,

विक्री केन्द्र

5. खादी भंडार, पो: नेल्लोर Nellore, जि. नेल्लोर Nellore, S R.

खादी अेजंसियाँ

6. श्री. नक्का रंगनायकम्मा, पो. गूडूरु Gudur, जि. नेल्लोर, Nellore
7. कताई मंडल, ठि. पो. पेदारिकटला Pedarikatla, ता. पोदिली Podili, जि. नेल्लोर, Nellore, S. R.
8. ,, ठि. पो. चेन्नूर Chennur, व्हाया गुडूरु Gudur, जि. नेल्लोर, Nellore, S. R.

(4) गोदावरी विभाग

विभाग कार्यालय–ठि. पो. काकिनाडा Kakinada, S. R.

उत्पत्ति केन्द्र

1. खादी कार्यालय, ठि. पो. नरसपट्नम् Narasapatnam, जि. विशाखपट्नम् Visakhapatnam, E. R.
2. ,, ठि. पो. तुनी Tuni, जि. पूर्व गोदावरी East Godavari, S. R.
3. ,, पिठापुरम Pithapuram, जि. पूर्व गोदावरी East Godavari, S. R,
4. ,, ठि. पो. कोटानंदूरु Kotananduru, Via–तुनी Tuni जि. पूर्व गोदावरी East Godavari, S. R.

बिक्री केन्द्र

5. खादी भंडार, पो. राजहमंद्री Rajahmundry, जि. पूर्व गोदावरी East Godavari S. R.
6. ,, पो. काकिनाडा Kakinada, जि. पूर्व गोदावरी East Godavari, S. R.

खादी एजन्सियां

7. श्री. वी. सत्यनारायण, पो. अमलापुरम Amalapuram,
   जि. पूर्वगोदावरी East Godavari S. R.

8. ,, च. सुशीलम्मा, पो. निडदवोलू Nidadavolu, जि पश्चिम गोदावरी West Godavari, S. R.

9. ,, आर. करिपटोमड्डु, ठि. पो. वेमुलापुडि Vemulapudi,
   जि. विशाखपट्नम्.

10. ,, जी. तिमय्या, ठि. पो. कोताकोटा Kothakota
   जि. विशाखपट्नम्

(5) श्रीकाकुलम विभाग

विभाग कार्यालय–ठि. पो. श्रीकाकुलम Srikakulam E. R.

उत्पत्ति केन्द्र

1. खादी कार्यालय. ठि. पो. चिकाकोल Chicacole, जि. श्रीकाकुलम
   Srikakulam; Srikakulam Road R. S.

2. ,, ठि. पो. बोंतलकोडुरु Bonthala Koduru; Via चिकाकोल, जि. विशाखपट्नम् Visakhapatnam, E. R.

3. ,, ठि. पो. वैरिसिंगुपुरम् Bairisingupuram,
   वाया आमदालवलस Amadalavalaso
   जि. विशाखपट्नम् Visakhapatnam, E. R.

कर्नाटक शाखा

(विभाग—कलादगी, कल्हाल, गुलेद्गोसुर, दक्षिण कर्नाटक, हुबली)

(6) कलादगी विभाग

विभाग कार्यालय—ठि. पो. कलादगी Kaladgi, जि. बिजापुर S R.

1. अ. भा. च. संघ, खादी केन्द्र ठि. पो. कलादगी Kaladgi,
   जि. बिजापुर Bijapur S. R.

2. अ. भा. च. संघ, खादी केन्द्र, ठि. पो. गलगली Galgali जि. विजापुर
3. अ. भा. च. संघ, खादी भांडार, ठि. पो. विजापुर Bijapur, जि. विजापुर

(7) कल्हाळ विभाग

विभाग कार्यालय--ठि. कल्हाल Kalhal, पो. नरगुंद Nargund,
जि. धारवाड S. R.

1. अ. भा. च. संघ, खादी केंद्र ठि. कल्हाल Kalhal, पो. नरगुंद Naragund जि. धारवाड Dharwar
2. ,, खादी केंद्र, ठि. पो. केरूर Kerur, जि. विजापुर
3. अ. भा. च. संघ, खादी भांडार, ठि. पो. गदग Gadag, जि. धारवाड

(8) गुर्लहोसूर विभाग

विभाग कार्यालय—ठि. पो. गुर्लहोसुर Gurlhosur, जि. बेलगांव

1. अ. भा. च. संघ, खादी केंद्र ठि. पो. गुर्लहोसूर Gurlhosur, जि. बेलगांव
2. अ. भा. च. संघ, खादी वस्त्रालय, ठि. पो. बेलगांव Belgaum, जि. बेलगांव
3. अ. भा. च. संघ खादी भांडार, ठि. पो. निप्पानी, Nipani, जि. बेलगांव

(9) दक्षिण कर्नाटक विभाग

विभाग कार्यालय—ठि. पो. चिकमगलूर Chikmagalur, मैसूर राज्य

1. अ. भा. च. संघ, खादी भांडार, ठि. पो. चिकमगलूर Chikmagalur मैसूर रियासत Mysore State
2. अ. भा. च. संघ, खादी भांडार, किला Fort, बेंगलोर सिटी., Bengalore City (मैसूर रियासत Mysore State)

(10) हुबली विभाग

विभाग कार्यालय—ठि. पो. हुबली Hubli, जि. धारवाड S. R.

1. अ. भा. च. संघ, खादी केंद्र, ठि. पो. उप्पिनबेटगेरी Uppanbetgere जि. धारवाड Dharwar
2. अ. भा. च. संघ, खादी केंद्र ठि. पो. मोरब Morab, जि. धारवाड
3. अ. भा. च. संघ, खादी भांडार, ठि. पो. धारवाड Dharwar, जि. धारवाड
4. ,, खादी भांडार, ठि. पो. हुबली Hubli, जि. धारवाड

वस्त्रस्वावलंबन केन्द्र

1. वस्त्रस्वावलंबन केंद्र, कल्हाळ Kalhal, पो. नरगुंद Nargund, जि. विजापुर Bijapur
2. ,, ठि. पो. गदग Garag, जि. धारवाड Dharwar
3. ,, ठि. अगसरकोप Agasarkop, पो. करूर Karur जि. विजापुर
4. ,, ठि. पो. अमरगोल Amargol, ता. नवलगुंद Navalgund जि. धारवाड Dharwar
5. ,, ठि. सौंशी Sounshi, पो. कलादगी Kaladgi, जि. विजापुर Bijapur
6. ,, ठि. अनावल Anawal, पो. कलादगी Kaladgi, जि. विजापुर
7. ,, ठि. अचमत्ति Achamatti, पो. नरगुंद Nargund जि. धारवाड Dharwar
8. ,, ठि. पो. डोड्डवाड Doddawad, ता. बेलहोंगल, जि. बेलगांव

खादी एजेंसियाँ

9. श्री सिद्दप्पा मालवाद, पो. बागलकोट Bagalkot जि. विजापुर Bijapur S. R.

10. श्री महारुद्रप्पा उडगट्टी, पो. रानीबेनूर Ranibennur, जि. धारवाड Dharwar S. R.

11. ,, मलप्पा होसमणी, पो. हावेरी Haveri, जि. धारवाड ,,

12. ,, अे. आर. देशपांडे, पो. आक्किअलूर Akkialur, जि. धारवाड Dharwar ,,

13. ,, अप्पन्ना पाटील, पो. संकेश्वर Sankeshwar, जि. बेळगांव ,,

14. श्री वीरप्पा रेशमी, स्वदेशी वस्तु भंडार, पो. बैलहोंगल Bialhongal, जि. बेळगांव Belgaum. ,,

15. ,, हरिनागप्पा किनी, पो. सिर्सी Sirsi, जि. उत्तर कानडा ,,

16. ,, अमरावतीबाअी पै, पो. कारवार Karwar, जि. उत्तर कानडा North Kanara ,,

17. ,, कालगणी शिवरुद्रप्पा, पो. बेल्लारी Bellary, जि. उत्तर कानडा North Kanara

18. ,, श्री अेस. आर. खिनामदार, पो. हरपनहल्ली Harpanhalli, जि. बेल्लारी Bellary ,,

19. ,, मरिस्वामैय्या मयाड, पो. नारायणदेवरकेरी Narayan-devarakere, जि. बेल्लारी Bellary ,,

20. ,, के. अेस. सिद्दप्पा, नवभारत खादी निलय, पो. दावनगिरी Davangere, Mysore State मैसूर राज्य ,,

21. मैसूर चरखा प्रचार संघ, पो. चित्तलदुर्ग Chitaldroog ,, ,,

22. ,, ,, पो. तिर्थहळ्ळी Tirthahalli ,, ,,

23. ,, ,, पो. अरसीकेरी Arsekere ,, ,,

24. ,, ,, पो. शिमोगा Shimoga ,, ,,

25. श्री. वी. के. सुबैय्या, पो. Hassan हसन ,, ,,

26. श्री. अेम्. नीलकंठराव, पो. टुमकुर Tumkur मैसूर राज्य S. R.
27. ,, अेच. सेनापती गौडा पो. अनवत्ती Anavatti
जि. शिमोगा Shimoga ,, ,,
28. खद्दर कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ठि. पो. मैसूर Mysore, ,, ,,
29. कूर्ग खादी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, पो. पुनामपेट Ponnampeth
कूर्ग Coorg ,,
30. खादी लवर्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, पो. शिमोगा Shimoga,
Mysore State ,,

काश्मीर विभाग

(11) काश्मीर

विभाग कार्यालय—ठि. पो. श्रीनगर Srinagar, काश्मीर राज्य

अुत्पत्ति केंद्र

1. अ. भा. च. संघ पश्मीना उत्पत्ति केन्द्र ठि. पो. श्रीनगर
Srinagar, Kashmir State
2. अ. भा. च. संघ ऊनी उत्पत्ति केन्द्र, ठि. पो. पामपुर
Pampur, Kashmir State
3. ,, कताओी केन्द्र, ठि. पो. अनन्तनाग Anantnag, Kashmir
4. ,, कताओी केन्द्र, ठि. पो. कुलगाम Kulgam, Kashmir
5. ,, ,, ठि. पो. शोपयान Shopian, Kashmir State

विक्री केन्द्र

6. अ. भा. च. संघ विक्री भंडार, हरिसिंह हायस्ट्रीट, अमीराकदल, पो. श्रीनगर
Shrinagar, Kashmir State
7. ,, ठि. पो. पहलगाम Pahalgam, Kashmir State

केरल विभाग

(12) केरल शाखा

(विभाग — पालघाट, कोझीकोड, नागर कॉइल)

उत्पत्ति केन्द्र

1. खादी वस्त्रालय ठि. पो. तिरूर Tirur, South Malabar S. Rly.
2. ,, रामनाथपुरम् Ramnathapuram, पो. पालघाट Palghat South Malabar S. Rly.
3. ,, ठि. पो. आलथूर Alathur, South Malabar ,,
4. ,, ठि. पो. शेर्तल्लाअी Shertallai, Travancore & Cochin
5. ,, ठि. अेरानील Eraniel, पो. नेय्यूर Neyyoor. ,, ,,
6. ,, ठि. पॅलेस रोड, Palace Road पो. नागरकॉअील Nagercoil त्रावणकोर Travancore
7. खादी वस्त्रालय, ठि. पुतलम Puthalom, पो. सुचिन्द्रम् Suchindrum, दक्षिण त्रावणकोर South Travancore.

सूत केंद्र

8. सूत केंद्र ठि. पो. पूविय्यूर Pooviyoor, जि. अगस्तीश्वरम् Agasteeswaram, via-Nagercoil त्रावणकोर Travancore

वस्त्रस्वावलंबन केंद्र

9. वस्त्रस्वावलंबन केंद्र ठि. पो. कोट्टारम् Kottaram, वाया नागरकॉअील Nagercoil, S. R. out Agency
10. ,, ठि. पो. ओट्टापालम् Ottapalam, South Malabar S. Rly.

11. वस्त्रस्वावलंबन केंद्र ठि. कुझिथुरा Kuzhithura, पो. मार्तंडम् Marthandam
12. ,, ठि. पो. कुलशेखरम् Kulasekharam ता. काल्कुलम् Kalkulam, दक्षिण त्रावणकोर South Travancore
13. ,, ठि. पो. पोन्नानी Ponnani, South Malabar.

बिक्री केंद्र

14. खादी भंडार, सुलतानपेठ Sultanpeth, पो. पालघाट Palghat S. R
15. ,, पो. ट्रिच्यूर Trichur, Travancore Cochin State
16. ,, पो. अर्नाकुलम Ernakulam ,,
17. ,, पो. अलेप्पी Alleppey ,, ,,
18. ,, पो. कायामकुलम Kayamkulam ,, ,,
19. ,, पो. क्विलॉन Quilon ,, ,,
20. ,, पो. त्रिवान्द्रम् Trivandrum ,, ,,
21. ,, टॉवर जंक्शन, Tower Junction पो. नागरकॉइल Nagercoil ,,

कोझीकोड विभाग

विभाग कार्यालय—गांधी आश्रम, ठि. पो. एरान्हीपालम् Eranhipalam Kozhikode 6

उत्पत्ति केन्द्र

1. गांधी आश्रम, (खादी कार्यालय और सरंजाम कार्यालय) पो. कोझीकोड Kozhikode, जि. मलबार R. S. Kozhikode S. Rly.

वस्त्र स्वावलंबन केन्द्र

2. ठि. पो. मंजेरी Manjeri, S. Malabar
3. ठि. पो. बलुस्सेरी Balusseri, N. Malabar

4. ठि. पो. क्विलांडी Quilandy, N. Malabar, R. S. Panthalayini S. Rly.

5. पयंगडी Payangadi P. O. Mandoor, N. Malabar, R. S. Palayangadi, S. Rly.

सूत केन्द्र

6. ठि. पो. पुलिक्कल P. O. Puliekal, (Via) Ferok, S. Malabar, R. S. Ferok S. Rly.

7. ठि. पो. अरियल्लूर Ariyallur, (Via) Parapanangadi S. Malabar, R. S. Vallikunnu, S. Rly.

8. ठि. पो. चेवायूर P. O. Chevayur, (Via) Puthiyara, S. Malabar.

बिक्री केन्द्र

9. ठि. चालपुरम् Chalapuram– P. O. Kozhikode, S. Malabar, R. S. Kozhikode, S. R.

10. ठि. पो. तेल्लिचेरी Tellicherry, N. Malabar R. S. Tellicherry, S. R.

11. ठि. पो. कन्नानोर Cannanore, N. Malabar, R. S. Cannanore, S Rly.

---

(13) गुजरात

(1) गुजरात शाखा

उत्पत्ति केन्द्र

1. अ. भा. च. संघ वस्त्र-स्वावलंबन केंद्र, पो. हजीरा Hajira, जि. सूरत Surat, Western Rly.

बिक्री केंद्र

2. अ. भा. च. संघ, वस्त्र-स्वावलंबन केन्द्र, स्वराज्य आश्रम, पो. बारडोली Bardoli, जि. सूरत Surat, T. V. Rly.
3. ,, मोहल्ला कणपीठ Kanpith, पो. जि. सूरत Surat W. Rly.
4. ,, महात्मा गांधी रोड, पो. बलसाड Bulsar, जि. सूरत ,,
5. ,, जवाहर बाजार, पो. भरुच, जि. भरुच Broach ,,
6. ,, भावसारवाड, पो. नडियाद Nadiad, जि. खेडा Kaira ,,

सरंजाम उत्पत्ति-बिक्री केन्द्र

7. अ. भा. च. संघ, खादी सरंजाम कार्यालय, स्वराज्य आश्रम, पो. बारडोली Bardoli जि. सूरत Surat, T. V. Rly.

खादी अेजंसियाँ

8. शुद्ध खादी भण्डार, पो. राजपीपला Rajpipla, Via-अंकलेश्वर Ankleswar, जि. भरुच Broach W. Rly.

कताओ मंडल अेजंसियाँ

9. कताओ मंडल, वेडछी, पो. वालोड Valod, वाया मढी Madhi जि. सूरत T. V. Rly.
10. विद्यार्थी मंडल, पो. वालोड Valod, वाया-मढी Madhi जि. सूरत Surat T. V. R.
11. कताई मंडल, पो. आमोद Amod, जि. भरुच Br ach, W. R.
12. ,, कराडी, पो. जलालपुर Jalalpur जि. सूर Surat ,,
13. ,, आशापुरीमाता नानुवाडी, पो. नवसारी Nava i जि. सूरत ,,
14. कताई मंडल, पो. आट At, वाया जलालपुर Jalalpuri सूरत ,,
15. ,, पो. अब्रामा Abrama, वाया-वेडछा, Vedcna, जि. सूरत Surat ,,

16. कताई मंडल, पो. दांडी Dandi, वाया जलालपुर, Jalalpur W. R.
17. „ उगत, पो. नवसारी Navasari. „
18. „ पो. कछोली Kachholi, वाया Amalsad.
अमलसाड, जि. सूरत Surat „
19. „ पो. कठोर Kathor, वाया Sayan सायन, जि. सूरत
20. „ भीमपोर Bhimpore, पो. Surat सूरत T. V. Rly.
21. रेंटिया मन्दिर, तांतवा, पो. मढी Madhi, जि. सूरत, „ „
22. कताई मंडल, सरभोण Sarbhon, पो. बारडोली, जि. सूरत „ „
23. उद्योग-मन्दिर, मलाडा, पो. सोजित्रा Sojitra, जि. खेडा Kaira
24. कताओी मंडल, पो. हजीरा Hajira, जि. सूरत W. R.
25. „ पो. व्यारा Vyara, जि. सूरत T. V. Rly.
26. „ सठवाव, पो. मांडवी Mandvi वाया मढी, जि. सूरत „
27. „ वालदा, पो. मढी Madhi. जि. सूरत „
28. „ पो. मढी Madhi, जि. सूरत „
29. „ पो. पेटलाद Petlad, जि. खेडा Kaira, W. R.
30. „ पो. आहवा Ahwa, वाया बिलीमोरा, जि. डांग „
31. „ बेडफलिया Bedfalia, पो. मढी, जि. सूरत T. V. Rly.
32. „ वहेवल, पो. अनावल Anaval, वाया बिलीमोरा
जि. सूरत „
33. „ मु. सांढासाल, वाया समलाया Samlaya, जि. वरोडा
34. „ पो. बोचासण Bochasan, वाया आणंद, जि. खेडा
35. „ मु. शामळाजी Shamlaji, पो. टिटोई Titoi,
जि. साबरकांठा, A. P. Rly.
36. „ पो. बिलीमोरा Bilimora, जि. सूरत

तामिलनाड

(विभाग- तंजोर, तिरुनेलवेली, तिरुपुर, मदुरा-रामनद, मद्रास)

(14) तंजोर विभाग

विभाग कार्यालय— West Kadalangudi Street, कुंबकोणम् Kumbakonam, जि. तंजावूर S. R.

सूत और खादी उत्पत्ति केन्द्र

1. खादी वस्त्रालय, ठि. टेप्पाकुलम Teppakulam, पो. तिरुचिराप्पली, Tiruchirappali, जि. तिरुचि Trichy S. Rly.
2. ,, ठि. पो. कारूर Karur, जि. तिरुचि Trichy, S. R.
3. ,, ठि. पो. सेन्दुराइ Sendurai, जि. तिरुचि Trichy, S. R.
4. ,, ठि. पो. तिरुवैयारु Tiruvaiyaru, जि. तंजावूर Tanjore ,,
5. ,, ठि. पो. तिरुवारुर Tiruvarur ,, ,, ,, ,,
6. ,, ठि. पो. पुवाथाकुडि Poovathakudi, वाया अरन्तान्गी, Aranthangi, जि. तंजावूर Tanjore ,,

सूत उत्पत्ति केन्द्र

7. खादी वस्त्रालय, ठि. परमत्ति, पो. के. परमत्ति K. Paramathi, वाया कारूर Karur, जि. तिरुचि Trichy S. R.
8. ,, ठि. तेनूर Thenur, पो. वलनाडु Valanadu वाया— मनप्पाराइ Manapparai, जि. तिरुचि Trichy S. R.
9. ,, ठि. पो. लेब्बाइकुडिकाडू Lebbaikudikadu, वाया पेरम्बलूर Perambalur, जि. तिरुचि Trichy ,,
10. ,, ठि पो. आदिरामपट्टनम् Adirampattinam, जि. तंजावूर Tanjore, ,,

बिक्री केन्द्र

11. खादी वस्त्रालय, West Kadalangudi Street, पो. कुंभकोणम् Kumbakonam, जि. तंजावूर Tanjore S. R.
12. ,, ठि. पो. मायावरम् Mayavaram, ,, ,,
13. ,, ठि. पो. तिरुवारूर Tiruvarur, ,, ,,
14. ,, ठि. पो. नागपट्टनम् Nagapattinam ,, ,,
15. ,, ठि. पो. मन्नारगुडी Mannargudi ,, ,,
16. ,, ठि. पो. आदिरामपट्टनम् Adirampattinam जि. तंजावूर Tanjore, ,,
17. ,, ठि. पो. पट्टुकोट्टाइ Pattukottai, जि. तंजावूर ,, ,,
18. ,, ठि. पो. तंजावूर Tanjore ,, ,,
19. ,, ठि. पो. पूवत्ताकुडि Poovathakudi, वाया अरन्तान्गी Arantangi, जि. तंजावूर Tanjore ,,
20. ,, ठि. पो. तिरुवाइयारु Tiruvaiyaru, जि. तंजावूर Tanjore ,,
21. ,, ठि. तिरुचि Trichy पो. टेप्पाकुलम् Teppakulam, जि. तिरुचि Trichy, ,,
22. ,, ठि. पो. कारूर Karur, जि. तिरुचि Trichy ,,
23. ,, ठि. सेन्दुराइ Sendurai, पो. तिरुचि Trichy, Villupuram Chord Line, जि. तिरुचि Trichy ,,
24. ,, ठि. पो. परमत्ति Paramathi, via Karur, जि. तिरुचि Trichy ,,
25. ,, ठि. तेनूर Thenur, पो. वलनाडु Valanadu, via Manapparai, जि. तिरुचि Trichy, ,,
26. ,, ठि. पो. पेरम्बलूर Perambalur, जि. तिरुचि ,, ,,
27. ,, ठि. पो. लेब्बाइकुडिकडु Lebbaikudikadu via Perambalur, जि. तिरुचि Trichy.

खादी एजन्सियां

28. टी. के. सुन्दरम्, पो. तिरुकट्टुपल्ली Tirukattupalli,
जि. तंजावूर Tanjore S R.

29. चरखा संघ, वेदारण्यम् Vedaranyam, जि. तंजावूर ,,

30. श्री. आर. गोविन्दस्वामी पिल्ले, पो. शियाली Shiyali
जि. तंजावूर Tanjore ,,

31. गांधी खद्दर वस्त्रालय, पो. कोरडाच्चेरी Koradacherry,
जि. तंजावूर Tanjore ,,

32. एस्. एस्. मुरुगैय्यन चेट्टियर, पो. नॉर्थस्ट्रीट, तिरुत्तुरैपुण्डी
Tiruthuraipundi, जि. तंजावूर Tanjore, ,,

33. राममुत्तैय्यन, पो. पुदुकोट्टै Pudukottai
जि. त्रिचिरापल्ली Trichirapalli ,,

(15) तिरुनेलवेल्ली विभाग

विभाग कार्यालय–ठि. पो. कोविलपट्टी Koilpatti, जि. तिरुनेलवेल्ली S. R.

उत्पत्ति केन्द्र

1. खादी वस्त्रालय, पो. एरल Eral, जि. Tirunelvelly. S. R.
2. ,, कालंकरैपट्टी Kalankaraipatti, पो. Vanaramutti
वानरमुट्टि, जि. Tirunelvelly. ,,
3. ,, पो. कलुगुमलै Kalugumalai, जि. Tirunelvelly, ,,
4. ,, पुदुपट्टी, पो. Tiruvengadam, जि. Tirunelvelly. ,,
5. ,, पो. कीलप्पावूर Kilapavoor, via–Tenkasi
टेंकासी, जि. Tirunelvelly. ,,
6. ,, पो. करिवलंवन्डनल्लूर Karivalamvandanallur,
जि. Tirunelvelly S. R.

7. खादीवस्त्रालय, पो. पुलियंगुडी Puliyangudi, जि. Tirunelvelly S.R.
8. ,, तिशैयनविलै Tissianvilai, जि. तिरुनलवेली ,,
9. ,, वीरवनल्लूर Viravanallur, जि. तिरुनेलवेली ,,
10. ,, अलंगुलम् Alangulam, जि. तिरुनेलवेली ,,
11. ,, कुडांकुलम् Kudankulam, जि. तिरुनेलवेली ,,

बिक्री केन्द्र

12. खादी भंडार, पो. कॉअिलपट्टी Koilpatti., जि. तिरुनेलवेली Tirunelveli S. R.
13. ,, पो. शंकरन्कोअिल Sankarankoil, ,, ,,
14. ,, तिरुनेलवेली Tirunelveli, जि. तिरुनेलवेली ,, ,,
15. ,, पो. तुतिकोरिन Tuticorin ,, ,,
16. ,, पो. तिरुचेन्दूर Tiruchendur, ,, ,,

खादी एजन्सियाँ

17. रामस्वामी नायडू, पो. तेन्काशी Tenkasi, जि. तिरुनेलवेली Tirunelveli S.R
18. टी. तिरुवेंगडम्, पो. श्रीवैकुण्ठम् Srivaikuntham ,,
19. टी. व्ही. काशीराजन्, मुत्थुकृष्णापुरम Muthukrishnapuram पो. आरुमुकनेरी Arumuganeri ,,

(16) तिरुपुर विभाग

विभाग कार्यालय– ठि. पो. तिरुपुर Tirupur S. R.

उत्पत्ति केन्द्र

1. अ. भा. च. संघ खादी वस्त्रालय, गांधीनगर, पो. तिरुपुर Tirupur, जि. कोयम्बुत्तूर Coimbatore S. R. फोन–62, तार–Vastralaya

2. सेंट्रल खादी वस्त्रालय ईश्वरन्‌कोविल स्ट्रीट, ठि. पो. तिरुपुर Tirupur, जि. कोयमुत्तूर Coimbatore, S. Rly.

3. अ. भा. च. संघ रंगाओ विभाग, ठि. इंडियन् पालयम्, पो. अरसूर Arasur, वाया गोबी Gobichettipalayam जि. कोयमुत्तूर S. R.

4. अ. भा. च. संघ, खादी वस्त्रालय, ठि. पो. धारापुरम् Dharapuram, जि. कोयमुत्तूर Coimbatore, Rly. St. Tirupur out Agency S. Rly.

5. ,, पो. कांगयम् Kangayam, via-Erode, R. M. S. S. R. जि. कोयमुत्तूर Coimbatore

6. ,, वंट्टमलैप्पालयम्, पो. उदियूर Oothiyur ता. धारापुरम् Dharapuram, जि. कोयमुत्तूर S. Rly.

7. ,, पो. शिवगिरी Sivagiri, Erode R, S., ता. धारापुरम् जि. कोयमुत्तूर Coimbatore, S. Rly.

8. ,, कोडुवायी Koduvai, पो. नागलिंगपुरम् Nagalingapuram, वाया तिरुपुर R. S. जि. कोयमुत्तूर Coimbatore, S. Rly.

9. ,, पो. कुंडडम Kundadam, (Dharapuram Taluk) वाया ईरोड R, M. S, जि. कोयमुत्तूर Coimbatore S. Rly.

10. ,, पो. मूलनूर Mulanoor, via Dharapuram P. O. Karur R. S. जि. कोयमुत्तूर Coimbatore, S. Rly.

11. ,, ठि. अरिकारनवलसु Arikaranvalasu पो. मूलनूर Mulanoor, via Dharapuram जि. कोयमुत्तूर Coimbatore, S. Rly.

12. ,, पो. नंबियूर Nambiyur, via-Gobi गोबी, Erode R. S. जि. कोयमुत्तूर Coimbatore, S. Rly.

13. ,, तैलंपालयम् Thailampalayam, पो. कुन्नत्तूर Kunnathur, via-Utukuli R. S. उत्तुकुली जि. कोयमुत्तूर

14. खादी वस्त्रालय पो. पडियूर Padiyur, via-Kangayam कांगयम्
जि. कोयमुत्तूर Coimbatore, S. Rly.

15. ,, पो. ता. पल्लडम Palladam, जि. कोयमुत्तूर Coimbatore,
Tirupur R. S.

16. ,, केत्तनूर Kethanur, via-Palladam पल्लडम्,
पो. मंतिरिपालयम् Manthiripalayam, ता.तथा जि. कोयमुत्तूर
Coimbatore, S, Rly.

17. खादी वस्त्रालय, पो. आत्तूर Attur R.S., जि. सेलम Salem, S. Rly.

18. ,, पो. पुंजैपुलियमपट्टी Punjai-Puliyampaty, via-Sathya-mangalam सत्यमंगलम्, जि. कोयमुत्तूर Coimbatore S. R.

19. ,, मुरुगमपालयम् पो. Tirupur, जि. कोयमुत्तूर Coimbatore S. R.

20. ,, पो. ऊत्तुक्कुली Uthukuli R. S. जि. कोयमुत्तूर
Coimbatore, S. Rly.

21. ,, पो. चेन्निमलै Chennimalia, via-Uthukuli ऊत्तुक्कुली,
जि. कोयमुत्तूर Coimbatore, S. Rly.

22. ,, पो. कुन्नत्तूर Kunnathur, via-ऊत्तुक्कुली Uthukuli R, S.,
जि. कोयमुत्तूर Coimbatore, S. Rly.

23. वस्त्रस्वावलंबन केन्द्र, गांधीनगर, पो. तिरुपुर Tirupur जि. कोयमुत्तूर
Coimbatore

बिक्री केन्द्र

24. खादी वस्त्रालय, बिगबाजार स्ट्रीट, पो. कोयमुत्तूर Coimbatore,
जि. कोयमुत्तूर Coimbatore S. Rly.

25. ,, पो. ईरोड Erode, जि. कोयमुत्तूर Coimbatore ,,

26. ,, पो. गोबिचेट्टिपालयम Gobichettipalayam, via-Eaode
R, S. जि. कोयमुत्तूर Coimbatore S R.

27. खादी वस्त्रालय पो. कोडुमुडी Kodumudi, जि. कोयमुत्तूर S. Rly.
28. „ 45/8 पल्लडम रोड पो. तिरुपुर Tirupur, जि. कोयम्बुत्तूर „
29. „ 54 Lalkhan Street पो. चिदंबरम् Chidambaram,
जि. दक्षिण अरकाट South Arcot „
30. „ पो. तिन्डिवनम् Tindivanam „ „
31. „ पो. तिरुप्पापुलियूर Tirupapuliyur
जि. दक्षिण अरकाट South Arcot S. R.
32. „ पो. तिरुक्कोविलूर Tirukkovilur „ „
33. „ पो. तिरुवण्णामलै Tiruvannamalai,
जि. उत्तर अरकाट North Arcot „
34. „ बस स्टाँडके सामने, Long Bazar पो. वेलूर
Vellore जि. उत्तर अरकाट North Arcot „
35. „ पो. विरुद्दाचलम् Vridhachalam,
जि. दक्षिण अरकाट South Arcot „
36. „ कमर्शियल रोड पो. उुटी Ootee, जि. Nilgiri नीलगिरि „
37. अ. भा. सर्व सेवा संघ, प्रकाशन विभाग, सर्वोदय प्रचुरालयम्,
वीरपांडी, पो. तिरुप्पुर Tirupur „

(17) मदुरा रामनद विभाग

विभाग कार्यालय—पूर्व अवनिमूल स्ट्रीट, मदुरै

उत्पत्ति केंद्र

1. अ. भा. च. संघ खादी वस्त्रालय, नं. 8 पूर्वअवनिमूल स्ट्रीट; पो. मदुरै
Madhurai, जि. मदुरै Madhurai, S. Rly.
2. „ पो. पलनी Palani जि. मदुरै Madhurai „
3. „ पो. पेरियकुलम् Periyakulam Madhurai Distt., „
4. „ पो. पेरियूर Perriyur, तालुका तिरुमंगलम्
Tirumangalam Madhurai Distt., „

5. अ. भा. च. संघ खादी वस्त्रालय, ठि. पुदुपट्टी Pudupatti, पो. कल्लीगुडी Kalligudi, Madhurai Distt. S. Rly.
6. ,, पो. तिरुमंगलम् Tirumangalam, Madhurai Distt. ,,
7. ,, ठि. वडक्कमपट्टी Vadakkampatti, पो. कल्लीगुडी Kalligudi, Madhurai Distt. ,,
8. ,, पो. परमकुडी Paramkudi, जि. रामनद Ramnad ,,
9. ,, खादी वस्त्रालय, पो. राजपालयम् Rajapalayam, ,, ,,
10. ,, ठि. मुहवूर Mehavoor, पो. Seithur सेतूर, जि. रामनद ,,
11. ,, पो. मेलपट्टी Melapatti, जि., मदुरै Madhurai S. Rly.
12. ,, पो. श्रीविल्लीपुत्तूर Shrivilliputtur, जि. Ramnad, ,,
13. ,, पो. ममसापुरम् Mamsapuram, जि. रामनद ,,
14. ,, ठि. पुदुपट्टी Pudupatti, पो. Watrap वातरप, जि. रामनद ,,
15. ,, पो. सुंदरपांड्यम् Sundarpandiyam, जि. रामनद ,,

विक्री केन्द्र

16. खादी भंडार, पो. दिंडिगल Dindigul, जि. मदुरै Madhurai, S. R.
17. ,, नं. 8, पूर्वअवनीमूल स्ट्रीट, पो. मदुरै जि. मदुरै Madhurai, ,,
18. ,, पो. पलनी Palani, जि. मदुरै Madhurai, ,,
19. ,, ठि. पुदुपट्टी पो. कल्लीगुडी Kalligudi, जि. मदुरै Madhurai ,,
20. ,, अरुप्पुकोट्टै Aruppukottai, जि. रामनद Ramnad ,,
21. ,, करैकुडी Karaikudi, ,, ,, ,,
22. ,, पो. शिवकाशी Sivakasi, ,, ,, ,,
23. ,, विरुधुनगर Virudhunagar, ,, ,, ,,
24. ,, पो. साथूर Sathur, ,, ,, ,,

खादी एजन्सियाँ

25. श्री. आर. तेनुरामनाथन, पो. तिरुपत्तुर Tirupathur, जि. रामनद Ramnad, S. Rly.
26. ,, अेस्. वी. अरुणाचलम् पो. देवकोट्टै Devakottai, जि. रामनद ,,
27. ,, अेजन्ट, कस्तूरबा ट्रस्ट, गांधीग्राम Gandhigram पो. चिन्नलपट्टी Chinnalpatti, जि. मदुरै Madhurai S. Rly.

(18) मद्रास विभाग

1. श्री. अेन्. आर. त्यागराजन्, पो. तेनी Theni, Dt. Madhurai S. R.
2. राजाजी खादी भण्डार पो. मेलूर Mellur Distt. „ „

बिक्री केंद्र

3. अ. भा. च. संघ खादी भंडार, 65-66 राटन बाजार, मद्रास-3 S. R.
4. अ. भा. च. संघ खादी भण्डार, ठि. पो. कांजीवरम् Conjeevaram, जि. चिंगलपुट Chingalput S. R.

(19) पंजाब शाखा

शाखा कार्यालय— पो. आदमपुर-दोआबा, जि. जालंधर

अुत्पत्ति केन्द्र

1. गांधी खद्दर कार्यालय, ठि. पो. आदमपुर दोआबा Adampur Doaba, जि. जालंधर Jullundur E. P Rly.
2. „ पो. गोराया Goraya, जि. जालंधर Jullundur „
3. „ ठि. पो. नूरमहल Nur Mahal, जि. जालंधर „
4. „ ठि. पो. जगाधरी Jagadhari, जि. अंबाला Ambala „
5. „ ठि. पो. सुजानपुर Sujanpur, जि. गुरुदासपुर Gurdaspur „
6. „ ठि. पो. काडियाना Kadiana, जि. होशियारपुर Hoshiarpur „

सूत-उत्पत्ति केन्द्र

7. अ. भा. च. संघ पंजाब शाखा रिलीफ सेंटर, पो. तेहाड Tehar दिल्लीप्रान्त Delhi Province
8. „ नं. 6 मार्केट, राजेन्द्रनगर, ठि. पो. नई दिल्ली New Delhi
9. „ ठि. पो. गुडगांव Gurgaon, W. R.

बिक्री केंद्र

10. गांधी खद्दर भंडार, चौक सूदां Chowk Sudan, पो. जालंधर शहर Jullundur City E. P. R.
11. „ Choura Bazar, चौडा बाजार, पो. Ludhiana, „
12. „ पंसारी बाजार Pansari Bazar, पो. अंबाला छावनी Ambala Cantt. „

13. गांधी खद्दर भंडार कटरा जयमलसिंह Katra Jaimal Singh
पो. अमृतसर Amritsar E. P. R.
14. ,, शालामार बाजार Shalamar Bazar, जम्मूतवी
Jammu Tawi, (Kashmir State)
15. ,, बाजार वकीलां Bazar Vakilan ,,
ठि. पो. होशियारपुर Hoshiarpur ,,

खादी अेजांसियाँ

16. गांधी खद्दर एजन्सी पो. पानीपत Panipat, जि. करनाल Karnal ,,
17. ,, पो. फाजिलका Fazilka, जि. फिरोजपुर Ferozepur ,,
18. ,, पो. मुक्तसर Muktsar ,,
19. ,, पो. डबवाली Dabwali, जि. हिसार Hissar ,,
20. ,, पो. अबोहर Abohar, जि. फिरोजपुर Ferozepur
21. ,, 13 लोअर बजार 13 Lower Bazar, पो. शिमला Simla
22. ,, पो. हिसार Hissar
23. ,, पो. भिवानी Bhiwani, जि. हिसार Hissar
24. ,, पो. प्रागपुर Pragpur, जि. कांगडा Kangra
25. ,, पो. रेवाडी, Rewari, जि. गुडगांव Gurgaon
26. ,, पो. ज्वालामुखी Jwalamukhi, जि. कांगरा Kangra
27. ,, पो. पालमपुर Palampur जि. कांगडा Kangra
28. ,, पो. सिरसा Sirsa
29. ,, पो. अंबाला शहर Ambala City

महाराष्ट्र शाखा

(विभाग—बंबई, पूना, नागविदर्भ, हैद्राबाद)

(20) बंबई विभाग

1. विभाग कार्यालय तथा बिक्री केन्द्र—394 कालबादेवी रोड, बंबई नं 2
(यहींपर अ. भा. चरखा संघ का सरंजाम संग्रह विभाग का कार्यालय तथा गोडाऊन है।)

2. अ. भा. च. संघ बुनाई शाला, कोराग्रामोद्योग केन्द्र, ठि. शिंपवली
पो. बोरिवली Borivli, W. Rly.
3. अ. भा. च. संघ खादीवस्त्रागार, पालन सोजपाल बिल्डिंग, बी. ब्लॉक,
रूम नं. 17 तथा 21 पो. दादर Dadar, W. Rly. Bombay.

(21) पूना विभाग

विक्री केन्द्र तथा दफ्तर

1. कांग्रेस खादी भांडार, बुधवार चौक, पूना 2 Poona 2 Central Rly.

अुत्पत्ति केन्द्र

2. खादी कार्यालय, शनिवार पेठ, पो. मिरज Miraj, जि. दक्षिण सातारा
South Satara, Southern Rly.

खादी अेजंसियाँ

3. कताअी मंडल C/o रत्नागिरी जि. खादी संघ, गोपुरी, पो. कणकवली
Kanakavli, जि. रत्नागिरी Ratnagiri
4. कताअी मंडल, C/o सुरतवाले (रा. न. सोनी) पो. येवला Yeola,
जि. नाशिक Nasik, C. Rly.
5. कताअी मंडल C/o ग. म. नादू 288 व्यंकटपुरा, पो. सातारा Satara,
जि. उत्तर सातारा, S. R.

(22) नागविदर्भ विभाग

विभाग कार्यालय— ठि. पो. मूल Mul, जि. चांदा

अुत्पत्ति केन्द्र

1. अ. भा. च. संघ नागविदर्भ विभाग, खादी कार्यालय,
ठि. पो. सावली Saoli, जि. चांदा Chanda,
Rly. St. Mul–Maroda, E. R.
2. खादी कार्यालय ठि. पो. मूल, Mul, जि. चांदा Chanda, ,, ,,
3. सरंजाम कार्यालय, ठि. पो. मूल Mul, जि. चांदा Chanda, ,, ,,
4. रंग कारखाना, ठि. पो. मूल Mul, जि. चांदा Chanda, ,, ,,
5. खादी कार्यालय, ठि. पो. लोधीखेडा Lodhikheda,
ता. सौंसर, जि. छिंदवाडा Chhindwara E. R.

बिक्री केन्द्र

6. खादी भंडार, भानापेठ, पो. जि. चांदा Chanda C. R.
7. अ. भा. च. संघ खादी भण्डार सीताबर्डी Sitabuldi,
नागपुर Nagpur, C. R.

खादी एजन्सियाँ

8. कताई मंडल, पो. चिमूर Chimur, जि. चांदा Chanda, M. P.
Rly. Stn. Warora वरोरा C R.
9, टिळक राष्ट्रीय विद्यालय, पो. तुमसर Tumsar, जि. भंडारा E. R.
10. श्री. शंकरलाल शिवलाल, मंत्री, कताई मंडल पो. यवतमाल
Yeotmal, C R.
11. श्री. आत्माराम आगाशे, मन्त्री, कताई मन्डल, पो. माधान
Madhan, ता. अेलिचपुर जि. अमरावती Amravati C. R.

महाकोशल

(23) छत्तीसगढ़ विभाग

1. विभाग दफ्तर, ठि. पो. कुरा Kurra, जि. रायपुर Raipur म. प्र.

खादी एजन्सियाँ

2. श्री कृष्ण श्रीधर द्रामले, पो. बुरहानपुर Burhanpur, जि. निमाड C. R.
3. श्री जाववजी मारू, घासपुरा, पो. खंडवा Khandwa, C. R.
4. ,, मगनलाल कोठारी, पो. हरदा Harda, जि. होशंगाबाद C. R.

(24) राजस्थान शाखा

शाखा कार्यालय—पो. गोविंदगढ-मलिकपुर, जि. जयपुर

उत्पत्ति केन्द्र

1. अ. भा. च. संघ खादी आश्रम, बांसा, पो. सामोद Samod,
जि. जयपुर Jaipur, Rajasthan Union
2. ,, ठि. पो. गोविंदगढ़ मलिकपुर Govindgarh-Malikpur,
जि. जयपुर Jaipur, Rajasthan Union

3. अ. भा. च. संघ खादी आश्रम ऊनी उत्पत्ति केन्द्र,
रेलवे ऑफिस के सामने, पो. बीकानेर Bikaner, राजस्थान

बिक्री केन्द्र

4. अ. भा. च. संघ खादी भंडार नाहरगढ रोड, लाल हाथियोंके मन्दिरके पास,
पो. जयपुर शहर Jaipur City, Rajasthan Union
5. ,, खादी भण्डार, पो. उदयपुर Udaipur, मेवाड, राजस्थान
6. ,, खादी भण्डार, पो. भीलवाडा Bhilwara, ,,

सेवाग्राम

(25) सेवाग्राम प्रधान कार्यालय

1. चरखा संघ प्रधान कार्यालय, पो. सेवाग्राम
Sevagram, फोन-35, Dt. Wardha, वर्धा म. प्र. C. R.
(यहाँपर संघ का खादी विद्यालय, प्रयोग विभाग, कपास विभाग,
प्रमाणपत्र विभाग, हिसाब विभाग आदि विभाग हैं ।)

बिक्री केन्द्र

2. चरखा संघ खादी भण्डार, पो. सेवाग्राम Sevagram, वाया-वर्धा
Wardha, म. प्र. C. R.
3. ,, सरंजाम कार्यालय, पो. सेवाग्राम (वर्धा)

प्रमाणित संस्थाअें

(सन १९५२–५३ के लिये)

(१) आंध्र

1. जवाहर अिंडस्ट्रीज आनंदाश्रम, ठिकाना पो. मैदुकूर Mydukur, जि. कडपा Cuddapah, S. Rly.
   कार्यक्षेत्र–आनन्दाश्रम तथा पास के गांव।
   पूंजी–२,००० रु., अुत्पत्ति १०,००० रु., बिकी १०,००० रु.

* 2. आंध्र पट्टुशाली खादी कर्मिकाभिवृद्धि संघम्, ठि. पो. पोंदूरू Pondur, जिला श्रीकाकुलम Srikakulam, अिस्टर्न रेल्वे।
   कार्यक्षेत्र–पोंदूरू। पूंजी–२५,००० रु., अुत्पत्ति–१,००,०००रु., ३५ से ७० नंबर की महीन खादी हिंदुस्थान भर भेजी जाती है। कमिशन ६। प्रतिशत।

* 3. गांधी खद्दर सोसायटी संचालित गांधी आश्रम, ठि. पो. अनकापल्ली Anakapalle, जि. विशाख Visakhapatnam, S. Rly.
   कार्यक्षेत्र–अनकापल्ली तथा १२ मील के गांव।
   पूंजी–१५,००० रु., अुत्पत्ति ४०,००० रु.

* 4. अुत्तर विशाख सर्वोदय सहायक समिति, ठि. पो. मेलियापुट्टी Meliya-putti, वाया टेक्कली, जि. श्रीकाकुलम Srikakulam, अिस्टर्न रेल्वे तार–Parlakimedi & Tekkali, Rly. Stn. Parlakimedi E. Rly. कार्यक्षेत्र—मेलियापुट्टी, वुडीति। पूंजी–६,६०० रु.
   अुत्पत्ति–४५,००० रु., बिक्री–५५,००० रु.
   महीन खादी बाहर भेजी जाती है। कमिशन ६। प्रतिशत।

5. कृष्णा जिला सर्वोदय सहायक समिति, ठि. पो. पुरिटिगड्डा Puritigadda, जि. किस्टना Kistna। कार्यक्षेत्र–पुरिटिगड्डा और पास के गांव।
   पूंजी–१०,००० रु. अुत्पत्ति–६५,००० रु.

प्रमाणितों को बगैर सूतशर्त खादी-बिक्री की अिजाजत है।

* ये केन्द्र दूसरे केन्द्रों को माल दे सकते हैं।

ता. १-७-५२ से ३०-६-५३ तक के लिये अधिकृत

6. दिविसीमा सर्वोदय सहायक समिति, ठि. पो. अवनिगड्डा Avanigadda जि. किस्टना Kistna । कार्यक्षेत्र–अवनिगड्डा तालुका।
पूंजी–४,००० रु., अुत्पत्ति–१२,००० रु., बिक्री–१३,००० रु.

7. गुंटूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव खादी परचेस अॅण्ड सेल सोसाइटी लि०, ठि. पो. तेनाली Tenali, जि. गुंटूर Guntur, S. Rly.
कार्यक्षेत्र–तेनाली। बिक्री–३०,००० रु. पूंजी ८,००० रु.

* 8. तेनाली तालुका सर्वोदय सहायक समिति, ठि. पो. अमृतलूरु Amrithlur जि. गुंटूर Guntur, कार्यक्षेत्र—अमृतलूरु। पूंजी–९,६०० रु.
अुत्पत्ति–२०,००० रु., बिक्री–१८,००० रु.

* 9. गुंटूर जिला सर्वोदय सहायक समिति, ठि. पो. गूडवल्ली Gudavalli, तालुका रेपल्ली Repalle, जि. गुंटूर Guntur S. Rly.
कार्यक्षेत्र गूडवल्ली केन्द्र। पूंजी १०,००० रु., अुत्पत्ति ४२,००० रु.
बिक्री–२०,००० रु.।

(२) आसाम

* 10. दी गवर्नमेंट खादी अॅन्ड अेंडी प्रॉडक्शन सेंटर, ठि. पो. राहा Raha, जि. नौगांव Nowgong (आसाम) (रेशम अुत्पत्ति)
कार्यक्षेत्र–राहा और आसपास के गांव। पूंजी–२५,००० रु.
अुत्पत्ति–५३,००० रु., बिक्री–३२,००० रु.

* 11. मौमान हरिजन सेवाश्रम, ठि. पो. बको Boko जि. कामरूप, आसाम।
कार्यक्षेत्र–कामरूप जिला।

(३) अुडीसा

* 12. खादी विभाग अुडीसा सरकार, ठिकाना पो.–कटक Cuttack (Orissa)
कार्यक्षेत्र–अुडीसा राज्य। पूंजी–२,२०,००० रु., उत्पत्ति–१,८०,००० रु.
बिक्री–२,००,०० रु.

* 13. अुत्कल खादी समवाय समिति, पो. कोदला Kodala, जि. गंजाम Ganjam, कार्यक्षेत्र–गंजाम जिला। पूंजी–१५,००० रु.
अुत्पत्ति–३०,००० रु., बिक्री–२९,००० रु.

प्रमाणपत्र संस्था को दिया जाता है, व्यक्ति को नहीं।
* ये केन्द्र दूसरे केन्द्रों को माल दे सकते हैं।

(४) उत्तर प्रदेश

* 14. स्वराज्य आश्रम, जनरल गंज, पो. कानपुर Kanpur, अुत्तर प्रदेश
कार्यक्षेत्र–कानपुर, हरदोई, अुन्नाव, फरुखाबाद जिले।
पूंजी–१,५०,००० रु., उत्पत्ति २,००,००० रु., बिक्री–३,६३,००० रु.

* 15. गांधी आश्रम मेरठ Meerut—फोन ५८५। पूंजी–३५ लाख रु., उत्पत्ति ४१ लाख रु., बिक्री ५३ लाख रु.। कार्यक्षेत्र—काश्मीर रियासत में अूनी काम के लिये मामपुर आदि केंद्र, खादी काम के लिये अुत्तर प्रदेश तथा दिल्ली तथा मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल में रेशम काम के लिये जलालपुर, सोनामुखी आदि केंद्र।

16. ग्रामोद्योग, ट्रस्ट, ठि. पो. पुखरायां Pukhrayan, जिला–कानपुर Kanpur, कार्यक्षेत्र—कोंच, मअुरानीपुर, अुरअी, कालपी, खुर्जा, पुखरायां।
पूंजी–८०,००० रु., अुत्पत्ति–८०,००० रु., बिक्री–६०,००० रु.

17. हरिजन गुरुकुल, गांधीग्राम, पो. दोहरीघाट Dohrighat, जिला–आजमगढ Azamgarh। कार्यक्षेत्र–आजमगढ जिला। पूंजी ४५,००० रु.
अुत्पत्ति–१,००,००० रु., बिक्री–१,००,००० रु.।

* 18. ग्रामशिल्पा निकेतन, महुअवा नंदना, पो.–पिपरपांती Piparpanti जिला–गोरखपुर Gorakhpur। कार्यक्षेत्र–जिला गोरखपुर और देवरिया।
पूंजी–१८,००० रु., अुत्पत्ति–१६,००० रु., बिक्री–१८,००० रु.

19. गांधी सेवा सदन, ठि. पो. आसफपुर Asafpur, जिला–बदायूं Badaun ओस्टर्न रेल्वे। कार्यक्षेत्र–जिला बदायूं, बरेली, मुरादाबाद।
पूंजी–१३,००० रु., अुत्पत्ति–८,००० रु., बिक्री–७,००० रु.
२७" खादी बाहर दे सकते हैं। दर १≈)॥ प्रति गज, कमिशन ७॥ प्रतिशत।

* 20. ग्राम-स्वावलंबी विद्यालय, ठि. पो. रणिवां, Goshaiganj, R. S. जिला–फैजाबाद Fyzabad। कार्यक्षेत्र—रणिवां और आसपास के गांव।
पूंजी–६,००० रु., अुत्पत्ति १२,००० रु., बिक्री–५,००० रु.

प्रमाणित खादी अुत्पत्ति करनेवाली संस्था को खादी की शुद्धता के लिये चरखा संघ की सुझायी कार्यपद्धति का स्वीकार करना चाहिये।

* ये केन्द्र दूसरे केंद्रों को माल दे सकते हैं।

21. किसान आश्रम ठि. पो. वहादुरावाद Bahadurabad
जिला सहारनपुर (अुत्तर प्रदेश)। कार्यक्षेत्र-रुड़की से हरिद्वार तक।
अुत्पत्ति–१८,००० रु., विक्री–१४,००० रु.

(५) कर्नाटक

22. अुत्तर कन्नड जिला ग्राम-सेवा-समिति, पो. अंकोला Ankola
जिला–अुत्तर कानडा North Kanara। कार्यक्षेत्र–अुत्तर कानडा जिला।
पूंजी–३३,००० रु., अुत्पत्ति ९,००० रु.

23. साअुथ कॅनरा विलेज अिंडस्ट्रीज असोसिअेशन, कार स्ट्रीट, मंगलोर Mangalore (South Kanara Dist.)। कार्यक्षेत्र—दक्षिण कानडा जिला। पूंजी–३८,००० रु., अुत्पत्ति २५,००० रु. विक्री २५,००० रु.

24. अेमंगल खादी केन्द्र, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पो. चितलद्रुग Chitaldrug, मैसूर राज्य। कार्यक्षेत्र–चितलद्रुग जिला। पूंजी–५८,००० रु.
अुत्पत्ति ५०,००० रु., विक्री ६५,००० रु.

25. समग्र ग्राम-सेवा समिति, ठि. पो.–हुदली Hudli, जिला–वेलगांव Belgaum। कार्यक्षेत्र–हुदली (कुंदरनाड), जिला वेलगांव।
पूंजी–१६,००० रु., अुत्पत्ति–२५,०००रु., विक्री–२५,००० रु.

26. ग्रामोद्योग सहकारी संघ लि० Cottage Industries Association
ठि. पो. सवदत्ती Saundatti, जि. वेलगांव Belgaum R. S. Belgaum S. R.
कार्यक्षेत्र–तालुका परसगड, वेलहोंगल, रामदुर्ग और खानापुर।
केन्द्र–हंचनाल, अुगरगोल, मुनवल्ली, यरगट्टी और मुरगोड।
पूंजी १२,००० रु., अुत्पत्ति–१५,००० रु., विक्री–१८,००० रु.।

(६) केरल

27. ऑल कोचिन खादी ट्रस्ट, ठि. पो. अविनिश्शेरी Avanisseri रेल्वे, स्टे० ओल्लूर, ट्रिच्यूर, (कोचीन स्टेट) कार्यक्षेत्र–अविनिश्शेरी तथा पास के ५ गांव। पूंजी–२२,००० रु., अुत्पत्ति–३०,००० रु., विक्री–३०,००० रु.

* ये केंद्र दूसरे केन्द्रों को माल दे सकते हैं।

28. ऑल कोचिन खादी को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, नं. २९३ अिंडस्ट्रियल सेंटर, ठि. पो. चेर्पू Cherpu, कोचीन स्टेट।
कार्यक्षेत्र–चेर्पू तथा पास के १० गाँव। पूंजी–६,००० रु.
अुत्पत्ति १२,००० रु., विक्री १२,००० रु.

29. मानापुरम् स्पिनर्स अँड वीवर्स असोसिअेशन, ठि. नट्टिका Nattika पो. वालापाड Valapad, Trichoor R. S. S. R. साअुथ मलबार
कार्यक्षेत्र–नट्टिका। पूंजी ४६०० रु., अुत्पत्ति १३,००० रु., विक्री १३,००० रु.

30. ग्राम सेवा चरखा संघ ट्रस्ट, महात्मा खादी आश्रम, पो. अिलंथूर Elanthoor, T. O. कोपंचेरी Kozhencherry, Punalur S. R. त्रावनकोर Travancore। कार्यक्षेत्र–अिलंथूर। पूंजी ११,५००, अुत्पत्ति ३,००० रु., विक्री–३,००० रु., विक्री केन्द्र–पत्तनंतिट्टा Pathanamthitta, Punalur S. R.

(७) गुजरात

31. सेवा-समाज खादी व ग्रामोद्योग सहकारी मण्डल लि०, महादेवभाअी खादी भण्डार और अुत्पत्ति केंद्र, ठि. पो. व्यारा Vyara, टी. वी. रेल्वे।
कार्यक्षेत्र–व्यारा तालुका। पूंजी ७,५०० रु., अुत्पत्ति–१,५०० रु., विक्री–३,६०० रु.

32. श्री कस्तूरबा सेवाश्रम (अुत्पत्ति केंद्र,) ठि. मरोली, पो. Maroli Bazar तालुका–नवसारी, रे. स्टे. मरोली, वेस्टर्न रेल्वे।
कार्यक्षेत्र–नवसारी, चौरासी तथा साचीन के ६२ गांव।
पूंजी–११,००० रु., उत्पत्ति–२६,००० रु.

33. खादी कार्यालय, पो. कारेली Kareli, ता. जंबूसर Jambusar, जिला–भडोच Broach, रेल्वे स्टेशन Mobha Road वेस्टर्न रेल्वे
कार्यक्षेत्र–भडोच जिला और पादरा तालुका। पूंजी–४,००० रु.,
अुत्पत्ति–२०,००० रु.

खादी विक्री चरखा संघ द्वारा नियत किये हुअे दरों से ही करनी चाहिये।

* ये केंद्र दूसरे केंद्रों को माल दे सकते हैं।

34. वल्लभ विद्यालय खादी विभाग (अुत्पत्ति केंद्र) ठि. पो.–बोचासण Bochasan. तालुका–बोरसद Borsad, जि.–खेडा Kaira। कार्यक्षेत्र–बोरसद और आणंद तालुका। पूंजी–३,००० रु., अुत्पत्ति ४,००० रु.

35. खादी कार्यालय, पो. मांडल Mandal, तालुका–वीरमगांव Viramgam, जि.–अहमदावाद Ahmedabad। Viramgam R. S. W. Rly. कार्यक्षेत्र–मांडल और नवा। पूंजी–१,५०० रु..

36. खादी प्रचार मंडल, ठि. पो. भादरण Bhadran, वाया–आणंद Anand। कार्यक्षेत्र भादरण, पेटलाद और बोरसद। पूंजी–३,००० रु., अुत्पत्ति–१५०० रु.

37. खादी मंडल (अुत्पत्ति केंद्र) ठि. कंसारा ओळ, पो. धोलका Dholka जिला–अहमदावाद Ahmedabad। कार्यक्षेत्र–धोलका तालुका। पूंजी–१०,००० रु., अुत्पत्ति–८,००० रु. विक्री ८,००० रु.

38. सहकारी ग्रामोद्योग भण्डार लि. संचालित शुद्ध खादी भंडार, ठि. दांडिया वाजार, पो. वडोदा Baroda। कार्यक्षेत्र–वडोदा शहर W. Rly. पूंजी–३०,००० रु. विक्री–४५,००० रु.

39. मजूर महाजन खादी हाट, पानकोर नाका, पो. अहमदावाद Ahmedabad W. Rly. कार्यक्षेत्र–अहमदावाद। पूंजी–५५,००० रु. अुत्पत्ति–१०,००० रु., विक्री २,८०,००० रु.

40. खादी मंदिर (भंडार), गांधीरोड पो. अहमदावाद Ahmedabad कार्यक्षेत्र–अहमदावाद शहर। पूंजी–६०,००० रु. विक्री–२,००,००० रु.

41. महिपतराम रूपराम आश्रम (खादी भंडार तथा अुत्पत्ति केंद्र) रायपुर दरवाजा के वाहर, अहमदावाद Ahmedabad। कार्यक्षेत्र–अहमदावाद पूंजी १०,००० रु., अुत्पत्ति–५,००० रु., विक्री–७,००० रु.

42. गांधी कुटीर, (अुत्पति केंद्र और भण्डार) ठि. पो. कराडी Karadi वाया जलालपुर, जि.–सूरत Surat। कार्यक्षेत्र–नवसारी विभाग। पूंजी–३८,००० रु., अुत्पत्ति ४०,००० रु., विक्री १४,००० रु.

विक्री मार्जिन कदापि ९–६–० % से अधिक नहीं रखना चाहिये। यातायात खर्च के लिये ३–२–० % तक जितना आता हो अुतना वढ़ाया जा सकता है।

* ये केन्द्र दूसरे केन्द्रों को माल दे सकते हैं।

43. सूरत जिला दक्षिण विभाग खादी अने ग्राम-अुद्योग सहकारी मंडल लि०
ठि. पो. कराडी Karadi, वाया जलालपुर, जि. सूरत।
कार्यक्षेत्र–नवसारी तथा अन्य ६ गांव और धरमपुर तालुका।
पूंजी–२५,००० रु. अुत्पत्ति–३०,००० रु., विक्री–६०,००० रु.।

44. शुद्ध खादी भंडार, गांधी रोड, पो. पालनपुर Palanpur, W. Rly.
जिला–बनासकांठा, अुत्तर गुजरात। कार्यक्षेत्र–पालनपुर।
पूंजी–७,००० रु., विक्री–८,००० रु.

45. शुद्ध खादी भंडार संचालन समिति–खादी भंडार, शहागारवाडी,
पो. डभोअी Dabhoi, जि. वडोदा। कार्यक्षेत्र–डभोअी।
पूंजी–१०,००० रु.

46. खादी-अुद्योग-मण्डल (अुत्पत्ति केंद्र) ठि. रामेसरा फांटा, पो. वाघोडिया
Vaghodia, जि. वडोदा। कार्यक्षेत्र–संखेडा, वाघोडिया, डभोअी
तालुका तथा पंचमहाल जिला। पूंजी–३,००० रु.

47. चीपग्रेन शॉप खादी भंडार, ठि. पो. आणन्द Anand, जि. खेडा।
कार्यक्षेत्र–आणन्द तालुका। पूंजी–१०,००० रु., विक्री–१०,००० रु.

48. शुद्ध खादी भंडार, हनुमान बाजार, ठि. पो. दाहोद Dahod, W. Rly.
जि. पंचमहाल। कार्यक्षेत्र–दाहोद तालुका। पूंजी–३,५०० रु.,
विक्री–२,००० रु.

49. सेवा संघ खादी भंडार, (अुत्पत्ति केंद्र) ठि. पो. कपडवंज Kapadwanj,
जि. खेडा। कार्यक्षेत्र–कपडवंज तालुका। पूंजी ५,००० रु.

50. शुद्ध खादी भंडार, ठि. पो. कालोल Kalol, जि. पंचमहाल Panchmahal
कार्यक्षेत्र–कालोल तालुका। पूंजी ८००० रु., विक्री २०,००० रु.

51. खादी अने ग्राम-अुद्योग सहकारी संघ लिमिटेड (अुत्पत्ति केंद्र) मु. वहेवल,
पो. अनावल Anaval, वाया बिलीमोरा W. R. कार्यक्षेत्र–महुवा, व्यारा
तथा चिखली तालुके। पूंजी ८,००० रु. अुत्पत्ति ३२,००० रु.

अुत्पत्ति से लेकर विक्री तक मार्जिन २० % से अधिक नहीं बढ़ाना चाहिये।

* ये केंद्र दूसरे केंद्रों को माल दे सकते हैं।

52. खेडा जिला सहकारी खरीद बेचाण संघ लि० (खादी विभाग) (अुत्पत्ति केन्द्र) ठि. डुमराल बाजार, पांजरापोल पो. नडियाद Nadiad, जि. खेडा। कार्यक्षेत्र–नडियाद। पूंजी–३,००० रु.

(८) सौराष्ट्र और कच्छ

53 शुद्ध खादी कार्यालय, भारतोदय मंडल, ठि. पो. पोरबंदर Porbandar (सौराष्ट्र) कार्यक्षेत्र–पोरबंदर तथा पास का ३ मील का रकबा। पूंजी–३,४०० रु. अुत्पत्ति–४,४०० रु., बिक्री–६,००० रु.

54 पंड्या खादी कार्यालय, ठि. पो. बगसरा। Bagsara (सौराष्ट्र)। कार्यक्षेत्र–बगसरा और आसपास के देहात। पूंजी–५००० रु. अुत्पत्ति–४१०० रु., बिक्री ४१०० रु.

* 55. काठियावाड खादी मंडल, (अुत्पत्ति केंद्र) ठि. पो. चलाला Chalala प्रांत अमरेली Amreli, सौराष्ट्र। पूंजी–१ लाख रु., अुत्पत्ति–१,१२,००० रु., कार्यक्षेत्र–चलाला, वरसडा, लाठी, सायला।

56. ग्रामसेवा मंडल, खादी कार्यालय, ठि. पो. सावरकुंडला Savarkundla सौराष्ट्र। कार्यक्षेत्र–कुंडला तालुका। पूंजी ६०,००० रु., अुत्पत्ति १,६०,००० रु., विक्री १,३०,००० रु.

57. गृह अुद्योग संघ, खादी कार्यालय, नागनाथ रोड, ठि. पो. अमरेली Amreli सौराष्ट्र। कार्यक्षेत्र—अमरेली। पूंजी ४,००० रु., अुत्पत्ति १,५०० रु., विक्री–५,५०० रु.

58. सरस्वती सदन, खादी कार्यालय, ठि. पो. भुज Bhuj, कच्छ Cutch। कार्यक्षेत्र–भूज और अंजार तालुका। पूंजी १,५०० रु., अुत्पत्ति–२,००० रु., विक्री–३,५०० रु.

59. ग्रामविकास मंडल, (अुत्पत्ति केंद्र) ढसा Dhasa, पो. चलाला Chalala, सौराष्ट्र। कार्यक्षेत्र–ढसा तथा पास के गांव। पूंजी–२००० रु., अुत्पत्ति २३००० रु., विक्री २३००० रु.

60. सेवासमिति संचालित खादी कार्यालय, पो. गढसीसा Gadhsisa, कच्छ। कार्यक्षेत्र–गढसीसा, मांडवी और आसपास के १५ गांव। पूंजी–२०,००० रु., अुत्पति–१४००० रु., विक्री–१४००० रु.

प्रमाणितों को वगैर सूतशर्त खादी बिक्री की इजाजत है।

* ये केंद्र दूसरे केंद्रों को माल दे सकते हैं।

61. खादी मंदिर (अुत्पत्ति केंद्र और भण्डार) राष्ट्रीय शाला, पो. राजकोट Rajkot, सौराष्ट्र। कार्यक्षेत्र–राजकोट। पूंजी–१५,००० रु., अुत्पत्ति–४०,००० रु., विक्री–४०,००० रु.

* 62. सौराष्ट्र रचनात्मक समिति, ठि. राष्ट्रीय शाला, पो. राजकोट Rajkot, सौराष्ट्र। पूंजी–२०,००० रु., अुत्पत्ति–५०,००० रु., विक्री ५०,००० रु., कार्यक्षेत्र–सौराष्ट्र राज्य।

63. ग्रामोद्योग मन्दिर, (अुत्पत्ति केंद्र) कृष्णवाडी, पो. गढ्डा (स्वामीना) Gadhada (Swamina) सौराष्ट्र। कार्यक्षेत्र–गढ्डा महाल, जिला–गोहलवाड। पूंजी–७,५०० रु., अुत्पत्ति–५,००० रु. विक्री १५,००० रु.

(९) तामिलनाड

* 64. गांधी आश्रम, ठि. पो. गांधी आश्रम Gandhi Ashram, तिरुचेनगोड्ड Tiruchengodu, जिला–सेलम Salem, S. Rly. कार्यक्षेत्र–सेलम जिला, ओल्लूर तालुका छोडकर। पूंजी–७८,००० रु., अुत्पत्ति ३,००,००० रु., विक्री ३,००,००० रु.

(१०) पंजाब

65. कस्तूरबा सेवा मंदिर, ठि. पो. राजपुरा Rajpura N. Rly. जि. पटियाला, पेप्सू-राज्य। कायक्षेत्र–राजपुरा पूंजी–१४,००० रु., अुत्पत्ति–७५,००० रु., विक्री १५,००० रु.

66. पंजाब सेंट्रल रिलीफ कमेटी, कांग्रेस भवन ठि. पो. अंबाला शहर Ambala city (पूर्व पंजाब) कार्यक्षेत्र–पंजाब तथा पेप्सू। पूंजी–५०,००० रु., अुत्पत्ति–८,००० रु., विक्री–२,५०० रु.

67. सरकारी हाथ-कताअी बुनाअी का केंद्र, Govt. Cotton Spinning and Weaving Centre, ठि. पो. जलंधर Jullundur, फोन–Secretariat 44। तार–Controller, Spinning Centres, Jullundur पूर्व पंजाब East Punjab। कार्यक्षेत्र–पूर्वी पंजाब राज्य। पूंजी १७॥ लाख रु., विक्री ५ लाख रु.

खादी व्यापार में अगर मुनाफा रहा तो अुसका विनियोग खादी कारीगरों के हितार्थ होना चाहिये। यह रकम संघ के पास अमानत रखनी चाहिये।

* ये केन्द्र दूसरे केन्द्रों को माल दे सकते हैं।

68. गांधी सेवा सदन, राजेन्द्र बाजार, ठि. पो. जम्मू Jammu काश्मीर राज्य। पूंजी ३,००० रु., अुत्पत्ति १०,००० रु.

(११) बम्बअी

69. बम्बअी अुपनगर जिला ग्रामोद्योग संघ खादी और ग्रामोद्योग भंडार, ३९६ कालबादेवी रोड, बंबअी-२ Bombay-2। तार-Gramodyog. कार्यक्षेत्र—बम्बअी शहर, अुपनगर जिला और आसपास का प्रदेश। पूंजी ८,५४,००० रु., विक्री १५,३२,००० रु.

70. कांग्रेस खादी बोर्ड खादी भंडार, ४१० कालबादेवी रोड, बम्बअी नं. २, Bombay 2। तार-Khadi Board, फोन-२११९४. कार्यक्षेत्र—बृहत् बम्बअी। पूंजी-५०,००० रु., विक्री-७४,००० रु. शाखा-कांग्रेस भवन, विठ्ठलभाअी पटेल रोड, बम्बअी नं. ४

71. गांधी सेवा सेना, अेडनवाला मॅन्शन, चौपाटी, बम्बअी नं. ७। कार्यक्षेत्र—बंबअी। विक्री-७,००० रु.

72. खादी मंदिर, अरविंद विला, जूहू रोड, पो. विलापार्ला Vilaparla, बंबअी। विक्री-५,००० रु.

73. विलेज अिंडस्ट्रीज कमेटी (ग्राम अुद्योग समिति), बंबअी राज्य, एडनवाला मॅन्शन चौपाटी, बंबअी नं. ७ Bombay No. 7 कार्यक्षेत्र-बंबअी राज्य। पूंजी १ लाख रु. अुत्पत्ति-५०,००० रु., विक्री-६०,००० रु., शाखा—बॉंबे विलेज अिंडस्ट्रीज कमेटी, कर्नाटक शाखा ठि. पो. रोण Ron, जि. धारवाड।

(१२) बंगाल

* 74. रेशम शिल्पी संघ, ठि. पो. बसुवा Baswa, जिला वीरभूम Birbhum कार्यक्षेत्र—बसुवा और आसपास के गांव। पूंजी-५०,००० अुत्पत्ति-१,००,००० रु.; विक्री-१,००,००० रु.

* 75. रेशम शिल्पी संघ, ठि. चक Chak, पो. अिस्लामपुर Islampur, जिला मूर्शिदाबाद Murshidabad। कार्यक्षेत्र—चक और आसपास के गांव। पूंजी-७८,००० रु., अुत्पत्ति-१,२५,००० रु., विक्री-१,०७,००० रु.

प्रमाणितों को वगैर सूतशर्त खादी-विक्री की अिजाजत है।
* ये केंद्र दूसरे केंद्रों को माल दे सकते हैं।

* 76. रेशम शिल्पी संघ, ठि. पो. सोनामुखी Sonamukhi जि. बांकुडा, प० बंगाल। कार्यक्षेत्र-सोनामुखी। पूंजी-३१,००० रु., अुत्पत्ति-६६,५०० रु., विक्री-५२,००० रु.

* 77. मिर्जापुर रेशम शिल्पी संघ, ठि. मिर्जापुर Mirzapur, पो. गंकर Gankar जिला मूर्शिदाबाद Murshidabad। कार्यक्षेत्र—मिर्जापुर ।४। नजदीक के ७ मील के गांव। पूंजी-१८,५०० रु., अुत्पत्ति-५४,००० रु., विक्री-५४,००० रु.

78. खादी प्रतिष्ठान, ठि. पो. सोदपुर Sodepur जिला २४ परगना, (प. बंगाल) पूंजी-२ लाख रु. विक्री-१५,००० रु.

79. खादी मंदिर, ठि. पो. डायमंड हार्बर Diamond-harbour R. S. जिला २४ परगना 24 Parganas। कार्यक्षेत्र-डायमंड हार्बर सब डिविजन। पूंजी-१०,००० रु., उत्पत्ति-४,००० रु., विक्री-७,००० रु.

80. खादी मंडल, बि ७५ कॉलेज स्ट्रीट मार्केट, ठि. पो. कलकत्ता Calcutta। कार्यक्षेत्र—आरामबाग तथा तमलुक सबडिविजन, इंदुपुर थाना तथा कलकत्ता पूंजी-१०,००० रु., अुत्पत्ति-३०,००० रु., विक्री ३२,००० रु.

81. शुद्ध खादी भंडार, १३२/१ हरिसन रोड, ठि. पो. कलकत्ता-७ Calcutta-7। कार्यक्षेत्र—कलकत्ता। पूंजी-६५,००० रु. विक्री-१,६०,००० रु.

* 82. अभय आश्रम, सी २८/३१ कॉलेज स्ट्रीट मार्केट, ठि. पो. कलकत्ता-१२ Calcutta-12। कार्यक्षेत्र—पश्चिम बंगाल। पूंजी १४,००० रु. अुत्पत्ति-१,४५,००० रु., विक्री-१,५९,००० रु.। सब तरह की रेशमी खादी बाहर भेजते हैं। कमिशन १२॥ प्रतिशत।

83. सेवासंघ, ठि. पो. कंटाअी Contai, जिला मिदनापुर Midanapore कार्यक्षेत्र कंटाई सबडिविजन। पूंजी-५,००० रु. उत्पत्ति-२,९०० रु., विक्री-४,००० रु.

84. जनता सेवक संघ, ठि. पो. तमलुक Tamluk, जि. मिदनापुर, प० बंगाल। कार्यक्षेत्र—तमलुक तथा कंटाई सब डिविजन। पूंजी-५००० रु., अुत्पत्ति १२,००० रु., विक्री-३०,००० रु.

(१३) विहार

* 85. विहार खादी समिति–सदर दफ्तर, पो. बॉ. नं. ३२, पो. मुझफ्फरपुर Muzaffarpur, विहार। तार–Khadi Samiti।
कार्यक्षेत्र—विहार राज्य सूती, रेशमी तथा ऊनी खादी अुत्पत्ति के लिये।
पूंजी–२४,३२,००० रु., उत्पत्ति २ लाख रु., विक्री–३ लाख रु.

86. आदिम जाति सेवा मंडल–खादी भंडार ठि. पो. गुमला Gumla, जि. रांची Ranchi। कार्यक्षेत्र—गुमला तथा आसपास के गांव। विक्री केंद्र–१. निवारण आश्रम, पो. रांची Ranchi, २. खादी भंडार, ठि. पो. लोहारडागा B. N. R., बुनाअी केंद्र–फोरी आश्रम, पो. टोटो Toto, जि. रांची।
पूंजी–८,००० रु., अुत्पत्ति–१०,००० रु., विक्री–१६,५०० रु.

* 87. खादी केन्द्रित रचनात्मक सहयोग समिति लि० खादी सदन, खादी भंडार, ठि. नरसिंहपुर, पो. ढोली Dholi, R. S., N. E. Rly. जि. मुझफ्फरपुर। कार्यक्षेत्र—सकरा थाना। पूंजी–१८,००० रु., अुत्पत्ति–७,००० रु., विक्री–२,४००रु.। शर्टिंग, धोती, साडी आदि सभी तरह का माल तैयार होता है। कमिशन ९।≈ रु. प्रतिशत।

88. संयुक्त खादी मंडल, ठि. पुनाअीचक, पो. पटना Patna विहार।
कार्यक्षेत्र—विहार राज्य।

(१४) महाकोशल

89. ग्राम-सेवा समिति, ठि. पो. रायपुर Raipur, E. Rly, मध्यप्रदेश।
कार्यक्षेत्र—रायपुर जिला तथा ल्लूंगा केन्द्र। पूंजी–८०,०००रु., अुत्पत्ति–७०,०००रु., विक्री–१,२५,००० रु.

90. ग्राम-सेवा समिति, खादी भंडार, ठि. पो. विलासपुर Bilaspur E. Rly. म. प्र., कार्यक्षेत्र—विलासपुर जिला। पूंजी–५,८००, विक्री–२०,०००।

प्रमाणित खादी उत्पत्ति करनेवाली संस्था को खादी की शुद्धता के लिये चरखा संघ की सुझायी कार्य पद्धति का स्वीकार करना चाहिये।

* ये केंद्र दूसरे केन्द्रों को माल दे सकते हैं।

91. ग्राम-सेवा मंडल, गांधी चौक ठि. पो. दमोह Damoh C. Rly म. प्र.
कार्यक्षेत्र—दमोह जिला। पूंजी २००० रु. बिक्री–५००० रु.।

92. ग्राम सेवा समिति, खादी भंडार, ठि. पो. जबलपुर Jabalpur C. R. म. प्र।
फोन–७६, तार-खादी भंडार।
कार्यक्षेत्र—जबलपुर जिला। पूंजी–१०,००० रु., बिक्री–६०,००० रु।

93. रुद्रप्रताप स्मारक संघ, ठि. पो. नरसिंहपुर Narsinghpur म. प्र.
कार्यक्षेत्र—नरसिंहपुर सबडिविजन। पूंजी–६,५०० रु.,
विक्री–५,००० रु.।

94. गांधी सेवा समिति, ठि. पो. बोहानी Bohani, वाया–गाडरवारा,
जि. होशंगाबाद म. प्र.। कार्यक्षेत्र—नरसिंहपुर सब-डिविजन।
पूंजी–५,००० रु., अुत्पत्ति–२,००० रु., बिक्री–१०,००० रु.।

(१५) महाराष्ट्र

95. कोल्हापुर जिला खादी संघ, खादी भंडार, रविवार पेठ, गुजरी, पो.
कोल्हापुर Kolhapur S. Rly.। कार्यक्षेत्र—कोल्हापुर जिला।
पूंजी–१६,००० रु., अुत्पत्ति–८,०००, बिक्री–३०,००० रु.।

96. अेरंडोल ताल्लुका विधायक कार्य-समिति, मार्फत-रामनारायण कावरा
कार्यवाह, ठि. पो. अेरंडोल Erandol, W. Rly जिला पूर्वखानदेश East
Khandesh। कार्यक्षेत्र–अेरंडोल तथा पारोला ताल्लुका। पूंजी-५,००० रु.,
अुत्पत्ति–१९,५०० रु. बिक्री–३५,००० रु.।

97. पूर्व खानदेश खादी सेवा संघ–खानदेश शुद्ध खादी भंडार, सुभाष चौक,
ठि. पो. जलगांव Jalgaon, C. Rly जिला–पूर्व खानदेश
कार्यक्षेत्र–जलगांव। पूंजी–७००० रु., बिक्री–३५००० रु.।

98. खादी ग्रामोद्योग ग्राहक सहकारी मंडल लिमिटेड, खादी भंडार, गांधी रोड
पो. पंढरपुर Pandharpur B. L. Rly. जि. सोलापुर Sholapur.
कायक्षेत्र–पंढरपुर शहर। पूंजी–६००० रु., बिक्री–१५००० रु.।

खादी कारीगरों को संघ-मान्य दरों से कम पारिश्रमिक नहीं देना चाहिये।

* ये केन्द्र दूसरे केन्द्रों को माल दे सकते हैं।

99. खादी अुत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड, खादी भंडार
ठि. पो. पंढरपुर Pandharpur B. L. Rly. जि. सोलापुर।
कार्यक्षेत्र–पंढरपुर शहर तथा पासका ११ मील का क्षेत्र। पूंजी–७००० रु.,

100. चिपलून तालुका खादी संघ, पो. चिपलून Chiplun, जि. रत्नागिरी Ratnagiri। कार्यक्षेत्र–चिपलून तालुका। पूंजी–२००० रु., विक्री–४००० रु.।

101. खादी ग्रामोद्योग, सहकारी ग्राहक मंडल लिमिटेड, खादी भंडार, ८२९ हलवाअी गल्ली, सोलापुर Sholapur, C. Rly. कार्यक्षेत्र–सोलापुर शहर। पूंजी–८००० रु., विक्री–४०,००० रु.

102 जनता शिक्षण मंडल, ठि. पो. खिरोदा Khiroda,
वाया–फैजपुर Faizpur. जिला–पूर्व खानदेश East Khandesh।
कार्यक्षेत्र–खिरोदा। पूंजी–२००० रु., विक्री–३०० रु.।

103. पूना जिला खादी और ग्रामोद्योग सहकारी संघ लि. घर नंबर ९१९ सदाशिव पेठ, पूना–२ Poona 2–C. Rly.। कार्यक्षेत्र–पूना जिला और शहर। पूंजी–२०,००० रु., विक्री–७०,००० रु.।

104. पश्चिम खानदेश जिला सहकारी खादी अुत्पत्ति व विक्री मंडल नियमित खादी भांडार, गोशाला, आग्रारोड, धूलिया Dhulia C. Rly.।
कार्यक्षेत्र–पश्चिम खानदेश। पूंजी–१८००० रु., अुत्पत्ति–२५०० रु.,
विक्री–६५००० रु.।

105. सहकारी ग्रामोद्योग और खादी संघ लि. खादी भंडार, वरवे बिल्डिंग, मेनरोड, ठि. पो. नासिक सिटी Nasik City। कार्यक्षेत्र–नासिक जिला।
पूंजी–३५००० रु., विक्री–१ लाख रु.।

106. दक्षिण सातारा जिला, खादी और ग्रामोद्योग वस्तु ग्राहक सहकारी संघ, हरभट रोड, पो. सांगली Sangli, जि. दक्षिण सातारा S. R.। कार्यक्षेत्र–दक्षिण सातारा जिला। पूंजी–५,००० रु., विक्री–१७,००० रु.।

107. प्रमाणित खादी भंडार, C/o धन्वंतरी फार्मसी, ठि. पो. अहमदनगर Ahmednager, C. Rly.। कार्यक्पेत्र–अहमदनगर जिला।

खादी-विक्री चरखा संघ द्वारा नियत किये हुअे दरों से ही करनी चाहिये।

* ये केंद्र दूसरे केंद्रों को माल दे सकते हैं।

(१६) नाग-विदर्भ

108. ग्राम सेवा मंडल, गोपुरी, ठि. पो. नालवाडी Nalwadi, जिला वर्धा Wardha C. Rly. म. प्र.। फोन-४९। कार्यक्षेत्र-वर्धा जिला। पूंजी-५०,००० रु. अुत्पत्ति-१२००० रु. बिक्री-१,२५,००० रु.।

109. खादी प्रचारक मंडल, खादी भंडार, जलालपुरा मेन रोड, पो. खामगांव Khamgaon C. Rly. बरार। कार्यक्षेत्र-खामगांव। पूंजी-२००० रु., बिक्री-१५००० रु.।

110. अमरावती जिला खादी ग्रामोद्योग प्रचार समिति-कांग्रेस खादी भंडार, जवाहर रोड ठि. पो. अमरावती Amraoati (Berar) कार्यक्षेत्र-अमरावती पूंजी-१०,००० रु.; बिक्री-२०,००० रु.

111. वस्त्र स्वावलंबन प्रचार समिति, ठि. पो. कारंजा Karanja, जि. आकोल म. प्र.। कार्यक्षेत्र-मूर्तिजापुर तथा मंगरूळ तहसील। पूंजी-२००० रु., अुत्पत्ति-७५० रु., बिक्री-१२,००० रु.

112. नागपुर खादी मंडल, खादी वस्त्रालय, महाल, पो. नागपुर Nagpur म. प्र. कार्यक्षेत्र-नागपुर जिला। पूंजी-१४,००० रु. बिक्री-२४,००० रु.।

113. भंडारा जिला सहायक समिति-खादी भंडार, ठि. पो. गोंदिया Gondia, जि. भंडारा Bhandara म. प्र.। कार्यक्षेत्र-भंडारा जिला पूंजी-८५०० रु. बिक्री-५०,००० रु.।

114. तिलक राष्ट्रीय सरस्वती मंदिर-खादी भंडार, अकोला Akola, C. Rly. बरार Berar। कार्यक्षत्र-अकोला तथा बुलडाना जिला। पूंजी-१२,००० रु., बिक्री ३५,०००।

(१७) राजस्थान

115. मध्यभारत खादी संघ, ठि. पो. सबलगढ Sabalgarh, ग्वालियर Gwalior, (मध्यभारत) कार्यक्षेत्र-मध्यभारत। पूंजी-१,५२,००० . अुत्पत्ति १,८०,००० रु., बिक्री-२,५४,००० रु.।

अुत्पत्ति से लेकर बिक्री तक मार्जिन २०% से अधिक नहीं बढाना चाहिये।

* ये केंद्र दूसरे केंद्रों को माल दे सकते हैं।

* 116. मत्स्य राज्य ग्रामसेवा मंडल, ठि. पो. करौली Karauli, जि. सवाओी-माधोपुर, राजस्थान। Hindaun City R. S., W. R.
कार्यक्षेत्र–करौली, अलवर। पूंजी–७०,००० रु.,
अुत्पत्ति–१,६३,००० रु., बिक्री–१,७५,००० रु.।

* 117. शाहपुरा खादी अुत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, ठि. पो. शाहपुरा Shahpura, जि. जयपर। कार्यक्षेत्र–शाहपुरा तथा १० मील के गांव।
पूंजी–१५,००० , अुत्पत्ति ५०,००० , बिक्री–५०,००० रु.

* 118. वैराठ खादी अुत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, नाहरगढ रोड, जयपुर Jaipur,। कार्यक्षेत्र–वैराठ तथा जयपुर। पूंजी–१२,५०० रु.,
अुत्पत्ति–३५,००० रु., विक्री–४२००० रु.।

* 119. राजस्थान खादी संघ, ठि. पो. चौमूं Chomu, जिला जयपुर Jaipur, जयपुर राज्य। कार्यक्षेत्र–जयपुर राज्य। तार–Khadi, फोन ५१२ Jaipur पूंजी–३ लाख, अुत्पत्ति–५ लाख, विक्री ७ लाख।

120. खादी मन्दिर, ठि. पो. बीकानेर Bikaner। कार्यक्षेत्र–बीकानेर रियासत
पूंजी–१२,००० रु., अुत्पत्ति–३०,००० रु., विक्री–३०,००० रु.।

121. खारीतट सर्वोदय संघ, ठि. पो. शाहपुरा Shahpura (राजस्थान)
कार्यक्षेत्र–भीलवाडा जिला। पूंजी–४००० रु., अुत्पत्ति–२५००० रु.,
विक्री–५०००।

122. केंद्रीय सर्वोदय सहकारी संघ, नाहरगढ़ रोड, ठि. पो. जयपुर Jaipur, (राजस्थान) कार्यक्षेत्र–सवाओी माधोपुर तथा जयपुर जिला।
पूंजी–५००० रु., अुत्पत्ति–३०,००० रु. विक्री–१ लाख रु.

123. अुद्योग मन्दिर, जौहरी बाजार, ठि. पो. जयपुर Jaipur, राजस्थान।
कार्यक्षेत्र–अचरौल, अर्जुनपुरा, घोला, ताला आदि ११ गांव।
पूंजी–३८००० रु., अुत्पत्ति १,३०,००० विक्री–१,३०,००० रु.।

* 124. हिंडौन खादी अुत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, ठि. पो. हिंडौन Hindaun, जिला-जयपुर Jaipur, R. S. Hindaun city W. R.
कार्यक्षेत्र–निजामत हिंडौन। पूंजी–२५,००० रु. अुत्पत्ति–६०,००० रु.,
बिक्री–७०,००० रु.।

बिकी मार्जिन कदापि ९–६–० % से अधिक नहीं रखना चाहिये। यातायात खर्च के लिये ३–२–० % तक जितना आता हो अुतना बढ़ाया जा सकता है।

* ये केन्द्र दूसरे केंद्रों को माल दे सकते हैं।

125. मारवाड खादी संघ, खादी भंडार, जसवन्त सराय, २६-२७, ठि. पो. जोधपुर Jodhpur, राजस्थान। कार्यक्षेत्र–जोधपुर जिला। अुत्पत्ति केन्द्र-मथानिया। पूंजी–१५,००० रु., अुत्पत्ति–२४,००० रु., विक्री–२४,००० रु.।

126. अजमेर राज्य खादी ग्रामोद्योग सहकारी समिति लि० खादी भंडार, लोढा धर्मशाला, ठि. पो. अजमेर Ajmer। पूंजी–१०,००० रु., विक्री–२५,००० रु.

(१८) हैदराबाद

*127. हैदराबाद खादी समिति, गांधी भवन, मुखरमजाही रोड़, हैदराबाद दक्षिण Hyderabad Dn. C. R.। कार्यक्षेत्र–हैद्राबाद राज्य।
पूंजी–२ लाख रु., अुत्पत्ति–७॥ लाख रु., विक्री–७॥ लाख रु.।

*128. खादी ग्रामोद्योग प्रचार समिति, सिरपुर कागजनगर Sirpur Kagaj-nagar C. R. ता. असिफाबाद। कार्यक्षेत्र–रेवना तथा आसपास के गांव
पूंजी–१७,५०० रु. अुत्पत्ति–१,७५,००० रु. विक्री–१,७५,००० रु.

*129. हैदराबाद कर्नाटक ग्राम सेवा संघ, नारायणगुडा, हैदराबाद (दक्षिण) Hyderabad (Dn.), कार्यक्षेत्र–रायचूर, गुलबर्गा, बीदर जिले, हूनगुंड गोपाल पेठ।

पूंजी–८०,००० रु., अुत्पत्ति–१,३०,००० रु., विक्री–१,३०,००० रु.।

प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में मोटे नियम

1. प्रमाणितों को बगैर सूतशर्त खादी-बिक्री की अिजाजत है।
2. प्रमाणपत्र संस्था को दिया जाता है, व्यक्ति को नहीं।
3. प्रमाणित खादी-अुत्पत्ति करनेवाली संस्था को खादी की शुद्धता के लिये चरखा संघ की सुझायी कार्यपद्धति का स्वीकार करना चाहिये।
4. खादी कारीगरों को संघ-मान्य दरों से कम पारिश्रमिक नहीं देना चाहिये
5. खादी-बिक्री चरखा संघ द्वारा नियत किये हुअे दरों से ही करनी चाहिये।
6. अुत्पत्ति से लेकर बिक्री तक मार्जिन २० % से अधिक नहीं बढ़ना चाहिये।
7. बिक्री मार्जिन कदापि ९–६–० % से अधिक नहीं रखना चाहिये। यातायात खर्च के लिये ३–२–० तक जितना आता हो अुतना बढ़ाया जा सकता है।
8. खादी व्यापार में अगर मुनाफा रहा तो अुसका विनियोग खादी कारीगरों के हितार्थ खर्च होना चाहिये।

माल मंगवाना हो तो

9. ऑर्डर की तीन नकलें, छपे हुअे ऑर्डर फार्म पर अखिल भारत चरखा संघ, प्रधान कार्यालय, प्रमाणपत्र विभाग, सेवाग्राम वर्धा, (म. प्र.) के पते से बुकपोस्ट से ही भेजनी चाहिये। आवश्यक हो तो अलग से कार्ड लिख दिया जाय। तीन नकलों में से अेक नकल प्रधान कार्यालय के लिये, दूसरी नकल प्रांतीय शाखा के दफ़्तर के लिअे तथा तीसरी नकल संबधित संस्था के लिअे होती है। ऑर्डर सुवाच्य अक्षरों में हिन्दुस्तानी में लिखी जाय दक्षिण भारत के लिये ऑर्डरें हिंदुस्तानी में टाअिप कराके भेजी जाय, क्यों कि दक्षिण भारत के भाअी हस्तलिखित हिंदुस्तानी पढ़ने में कठिनता महसूस करते हैं। टाअिप करने की सुविधा न हो तो फिर अैसी ऑर्डरें अंग्रेजी में लिखें।

बिक्री-दरों का हिसाब

10. पड़ता और बिक्री दर के बीच में जो मार्जिन रहता है अुसका हिसाब तुरंत हो जाना चाहिये। यानी बिक्री की सब खादी का हिसाब बिक्री दर में ही रहना चाहिये। अिसलिये बिक्री के लिये जो भी मार्जिन लगाया जाता हो अुसका हिसाब कर लेना चाहिये।

प्रमाणित संस्थाओं के अुपकेन्द्र

(सन १९५२-५३ के लिये)

अुत्तर प्रदेश

श्री गांधी आश्रम, मेरठ

प्रधान कार्यालय-मेरठ Meerut, अुत्तर प्रदेश, फोन-५८५

अुत्पत्ति केंद्र

1.	श्री गांधी आश्रम,	अकबरपुर Akbarpur, जि. फैजाबाद
2.	,,	अलीगढ Aligarh, जि. अलीगढ
3.	,,	गोरखपुर Gorakhpur, जि. गोरखपुर
4.	,,	नगीना Nagina, जिला बिजनौर
5.	,,	बुलन्दशहर Buland Shahar
6.	,,	महुवर, पो० बलुवा Balua, जिला बनारस
7.	,,	मिल्की, पो. बैरिया Bairia, जिला बलिया
8.	,,	मेरठ Meerut
9.	,,	राठ Rath, जिला हमीरपुर
10.	,,	रामपुर मनिहारन Rampur Maniharan, जि० सहारनपुर
11.	,,	सैदपुर Saidpur, जि० गाजीपुर
12.	,,	मुरादाबाद Muradabad
13.	,,	हापुड Hapur, जि० मेरठ

खादी व्यापार में अगर मुनाफा रहा तो अुसका विनियोग खादी कारीगरों के हितार्थ होना चाहिये।

ता. 1-7-52 से 30-6-53 तक के लिये अधिकृत।

अूनी अुत्पत्ति केंद्र

14. श्री गांधी आश्रम,	चनौदा Chanauda, जिला अलमोडा
15. „	पामपुर Pampur, काश्मीर
16. „	श्रीनगर Srinagar, काश्मीर

रेशम अुत्पत्ति केंद्र

17. श्री गांधी आश्रम,	जलालपुर, पो० सूजापुर Sujapur, जि० माल्दा, बंगाल
18. „	सोनामुखी Sonamukhi, जि. बांकुडा, बंगाल
19. „	बनारस Banaras
20. „	अकबरपुर Akbarpur, जि० फैजाबाद

लोकसेवा तथा शिक्षण केंद्र

21. श्री गांधी आश्रम,	घाटेडा Ghateda, जिला सहारनपुर
22. „	सेवापुरी Sevapuri, जिला बनारस

सरंजाम तथा ग्रामोद्योग केंद्र

23. श्री गांधी आश्रम	मेरठ Meerut
24. „	अकबरपुर Akbarpur, जिला फैजाबाद
25. „	सेवापुरी Sevapuri, जि० बनारस

रंगाअी व छपाअी केंद्र

26. श्री गांधी आश्रम	मेरठ Meerut
27. „	अकबरपुर Akbarpur, जि० फैजाबाद

प्रमाणितों को बगैर सूतशर्त खादी बिक्री की अिजाजत है।

कृषि और गोपालन केंद्र

28. श्री गांधी आश्रम ठि. पो. काशीपुर Kashipur, जि० नैनीताल
29. „ ठि. पो. हल्द्वानी Haldwani „

विक्री केंद्र

1. श्री गांधी आश्रम खादी भंडार, चांदनी चौक, दिल्ली Delhi
2. „ „ कनाट प्लेस, नयी दिल्ली, New-Delhi
3. „ „ आगरा Agra
4. „ „ सुभाष बाजार, मेरठ Meerut
5. „ „ मल्लीताल, नैनीताल Nainital
6. „ „ हलद्वानी Haldwani, जिला नैनीताल
7. „ „ मुजफ्फरनगर Muzaffarnagar
8. „ „ अिटावा Itawa
9. „ „ देहरादून Dehradoon
10. „ „ सहारनपुर Saharanpur
11. „ „ फर्रुखाबाद Farrukhabad
12. „ „ बरैली Baraillі
13. „ „ मुरादाबाद Muradabad
14. „ „ मैनपुरी Mainpuri
15. „ „ पीलीभीत Pilibhit
16. „ „ रेल्वे रोड, अलीगढ़ Aligarh
17. „ „ मथुरा Mathura
18. „ „ एटा Eta

प्रमाणित खादी उत्पत्ति करनेवाली संस्था को खादी की शुद्धता के लिये चरखा संघ की सुझायी कार्यपद्धति का स्वीकार करना चाहिये।

19. श्री गांधी आश्रम खादी भंडार, रामपुर (रियासत) Rampur (State)
20. „ „ शाहजहांपुर Shahjanpur
21. „ „ अलमोडा Almoda
22. „ „ सेन्ट्रल स्टोर, मेरठ Meerut
23. „ „ वुलानाला, वनारस Banaras
24. „ „ गोदौलिया, वनारस Banaras
25. „ „ वनारस युनिव्हर्सिटी, वनारस Banaras
26. „ „ हजरतगंज, लखनऊ Lucknow
27. „ „ लाटूश रोड, लखनऊ Lucknow
28. „ „ जवाहर स्क्वायर, इलाहावाद Allahabad
29. „ „ रायगंज, गोरखपुर Gorakhpur
30. „ „ गोलघर, गोरखपुर Gorakhpur
31. „ „ वलिया Balia
32. „ „ फैजावाद Faizabad
33. „ „ सितापुर Sitapur
34. „ „ लखीमपुर खेरी, Lakhimpur Kheri
35. „ „ वारवंकी Barabanki
36. „ „ झांसी Jhansi
37. „ „ देवरिया Deoria
38. „ „ गोंडा Gonda
39. „ „ मिर्जापुर Mirzapur
40. „ „ वांदा Banda
41. „ „ वहराअिच Bahraich
42. „ „ जौनपुर Jaunpur

43 श्री गांधी आश्रम खादी भंडार, रायबरेली Rai Baraili
44. „ „ फतेहपुर Fatehpur
45. „ „ प्रतापगढ Pratapgarh
46. „ „ गाजीपुर Gazipur
47. „ „ बस्ती Basti
48. „ „ महोवा Mahoba, जि. बांदा
49. „ „ हाथरस Hathras, जिला अलीगढ
50. „ „ बडौत Badaut, „ मेरठ
51. „ „ खतौली Khatauli, „ मुजफ्फरनगर
52. „ „ शामली Shamli, „ „
53. „ „ नकुड Nakud, „ सहारनपुर
54. „ „ देवबन्द Deoband, „ „
55. „ „ रुडकी Rurki, „ „
56. „ „ खरखौदा Karkhauda, „ मेरठ
57. „ „ मवानाकलां Mavanakalan, „ „
58. „ „ चरथावल Charthaval, „ मुजफ्फरनगर
59. „ „ किठौर Kithor, „ मेरठ
60. „ „ गोशाइगंज Gohaiganj, „ फैजाबाद
61. „ „ शाहगंज Shahganj, „ जौनपुर
62. „ „ सुलतानपुर Sultanpur, „ „
63. „ „ सादात Sadat, „ गाजीपुर
64. „ „ सहतवार Sahatwar, „ बलिया
65. „ „ हल्दी Haldi, „ „

खादी बिक्री चरखा संघ द्वारा नियत किये दरों से ही करनी चाहिये ।

66. श्री गांधी आश्रम खादी भंडार, मुगलसराय Mugalsarai जिला बनारस
67. " " सिकन्द्राबाद Sikandrabad " बुलन्दर शहर
68. " " जहांगीरगंज Jahangirganj " बुलन्द शहर
69. " " डिवाई Dibai
70. " " चन्दौसी Chandausi " "
71. " " अमरोहा Amroha " मुरादाबाद
72. " " काठ Kath " "
73. " " सिकन्दराराऊ Sikandrarau " अलीगढ
74. " " खैर Khair
75. " " बिजनौर Bijnor " "
76. " " धामपुर Dhampur " बिजनौर
77. " " नजीबाबाद Najibadad " "
78. " " चांदपुर Chandpur " "
79. " " कीरतपुर Kiratpur " "
80. " " शिवहारा Shivhara " "
81. " " थम्बूवाला Thambuwala " "
82. " " पिलखुवा Pilkhua " "
83. " " बकसर Baksar " मेरठ
84. " " हापुड Hapud " "
85. " " गाजियाबाद Gajiabad " "
86. " " जवाहरगंज, जबलपुर Jabalpur म. प्र. "
87. " " कटनी Katni, जि. जबलपुर म. प्र.

खादी अेजन्सियां

1. अेजन्सी श्री गांधी आश्रम, शुद्ध खादी भण्डार, ज्वालापुर Jwalapur, जि० सहारनपुर

उत्पत्ति से लेकर बिक्री तक मार्जिन २० % से अधिक नहीं बढाना चाहिये।

2, अेजन्सी श्री गांधी आश्रम फिरोजाबाद Firozabad, जि. आगरा
3. ,, ,, सत्याश्रम, अछनेरा Achhnera, ,, आगरा
4. ,, ,, फतेहपुर सीकरी Fatehpur Sikri ,, ,,
5. ,, ,, बरहन Barhan ,, ,,
6. ,, ,, तुलसीपुर Tulsipur, ,, गोंडा
7. ,, ,, लखना Lakhna, ,, अिटावा
8. ,, ,, भरथना Bharthana ,, ,,
9. ,, ,, जसवन्तनगर Jaswantnagar ,, ,,
10. ,, ,, कुसमरा Kusmara, ,, मनपुरी
11. ,, ,, चमेली आश्रम, कन्त्यूखेडा, पो० हरपालपुर Harpalpur जि० हरदोओ
12. ,, ,, बिधूना Bidhuna जि० अिटावा
13. ,, ,, निचनौल Nichnaul ,, गोरखपुर
14. ,, ,, ग्राम दलअीकापुर, पो० रसडा Rasda ,, बलिया
15. ,, ,, ग्राम बसेडा, पो० लालगंज Lalganj, ,, मिर्जापुर
16. ,, ,, पिपरोली बाजार Piprauli Bazar जि. गोरखपुर
17. ,, ,, महोली Maholi, जिला सीतापुर
18. ,, ,, कबरअी Kabrai, जिला हमीरपुर
19. ,, ,, पंचायती खादी भंडार, अझुवा Azua, जि. अिलाहाबाद
20. ,, ,, दिलदारनगर Dildarnagar, जि. गाजीपुर
21. ,, ,, ठि. पो. बदायूं Badaun
22. लोक सेवक संघ, ठि. पो. टुद्धि Tuddhi, जि. मिर्जापुर

विक्री मार्जिन कदापि ९-६-० % से अधिक नहीं रखना चाहिये। यातायात खर्च के लिये ३-२-० % तक जितना आता हो अुतना बढ़ाया जा सकता है।

23. श्री व्रजनंद शर्मा, ठि. पो. ललितपुर Lalitpur जि. झांसी।
24. श्री चारुशील शरण गुप्त, ठि. पो. चिरगांव Chirgaon, जि. झांसी।
25. श्री महाराजदीन मिश्र ठि. पो. सिहोरा Sihora, जि. जबलपुर म. प्र.
26. श्री छोटेलाल भास्करजी, ग्राम सेवा मंडल, ठि. पो. दमोह Damoh, जि. सागर म. प्र.
27. श्री बाबुलाल सोनी, ठि. पो. सागर Sagar, म. प्र.
28. शम्भूनाथ शुक्ल, ठि. पो. रीवां Rewa, विंध्यप्रदेश
29. अेजन्सी श्री गांधी आश्रम, ठि. पो. कासगंज Kasganj जि. अेटा अु. प्र.

स्वराज्य आश्रम, कानपुर

प्रधान कार्यालय–जनरल गंज, ठि. पो. कानपुर Kanpur (अु. प्र.)
Kanpur Central R. S. E. R.

अुत्पत्ति केंद्र

1. स्वराज्य आश्रम, ठि. पो. मल्लावां Mallawan, जि. हरदोअी उ. प्र.
2. „ „ सेंट्रल स्टोर ठि. पो. अरौल Araul, जि. कानपुर, Araul-Makanpur, R. S. E. R.

सरंजाम अुत्पत्ति केंद्र

3. स्वराज्य आश्रम, ठि. पो. रामनगर Ramnagar, जि. कानपुर

बिक्री केंद्र

4. स्वराज्य आश्रम, ग्रामोद्योग भंडार, जनरलगंज ठि. पो. कानपुर Kanpur, अु. प्र.
5. स्वराज्य आश्रम खद्दर भंडार जनरलगंज ठि. पो. कानपुर Kanpur, अु. प्र.

खादी व्यापार में अगर मुनाफा रहा तो अुसका विनियोग खादी कारीगरों के हितार्थ होना चाहिये। यह रकम चरखा संघ के पास अमानत रखनी चाहिये।

6. स्वराज्य आश्रम खद्दर भण्डार कस्तूरबा गांधी रोड, ठि. पो. कानपुर Kanpur, उ. प्र.

7. „ „ ठि. पो. उन्नाव Unnao R. S., E. R. उ. प्र.

8. „ „ ठि. पो. हरदोई Hardoi R. S., E. R. उ. प्र.

ग्राम-उद्योग ट्रस्ट, पुखरायां

1. प्रधान कार्यालय–ठि. पो. पुखरायां Pukhrayan, जि. कानपुर उ. प्र. (यहीं पर संस्था का विक्री भंडार और ग्रामोद्योग हायर सेकंडरी स्कूल है।)

2. ग्राम-उद्योग शाला–ठि. पो. कालपी Kalpi, जि. जालौन उ. प्र. (विक्री भंडार, वर्धा घानी कार्यालय, चरखा सरंजाम कार्यालय, ऊनी सेन्टर तथा कागज सेन्टर)

3. „ „ ठि. पो. उरई Urai, उ. प्र. (विक्री भंडार, चरखा-घलव तथा कताई मंडल)

4. „ „ ठि. पो कोच Koch, उ. प्र. (कताई मंडल, चरखा ट्रेनिंग सेंटर, वस्त्रस्वावलंबन प्रयोग केंद्र)

„ „ ठि. पो. मउरानीपुर Mauranipur, जि. झांसी उ. प्र. (कताई मंडल, चरखा ट्रेनिंग सेंटर, वस्त्र-स्वावलंबन केंद्र.)

6. खादी आश्रम ठि. पो. खुरजा Khurja, जि. बुलन्दशहर, उ. प्र. (उत्पत्ति तथा विक्री केंद्र)

7. सेवा सदन, ठि. पो. गौर Gaur, जि. कानपुर (औषधालय, पुस्तकालय तथा वाचनालय)

ग्रामशिक्षा निकेतन, महुअवा नंदना

1. प्रधान कार्यालय–महुअवा–नन्दना Mahuawa-nandana, पो. पिपरपांति Piparpanti, जि. गोरखपुर, उ. प्र.

2. शिक्षण केंद्र : महुअवा-नन्दना, पो. पिपरपांति, जि. गोरखपुर।

3. सरंजाम निर्माण केंद्र : महुअवा-नन्दना, पो. पिपरपांति, जि. गोरखपुर।

4. दुनाओ शिक्षण केंद्र : महुअवा-नन्दना, पो. पिपरपांति, जि. गोरखपुर।
5. सूत केंद्र : हाटा Hata, जि. देवरिया।
6. „ : देवगांव Deogaon, पो. गौरीबाजार, जि. देवरिया।
7. „ : पचलडी Pachladi, पो. सरांव, जि. देवरिया।
8. खादी उत्पत्ति केंद्र : पचलडी, पो. सरांव, जि. देवरिया।
9. बिक्री केंद्र : पडरौना Padrauna, देवरिया।
10. „ : महुअवा-नन्दना, पो. पिपरपांति, जि. गोरखपुर।

गुजरात

महिपतराम अनाथाश्रम, अहमदाबाद, Ahmedabad

अेजन्सी

1. सर्वोदय आश्रम, ठि. पो. वालम Valam जि. महेसाणा, अुत्तर गुजरात, W. R.

मजूर महाजन खादी हाट, अहमदाबाद

1. प्रधान कार्यालय–पानकोर नाका, पो. अहमदाबाद Ahmedabad W. R.

अेजंसियाँ

2. दवे खादी भंडार, ठि. पो. पाटण Patan, जि. महेसाणा, अुत्तर गुजरात W. R.
3. सेवा संघ खादी भंडार, ठि. पो. कपडवंज Kapadvanaj, वाया नाडियाद
4. सरस्वती सदन खादी भंडार, ठि. पो. भुज Bhuj, कच्छ
5. सर्वोदय खादी भंडार, ठि. पो. हारिज Harij, जि. महेसाणा, अुत्तर गुजरात
6. शुद्ध खादी भंडार, ठि. पो. सिद्धपुर Sidhpur „ „ „
7. गृह उपयोग वस्तु भंडार, ठि. पो. कडी Kadi वाया–कालोल W. R.
8. शुद्ध खादी भंडार, ठि. पो. बावला Baola, जि. अहमदाबाद W. R.

9. डॉ० द्वारकादास डी. जोशी, ठि. पो. वडनगर Vadnagar, जि. महेसाना

10. शुद्ध खादी भंडार, ठि. पो. मोडासा Modasa, वाया तलोद A. P. Rly.

11. खादी प्रचार मंडल, ठि. पो सिद्धपुर Sidhpur, जि. महेशाणा W. R.

12. अमृतलाल कालीदास देसाजी, ठि. पो. थराड Tharad जि. बनासकांठा अुत्तर गुजरात.

13. अुद्योग मंदिर खादी भंडार, ठि. शामळाजी Shamlaji, पो. टिंटोओ Titoi, वाया मोडासा, जि. साबरकांठा A. P. R.

14. नवजीवन कार्यालय, ठि. पो. अहमदाबाद Ahmedabad-9. W. R.

सौराष्ट्र रचनात्मक समिति, राजकोट

1. प्रधान कार्यालय—राष्ट्रीय-शाला, पो. राजकोट Rajkot, सौराष्ट्र W. R.

उत्पत्ति केन्द्र

1. ग्राम दक्षिणामूर्ति, ठि. पो. आंबला Ambla
2. सर्वोदय आश्रम, ठि. पो. शाहपुर Shahpur
3. रुपायतन, ठि. पो. जुनागढ Junagarh
4. वात्सल्य धाम, ठि. पो. मालपरा Malpara
5. सर्वोदय मंदिर, ठि. पो. तरवडा Tarwada
6. सर्वोदय आश्रम, ठि. पो. खांभोदर Khambhodar
7. सर्वोदय आश्रम, ठि. पो. फुलपर Fulpur
8. किर्ति मंदिर, ठि. पो. पोरबंदर Porbandar
9. रचनात्मक-केन्द्र ठि. पो. केवद्रा Kevadra
10. „ „ ठि. पो. मेंदरडा Mendarda

प्रमाणित खादी अुत्पत्ति करनेवाली संस्था को खादी की शुद्धता के लिये चरखा संघ की सुझायी कार्य पद्धति का स्वीकार करना चाहिये।

11.	रचनात्मक-केन्द्र	ठि. पो.	महियारी Mahiyari
12.	"	"	शील Sheel
13.	"	"	सुत्रापाडा Sutrapada
14.	"	"	भंडुरी Bhanduri
15.	"	"	मोटी मोणपरी Moti Monpari
16.	"	"	लालपर Lalpar
17.	"	"	जाम जोधपुर Jamjodhpur
18.	"	"	रावळ Raval
19.	"	"	राजपरा Rajpara
20.	"	"	सुपेडी Supedi
21.	"	"	सथरा Sathra
22.	"	"	लीमडी Limdi
23.	"	"	कटुडा Katuda
24.	"	"	धोलेरा Dholera
25.	"	"	महुवा Mahua
26.	"	"	चोरवाड Chorwad
27.	"	"	मांडवा Mandwa
28.	"	"	फटाणा Fatana
29.	खादी शाला	ठि. पो.	कुतियाणा Kutiana
30.	"	"	बांटवा Bantva

<u>बिक्री केन्द्र</u>

31.	खादी भंडार	ठि. पो.	जूनागढ Junagarh
32.	"	"	सुरेन्द्रनगर Surendranagar

खादी व्यापार में अगर मुनाफा रहा तो उसका विनियोग खादी कारीगरों के हितार्थ होना चाहिये। यह रकम चरखा संघ के पास अमानत रखनी चाहिये।

ग्राम सेवा मंडल, सावरकुंडला

अुत्पत्ति केन्द्र

1. खादी कार्यालय, सावरकुंडला Savar Kundala–खादी अुत्पत्ति, स्वावलंबी, खादी, सरंजाम कार्यालय, रंगाअी विभाग, शहर सुधराअी।
2. खादी कार्यालय, थोरडी Thordi। खादी अुत्पत्ति, स्वावलंबी खादी, गौवंश-सुधार, तेलघानी, खेती।
3. खादीघर, महुवा Mahua। खादी अुत्पत्ति, स्वावलंबी खादी।
4. ग्रामसेवा केन्द्र, भमोद्रा Bhamodra। ग्राम सुधार प्रवृत्ति, वस्त्र स्वावलंबन, प्रौढ शिक्षण।
5. ग्रामसेवा केन्द्र, खडसली, Khadsali। वस्त्रस्वावलंबन, लोकशाला, गौशाला तेलघानी, बालवाडी खेती।
6. खादी कार्यालय, नेसडी Nesdi
7. ,, गारीयाधार Gariyadhar
8. ,, राजुला Rajula
9. ,, करला Karla–गौशाला, खेती
10. ,, लीलिया Lilia
11. ,, पालीताणा Palitana
12. ,, भद्रावल Bhadraval

विक्री केन्द्र

13. खादी भंडार, भावनगर Bhavnagar। खादी सूत अुत्पत्ति, खादी ग्रामोद्योग विक्री।

प्रमाणितों को बगैर सूतशर्त खादी विक्री की अिजाजत है।

तामिलनाड

गांधी आश्रम, तिरुचेनगोड्

1. प्रधान कार्यालय—पो. गांधी आश्रम, तिरुचेनगोड् Gandhi Ashram Tiruchengodu, जि. सेलम Salem

अुत्पत्ति केंद्र

2. गांधी आश्रम, ठि. पो. गांधी आश्रम Gandhi Ashram, जि. सेलम

बिक्री भंडार

3. गांधी आश्रम खादी भंडार, बाजार स्ट्रीट, ठि. पो. सेलम Salem

4. गांधी आश्रम खादी भंडार, बाजार स्ट्रीट, ठि. पो. नामकल Namakal जि. सेलम

5. गां. आ. खादी भंडार, वेस्टकार स्ट्रीट, ठि. पो. तिरुचेनगोड् Tiruchengodu, जि. सेलम

पंजाब

सरकारी कताअी-बुनाअी केन्द्र, जलंधर

1. खादी अुत्पत्ति केन्द्र, ठि. पो. जलंधर Jullundur,				पूर्व पंजाब
2.	,,	,,	,, बटाला, Batala	,,
3.	,,	,,	,, शाम चौरासी Shamchurasi	,,
4.	,,	,,	,, नकोदर Nakodar	,,
5. सूत अुत्पत्ति केंद्र			,, जागरान Jagraon	,,
6.	,,	,,	,, मोगा Moga	,,
7.	,,	,,	,, जगाधरी Jagadhri	,,
8.	,,	,,	,, सोनपत Sonepat	,,

9. सूत उत्पत्ति केन्द्र ठि. पो. रोहतक Rohtak पूर्व पंजाब
10. „ „ „ कर्नाल Karnal „

पंजाब सेंट्रल रिलीफ कमेटी, अंबाला

1. प्रधान कार्यालय–कांग्रेस भवन, अंबाला शहर Ambala–City

अुत्पत्ति केंद्र

2. „ „ C/o अ. भा. चरखा संघ, ठि. पो. आदमपुर
रे. स्टे. खुर्दपुर

बिक्री केंद्र

3. पंजाब सेंट्रल रिलीफ कमेटी, ब्लैंडर्थ रोड, ठि. पो. जालंधर
4. „ „ पुराना सराफा, ठि. पो. करनाल
5. „ „ वार्ड नं. 12, ठि. पो. पानीपत जि. करनाल,
रे. स्टे. बहादुरगढ.
6. „ „ ठि. पो. झज्झर, जि. रोहतक

दरियां बाहर भेजी जाती हैं। कमिशन नहीं दिया जाता।

बम्बअी

बम्बअी उपनगर जिला ग्रामोद्योग संघ, बम्बअी

1. प्रधान कार्यालय–३९६, कालबादेवी रोड, बम्बअी नं. २ Bombay 2
तार–Gramodyoga

रेलवे स्टेशन-गुड्स–वाडी बंदर C. R., करनाक बंदर W. R.
पार्सल–बंबअी वी. टी. C. R., बंबअी सेंट्रल W. R.

प्रमाणित खादी उत्पत्ति करनेवाली संस्था को खादी की शुद्धता के लिये चरखा संघ की सुझायी कार्यपद्धति का स्वीकार करना चाहिये।

विक्री केन्द्र

2. खादी और ग्रामोद्योग भण्डार ३९६, कालबादेवी रोड, वंबअी नं. २. Bombay-2
3. खादी भण्डार, ठि. पो. घाटकोपर Ghatkopar वंबअी अुपनगर
4. कोरा खादी व ग्रामोद्योग भण्डार, स्टेशन रोड, पो. खार Khar; वंबअी-21. Bombay-21

पुरवठा भंडार

5. खादी भंडार, ठि. पो. चिपळून Chiplun, जि. रत्नागिरी
6. शुद्ध खादी भंडार, ठि. पो. दाहोद Dahod, जि. पंचमहाल
7. रत्नागिरी जिला खादी संघ गोपुरी, ठि. पो. कनकवली Kanakavali जि. रत्नागिरी
8. पश्चिम खानदेश जिला सहकारी खादी उत्पत्ति विक्री मंडल लि., ठि. पो. धुळे Dhulia, जि. पश्चिम खानदेश
9. खादी मंडल; ठि. पो. धोलका Dholka; जि. अहमदावाद
10. खादी ग्रामोद्योग सहकारी ग्राहक संघ, ठि. पो. सोलापुर Sholapur
11. पुणें जिला सहकारी संघ, ९१९ सदाशिव पेठ, पुणें Poona
12. शुद्ध खादी भण्डार; ठि. पो. कालोल Kalol, जि. पंचमहाल
13. खादी भंडार; ठि. पो. सांगली Sangli जिला दक्षिण सातारा
14. खादी भंडार, कोल्हापुर Kolhapur
15. „ „ ठि. पो. पोरबंदर Porbandar, सौराष्ट्र
16. खादी भंडार; ठि. पो. पंढरपुर Pandharpur
17. एरंडोल तालुका विधायक कार्य समिति; ठि. पो. एरंडोल, जि. पूर्व खानदेश
18. खादी मंदिर, अरविंद विला, जुहूरोड, ठि. पो. विलेपार्ले Vileparle वंबई

खादी अेजंसियाँ

1. श्री. किकाभाअी डाह्याभाअी खादी भण्डार, ठि. पो. कांदिवली Kandivli वंबअी

2. „ मणिबेन पुरुषोत्तम भाटिया स्त्री मंडल, मंगेप संतोश स्ट्रीट, मूलजी सॅनिटोरियम, फोर्ट, वंबअी Bombay

3. „ महादेव अनन्त मराठे, खादी भंडार, ठि. पो. वाअी Wai, जि. सातारा

4. „ नारायण लक्ष्मण लाड, „ „ ठि. पो. चेंबूर Chembur, जि. थाना

5. „ शांतिलाल चुनीलाल „ „ ठि. पो. कोपरगांव Kopergaon जि. अहमदनगर

6. „ गजानन लक्ष्मण पाटणकर „ „ ठि. पो. माहिम Mahim, बंबअी

7. „ गोविंदा वासुदेव वाने „ „ ठि. पो. चिचण Chichan,

8. „ वासुदेव गुलाबराव रावल „ „ ठि. पो. अंधेरी Andheri, वंबअी

9. „ हरिभाअी नाथुभाअी देसाअी, खादी भंडार ठि. पो. सान्ताक्रुझ, Santacruz, वंबअी

10. „ चिनुभाअीजी शाह, सर्वोदय कताअी मंडल, ठि. पो. विलेपार्ले Vile-parle, वंबअी

11. „ सूर्यकान्त के. वाडकर, सहकारी खादी भंडार, ठि. पो. सावन्तवाडी, जि. रत्नागिरी

12. „ सीताराम गंगाधर शेंडे, सहकारी खादी भंडार, ठि. पो. राजूर, जि. अहमदनगर

कॉंग्रेस खादी बोर्ड खादी भंडार, वंबअी

1. कॉंग्रेस खादी बोर्ड, खादी भंडार, 410, कालबादेवी रोड वंबअी नं. २. Bombay-2। तार का पता-खादी बोर्ड

शाखा

2. कॉंग्रेस खादी बोर्ड, खादी भंडार, विठ्ठलभाअी पटेल रोड, कॉंग्रेस भवन. गिरगांव वंबअी नं. 4. Bombay-4

खादी व्यापार में अगर मुनाफा रहा तो अुसका विनियोग खादी कारीगरों के हितार्थ होना चाहिये। यह रकम चरखा संघ के पास अमानत रखनी चाहिये।

अेजंट

1. गुजरात साहित्य (खादी) भंडार, मार्फत जेठालाल वीरजी, स्पारेल, महात्मा गांधी रोड, घाटकोपर Ghatkopar.
2. सीताबाअी कामत, पालन सोजपाल बिल्डींग, पोर्तुगिज स्ट्रीट, दादर (W. R.) बंबअी नं. 14. Dadar, Bombay-14.
3. पनवेल तालुका कांग्रेस कमिटी, पनवेल Panvel, जि. कुलाबा. Dist.-Kolaba.
4. पाचोरा जामनेर तालुका कांग्रेस कमिटी, पाचोरा Pachora, पूर्व खानदेश
5. रामनारायण काबरा, अेरंडोल Erandol, पूर्व खानदेश.
6. रामनारायण काबरा, चोपडा Chopra, पूर्व खानदेश.
7. कुलाबा जिल्हा सर्वोदय केंद्र, सुडकोली Sudkoli, ता. अलिबाग जिला कुलाबा
8. पेण तालुका कांग्रेस कमिटी, पेण Pen, जि. कुलाबा Dist.-Kolaba
9. कुलाबा जिल्हा कांग्रेस कमिटी, अलिबाग Alibagh, जि. कुलाबा
10. तेजेवाडी चरखा संघ, 86 डिसोजा स्ट्रीट, बंबअी नं. 3, Bombay-3
11. कांग्रेस सेवा दल, कांग्रेस भवन, बंबअी नं. 4, Bombay-4.

पुरवठा केंद्र

1. अेरंडोल तालुका विधायक कार्य समिति, अेरंडोल, Erandol पूर्व खानदेश
2. ,, ,, ,, ,, ,, अडगांव, Adgaon ,, ,,
3. ,, ,, ,, ,, ,, कासोदा Kasoda ,, ,,
4. कोल्हापुर जिल्हा खादी संघ, गुजरी, कोल्हापुर Kolhapur
5. चिपळून तालुका खादी संघ, चिपळून Chiplun, जि. रत्नागिरी
6. पश्चिम खानदेश जिल्हा सहकारी खादी अुत्पत्ति व विक्री मंडळ, धुळे Dhulia, प. खानदेश
7. खादी भंडार, कंसारा बाजार, नवसारी Navsari, जि. सूरत.

8. सरस्वती मंदिर खादी भंडार, अकोला Akola मध्यप्रदेश.

9. पूना जिला खादी और ग्रामोद्योग सहकारी संघ लि०, 919 सदाशिव पेठ पूना 2 । Poona-2

10. खादी ग्रामोद्योग सहकारी ग्राहक मंडल, सोलापुर Sholapur

11. पूर्व खानदेश खादी सेवा संघ, खानदेश शुद्ध खादी भंडार, सुभाष-चौक, जलगांव Jalgaon पूर्व खानदेश

12. महिपतराम [illegible] अनाथाश्रम, रायपुर दरवाजा बाहर, अहमदाबाद Ahmedabad.

बंगाल

अभय आश्रम, कलकत्ता

प्रधान कार्यालय-सी 28/31, कॉलेज स्ट्रीट मार्केट, कलकत्ता Calcutta, पश्चिम बंगाल

उत्पत्ति केन्द्र

1. कटरांका, पो. मंगलामारु Manglamaroo जि. मिदनापुर, R. S. Contai, B. N. R.
2. भीमेश्वरी, पो. भीमेश्वरी बाजार Bhimeshwari-Bazar, जि. मिदनापुर R. S. Contai, B. N. R.
3. बाबुआ, पो. ईश्वरपुर Iswarpur, जि. मिदनापुर R. S. Tamluk „
4. कालाबेरिया बाजार, पो. काजलागढ Kajlagarh „ „
5. बिहारजुरिया, पो. सत्तरकनोली Sattarkanoli, जि. बांकुड़ा, R. S. Bankura „
6. भेड़ुआसोल Bheduasol, जि. बांकुड़ा, R. S. Bankura „

प्रमाणितों को बगैर सूतशर्त खादी-बिक्री की इजाजत है।

रेशम अुत्पत्ति केन्द्र

7. सोनामुखी Sonamukhi, जि. बांकुडा, R. S. Sonamukhi B. N. R.

विक्री केन्द्र

8. वी. ८५-८६ कॉलेज स्ट्रीट मार्केट, कलकत्ता Calcutta

सेवा संघ, कंटाअी

प्रधान कार्यालय—पो. कंटाअी Contai, जि. मिदनापुर
रे. स्टे. Contai Road, B. N. R.

अुत्पत्ति केंद्र

1. सेवा संघ, ठि. काकरा Kakra, पो. गोपीनाथपुर Gopinathpur
जि. मिदनापुर
2. " ठि. लालबाजार Lalbazar, पो. बडवडिया Barbaria,
जि. मिदनापुर

बिक्री केन्द्र

3. खद्दर भंडार, पो. कंटाअी Contai, जि. मिदनापुर

<u>बिहार</u>

बिहार खादी समिति, मुझफ्फरपुर

कार्यालय

1. बिहार खादी समिति, सदर दफ्तर, पोस्ट बॉक्स नं. ३३, तार–Khadi Samiti
ठि. पो. जि. मुझफ्फरपुर Muzaffarpur N. E. R.
2. बिहार खादी समिति, शाखा दफ्तर, ठि. पो. मधुबनी Madhubani
N. E. R. जि. दरभंगा

प्रमाणित खादी उत्पत्ति करनेवाली संस्था को खादी की शुद्धता के लिये चरखा संघ की सुझायी कार्यपद्धति का स्वीकार करना चाहिये।

जिला मुजफ्फरपुर

बिक्री केंद्र

3. केंद्र भंडार पो. बक्स नं. ३३ मुजफ्फरपुर Muzaffarpur N. E. R.
4. बकुची Bakuchi, पो. कटरा Katra „ „
5. रुन्नीशैदपुर Runnisaidpur, पो. रुन्नी Runni, शैदपुर Saidpur (बस)
6. सरैया Saraia, पो. सरैया कोठी Saraia Kothi गोरौल Goraul N. E. R.
7. सीतामढ़ी Sitamadhi, पो. सीतामढ़ी सीतामढ़ी „
8. पुपरी Pupri, पो. जनकपुर रोड Janakpur Road, जनकपुर रोड „
9. रहुआ Rahua, पो. बेला आश्रम Bela Ashram, मुजफ्फरपुर „
10. नयी तालीम विद्यालय, पो. बक्स नं. ३३ मुजफ्फरपुर „ „
11. यजुआर Yajuar पो. यजुआर कमतौल Kamtaul, „
12. पीरापुर Pirapur पो. सिमरा Simra, ढोली Dholi, „

जिला दरभंगा

13. केंद्र भण्डार मधुबनी, पो. मधुबनी Madhubani मधुबनी N. E. R.
14. उत्पत्ति केन्द्र तथा रंगाई विभाग, „ „ „
15. बिक्री केन्द्र „ „ „
16. नयी तालीम विद्यालय, „ „ „
17. समस्तीपुर (बिक्री) पो. समस्तीपुर, Samastipur समस्तीपुर „
18. दलसिंगसराय (बिक्री) पो. दलसिंगसराय Dalsing Sarai दलसिंगसराय „
19. पूसा रोड (सरंजाम कार्यालय) पो. वैनी Waini पूसा रोड Pusa Road „
20. मधेपुर, पो. मधेपुर Madhepur तमोरिया Tamoria „
21. झंझारपुर, पो. झंझारपुर Zanzarpur झंझारपुर „
22. अन्धराठाढ़ी, पो. अन्धराठाढ़ी Andhrathadhi झंझारपुर „

खादी कारीगरों को संघमान्य दरों से कम पारिश्रमिक नहीं देना चाहिये।

23. कपसिया Kapasia, पो. लोहा Loha, मधुबनी Madhubani N. E. R.
24. कोइलख Koilakh, पो. कोइलख ,, ,, ,,
25. सिमरी Simri, पो. खादी भण्डार सिमरी ,, ,, ,,
26. वासोपट्टी, पो. वासोपट्टी Basopatti जयनगर Jainagar ,,
27. राजनगर, पो. राजनगर Rajnagar राजनगर ,,
28. तुमौल Tumaul, पो. पाली महथवार Pali Mahathwar, झंझारपुर,,
29. मकरमपुर Makrampur, पो. पंडौल Pandaul पंडौल ,,
30. वेहटा Behta, पो. वेनीपट्टी Benipatti मधुवनी ,,
31. महम्मदपुर Mahammadpur, पो. पिन्डारुच Pindaruch,
महम्मदपुर Mahammadpur ,,
32. शंकरपुर Shankarpur, पो. रैयाम फैक्टरी Raiyam Factory
तारसराय Tarsarai ,,
33. लहेरियासराय (बिक्री) पो. लहेरियासराय Laheria Sarai लहेरियासराय ,,
34. साहर, पो. साहर Sahar, जनकपुर रोड Janakpur Road
35. नवादा, पो. वहेरा Bahera, सकरी Sakri ,,
36. विरौल, पो. विरौल Biraul सकरी Sakri, ,,
37. जयनगर, पो. जयनगर Jainagar जयनगर ,,
38. कमतौल, पो. कमतौल Kamtaul कमतौल ,,
39. दिघरा, पो. दिघरा Dighra पूसा रोड Pusa Road ,,
40. रोसड़ा, पो. रोसड़ा Rosda रोसड़ा ,,

जिला सारन

41. छपरा (बिक्री) पो. छपरा Chhapra छपरा N. E. R.
42. सीवान ,, पो. सीवान Siwan सीवान ,,

43. कैलगढ़	पो. कैलगढ़ Kailgarh	हथुआ Hathua	N. E. R.
44. गोपालगंज	पो. गोपालगंज Gopalganj	गोपालगंज	„
45. दिघवारा	पो. दिघवारा Dighwara	दिघवारा	„
46. भोरे	पो. भोरे Bhore	हथुआ	„
47. मैरवा	पो. मैरवा Mairawa	मैरवा	„
48. महाराजगंज	पो. महाराजगंज Maharajganj	महाराजगंज	„
49. लद्धी Laddhi	पो. मुस्तफाबाद Mustafabad	महाराजगंज	„

जिला चम्पारण

50. मोतिहारी (बिक्री)	पो. मोतिहारी Motihari	मोतिहारी	„
51. खादी कला शाला, मधुबनी	पो. ढाका Dhaka	कुंडवाचैनपुर	„
52. वृन्दावन	पो. वृन्दावन Brindaban	बेतिया Betia	„

जिला भागलपुर

53. भागलपुर (बिक्री)	पो. भागलपुर नं० २ Bhagalpur No. 2	भागलपुर	E. R. और N. E. R.
54. गौरीपुर-लत्तीपुर Gauripur	पो. बभनगामा Babhangama	लत्तीपुर Lattipur	
55. गौरीपुर Gauripur	पो. मकन्दपुर Makandpur	अकबरनगर Akbarnagar	E. R.
56. महौता Mahauta	पो. अमरपुर Amarpur	भागलपुर रेल्वे स्टेशन डुमरांवा मोटर स्टैंड	E. R.
57. शाहकुन्ड	पो. शाहकुन्ड Shahkund	अकबरनगर	E. R.
58. सुलतानगंज	पो. सुलतानगंज Sultanganj	सुलतानगंज	E. R.
59. बाँका	पो. बाँका Banka	भागलपुर से मोटर द्वारा	

उत्पत्ति से लेकर बिक्री तक मार्जिन २० % से अधिक नहीं बढ़ाना चाहिये।

जिला पूर्णियाँ

60. पूर्णियाँ (विक्री)	पो. पूर्णियाँ Purnia	पूर्णियाँ	N. E. R.
61. पूर्णियाँ सरंजाम गोकुलकृष्ण आश्रम,	पो. पूर्णियाँ Purnia	,,	,,
62. कटिहार (विक्री)	पो. कटिहार Katihar	कटिहार	,,
63. कुरसैला	पो. अयोध्यागंज Ajodyaganj	कुरसैला Kursaila	,,
64. विरौली Birauli	पो. आझोकोपा Azokopa	,,	,, ,,
65. किशनगंज (विक्री)	पो. किशनगंज Kisanganj	किशनगंज	N. E. R.
66. फारविसगंज (विक्री)	पो. फारविसगंज Farvisganj	फारविसगंज	N. E. R.
67. अररियाकोट (विक्री)	पो. अररियाकोटArariakot	अररियाकोट	,,
68. वनमनखी	पो. वनमनखी Banmankhi	वनमनखी	,,
69. वरैटा	पो. वरैटा Baraita	कुरसैला	,,
70. हाटगाँव	पो. थिरानीगंज Thiraniganj	अररियाकोट	,,

जिला सहर्षा

71. सहर्षा	पो. सहर्षा Saharsa	सहर्षा	N. E. R.
72. सुपौल	पो. सुपौल Supaul	सुपौल	,,
73. मधेपुरा (विक्री)	पो. मधेपुरा Madhepura	वैजनाथपुर Baijnathpur	,, ,,
74. विहरा	पो. पंचगछिया Panchgachia	पंचगछिया	,,
75. विहारीगंज	पो. विहारीगंज Bihariganj	विहारीगंज	,,
76. सिमराही Simrahi	पो. जियाराम माधोपुर Jiaram Madhopur	निर्मली Nirmali	,,

विक्री मार्जिन कदापि ९-६-० % से अधिक नहीं रखना चाहिये। यातायात खर्च के लिये ३-२-० % तक जितना आता हो अुतना वढ़ाया जा सकता है।

जिला मुंगेर

77. मुंगेर (बिक्री) पो. मुंगेर Monghyr मुंगेर और पूरबसराय Monghyr & Purabsarai E. R.

78. कन्हैयाचक Kanbaiachak पो. परबत्ता Parbatta सुलतानगंज Sultanganj E. R.
पसराहा Pasraha N. E. R.

79. खगड़िया पो. खगड़िया Khagadia खगड़िया „

80. गोगरी पो. गोगरी Gogri महेशखूट Maheshkhut „

81. बेगूसराय (बिक्री) पो. बेगूसराय Begusarai बेगूसराय „

82. पीरीबाजार पो. पीरीबाजार Piribazar अभयपुर Abhayapur E. R.

83. असरगंज, पो. असरगंज Asarganj सुल्तानगंज Sultanganj

84. नूमर Numar, मल्लेपुर पो. मल्लेपुर Mallehpur „

85. लक्खीसराय (बिक्री) पो. लक्खीसराय Lakhisarai लक्खीसराय „

86. बरियारपुर पो. बरियारपुर Bariarpur बरियारपुर „

87. बरहिया पो. बरहिया Barahia बरहिया „

88. गोबिन्दपुर Govindpur पो. नवगांव Navagaon सुलतानगंज „
तारापुर मोटर स्टैंड

जिला संथालपरगना

89. दुमका (बिक्री) पो. दुमका Dumka दुमका मोटर स्टैन्ड

90. जरमुन्डी पो. जरमुन्डी Jarmundi रेलवे स्टेशन देवघर Deoghar E. R.
मोटर स्टैन्ड जरमुन्डी

91. पहाड़ीचपरी Pahadichapri पो. Jarmundi „

92. गादीदेवली Gadi Deoli पो. लकडापहाड़ी Lakdapahadi
मोटर स्टैन्ड दुमका

खादी व्यापार में अगर मुनाफा रहा तो उसका विनियोग खादी कारीगरों के हितार्थ होना चाहिये। यह रकम चरखा संघ के पास अमानत रखनी चाहिये।

93. अमरपुर Amarpur पो. पथरामिशन Pathramission मोटर स्टैन्ड गोड
94. साहेबगंज (विक्री) पो. साहेबगंज Sahebganj साहेबगंज E. R.
95. देवघर (विक्री) पो. देवघर Deoghar देवघर E. R.

जिला पटना

96. पटना (विक्री) पो. पटना नं. 4, Patna No. 4 पटना जंकशन E. R.
महेन्द्रुघाट N. E. R.
97. विहार शरीफ पो. विहार शरीफ Biharsharif विहार शरीफ B. B. L. R.
98. वाढ़ पो. वाढ़ Badh वाढ़ E. R.
99. हरनौत पो. हरनौत Harnaut हरनौत B. B. L. R.
100. शिकारपुर Sikarpur पो. खगौल Khagaul दानापुर Danapur E. R.
101. शिवनार (वाढ़ उपकेन्द्र) " "

जिला गया

102. गया (विक्री) पो. गया Gaya गया E. R.
103. जम्होर पो. जम्होर Jamhor पामरगंज Palmarganj E. R.
104. नवीनगर पो. नवीनगर Nabinagar नवीनगर रोड "

जिला आरा

105. आरा (विक्री) पो. आरा Arrah आरा E. R.
106. रघुनाथपुर पो. रघुनाथपुर Raghunathpur रघुनाथपुर E. R.
107. गड़हनी पो. गड़हनी Garhani गड़हनी A. S. L. R.

प्रमाणित खादी उत्पत्ति करनेवाली संस्था को खादी की शुद्धता के लिये चरखा संघ की सुझायी कार्यपद्धति का स्वीकार करना चाहिये।

जिला राँची

108. राँची (विक्री) पो. राँची Ranchi राँची रोड़ E. R. रांची E. R.
109. तिरील शिक्षण केन्द्र पो. हटिया Hatia " "
110. सिमडेगा पो. सिमडेगा Simdega राँची रोड E. R. से रांची बस स्टेण्ड से सिमडेगा।

जिला सिंहभूमि

111. जमशेदपुर (विक्री), पो. जमशेदपुर Jamshedpur टाटानगर Tatanagar
112. कुशमुन्डा Kushmunda, पो. हाट गम्हरिया Hatgamharia चाओीबासा Chaibasa E. R.
113. निश्चिंतपुर Nischintpur पो. केरा Kera चक्रधरपुर Chakradharpur "
114. नया गाँव Nayagaon पो. मझगाँव Mazgaon चाओीबासा "
115. गजपुर Gajpur पो. गोओीलकेरा Goilkera गोओीलकेरा "
116. खैरपाल Khairpal पो. हाट गम्हरिया चाओीबासा "
117. चाओीबासा (विक्री) पो. चाओीबासा " "

जिला मानभूमि

118. पुरुलिया (विक्री) पो. पुरुलिया Purulia पुरुलिया "
119. लपनपुर पो. लपनपुर Lashanpur " "
120. सिन्द्री पो. सिंद्री Sindri चासरोड Chasroad "
121. गढ़जयपुर पो. गढ़जयपुर Garhjaipur गढ़जयपुर "
122. सिम्नी Simni पो. झालदा Jhalda झालदा "
123. वड़ाबाजार Badabazar पो. वराहभूम Barahbhum वराहभूम "

खादी व्यापार में अगर मुनाफा रहा तो अुसका विनियोग खादी कारीगरों के हितार्थ होना चाहिये। यह रकम चरखा संघ के पास अमानत रखनी चाहिये।

134. झरिया (विक्री) पो. झरिया Jharia झरिया E. R.
भागा Bhaga E. R.

125. रघुनाथपुर रेशम अु. केंद्र, पो. रघुनाथपुर पुरुलिया E. R.

जिला हजारीवाग

126. हजारीवाग (विक्री) पो. हजारीवाग Hajaribagh हजारीवाग रोड Hajaribagh Road, E. R.

127. कटकमसाड़ी Katakmasadi हजारीवाग राँची रोड, Ranchi Road कोडरमा Kodarma „

128. लून्डी Lundi पो. हजारीवाग राँची रोड „

129. पेटरवार पो. पेटरवार Petarwar गोला रोड Gola Road, E. R.

130. हन्टर गंज पो. हन्टर गंज Huntarganj गया, कोडरमा Gaya, Kodarma „

131. चतरा पो. चतरा Chatra „ „

132. गोला पो. गोला Gola गोला रोड Gola Road E. R

जिला पलामू

133. डाल्टेनगंज पो. डाल्टेनगंज Daltenganj डाल्टेनगंज E. R

विहार खादी समिति द्वारा संचालित विक्री केंद्र (पूंजी दूसरी संस्थाओं की)

1. खादी सदन, नरसिंहपुर, पो. ढोली Dholi जि. मुजफ्फरपुर
2. खादी भंडार, सेहान, पो. अवाव्रकरपुर Ababakarpur „
3. खादी भंडार, विठौली Bithouli „
4. „ „ हाजीपुर, पो हाजीपुर Hajipur „
5. खादी कामगार संघ, इट्ठीसिराजपुर, पो. पर्वत्ता Parbatta, जि. मुंगेर
6. खादी केंद्रित सहयोग समिति, पो. शाहकुण्ड Sahkund, जि. भागलपुर

विक्री मार्जिन कदापि ९-६-० % से अधिक नहीं रखना चाहिये। यातायात खर्च के लिये ३-२-० % तक जितना आता हो अतना वढ़ाया जा सकता है।

7. खादी कामगार संघ, पो. ताजपुर-फुलवारिया Tajpur Phulwaria जि. सारण

8. खादी कामगार संघ, पो. केशरिया Kesharia जि. चम्पारण

9. „ „ वरिअरिया, पो. वरिअरिया Bariaria „

10. „ „ भभुआ Bhabhua जि. शाहाबाद

11. खादी अुत्पादन समिति, धनबाद, पो. धनबाद Dhanbad जि. मानभूम

अेजंसियाँ

12. खादी ग्राहक संघ, मुजफ्फरपुर Muzaffarpur, जि. मुजफ्फरपुर

13. खादी भंडार, बेतिया, पो. बेतिया Bettiah जि. चम्पारण

14. „ „ नौगछिया, पो. नौगछिया Naugachhia जि. भागलपुर

15. „ „ महनार, पो. महनार Mahnar जि. मुजफ्फरपुर

16. „ „ पहाड़ीचक, पो. सोनपुर Sonepore जि. सारण

17. „ „ बखरी बाजार, पो. बखरी बाजार Bakhari Bazar जि. मुंगेर

18. „ „ बक्सर, पो. बक्सर Buxer, जि. शाहाबाद

महाराष्ट्र

पश्चिम खानदेश जिला सहकारी खादी अुत्पत्ति व विक्री मंडल लि०, धूलिया

1. प्रधान कार्यालय—गोशाला, आग्रा रोड, पो. धूलिया Dhulia, जि. पश्चिम खानदेश C. R.

अुत्पत्ति केंद्र

2. खादी कार्यालय, ठि. पो. कापडणें Kapadne, ता. धुळें, जि. प. खानदेश

प्रमाणित खादी अुत्पत्ति करने वाली संस्था को खादी की शुद्धता के लिये चरखा संघ की सुझायी कार्यपद्धति का स्वीकार करना चाहिये।

अेजंसियाँ

3. श्री. कृष्णकुमार कन्हय्यालाल शाह, देसाअीपुरा, ठि. पो. नंदुरबार Nandurbar, जि. प. खानदेश

4. श्री. मंगेश बभूता पटेल, ठि. पो. शहादें Shahade, जि. प. खानदेश

5. श्री. शांताराम बाळासा गुजराती, ठि. पो. पिंपलनेर Pimpalner ता. साक्री, जि. प. खानदेश

6. श्री. दोधू गंगाराम शिंपी, ठि. पो. अमलनेर Amalner, जि. पूर्व खानदेश

नागपुर-विदर्भ

ग्राम-सेवा मडल, गोपुरी, नालवाडी, वर्धा

1. प्रधान कार्यालय—गोपुरी, पो. नालवाडी Nalwadi, व्हाया-वर्धा Wardha म. प्र.

अुत्पत्ति केंद्र

2. ग्राम-सेवा मंडल, विणकाम कार्यालय, मु. पो. नालवाडी, Nalwadi, व्हाया-वर्धा Wardha

3. ग्राम सेवा मंडल खादी कार्यालय, ठि. पो. पवनार Paunar, जि. वर्धा Wardha, म. प्र.

4. „ „ कताअी केन्द्र, ठि. पो. खरांगणा (मोरांगणा) Kharangana जि. वर्धा Wardha म. प्र.

5. „ „ खादी मंदिर, ठि. पो. सुरगांव Surgaon जि. वर्धा Wardha म. प्र.

विक्री केन्द्र

6. ग्राम सेवा मंडल, खादी भंडार, ठि. पो. बच्छराज रोड, वर्धा Wardha म. प्र.

7. „ „ स्वराज्य भंडार, राठी मार्केट, वर्धा Wardha म. प्र.

राजस्थान

मध्यभारत खादी संघ, सबलगढ़

प्रधान कार्यालय– ठि. पो. सबलगढ़ Sabalgarh C. R. जि. मुरेना, म. भा.

उत्पत्ति केन्द्र

1. खादी आश्रम, ठि. पो. अमरसर Amarsar, जि. आमेर, वाया-श्रीमाधोपुर, राजस्थान–Kambath R. S., W. R.
2. „ „ तथा रंगशाला, सबलगढ़ Sabalgarh (ग्वालियर)
3. „ „ ठि. गुडगली, पो. ब्यावरा Biaora जि. राजगढ, म. भा. व्हाया-भोपाल, Shujaulpur C. R.

सूत केन्द्र

4. खादी आश्रम, सुभाष चौक, ठि. पो. नरसिंहगढ Narsinghgarh जि. राजगड म. भा., वाया भोपाल Bhopal R. S., C. R.
5. जय हिंद खादी आश्रम, सराफा बाजार, ठि. पो. लश्कर Lashkar म. भा. जि. गिर्द Gwalior, C. R.

बिक्री केन्द्र

6. खादी भंडार, सराफा बाजार, पो. लश्कर Lashkar, जि. गिर्द, म. भा.
7. „ „ जुना तोपखाना, पो. इंदौर सिटी Indore city म. भा. W. R.
8. „ „ पटनी बाजार, पो. उज्जैन Ujjain, म. भा. W. R.

अेजंसियाँ

1. श्री मुरली मनोहर ज्योतिषि, खादी अेजन्सी, ठि. पो. बडनगर Barnagar म. भा. W. R.
2. श्री. प्यारेलालजी आर्य खादी अेजंसी, ठि. पो. शुजालपुर Shujaulpur म. भा. C. R.
3. श्री लहरसिंहजी भाटी, डालू मोदी बाजार, ठि. पो. रतलाम Ratlam W. R.

4. श्री दुर्गाप्रसादजी शर्मा, ठि. पो. पोहरी Pahri, जि. शिवपुरी Shiopuri C. R.
5. श्री लक्ष्मणसिंहजी खादी अेजन्सी, ठि. पो. धार Dhar वाया महू Mow म. भा.
6. श्री जगन्नाथजी व्यास, सराफा वाजार; ठि. पो वडवाह Barwah W. R.
7. श्री जानकीदासजी गुप्ता, खादी अेजन्सी, इब्राहीमपुरा ठि. पो. भोपाल Bhopal म. भा. C. R.
8. श्री. ग्यानचंदजी जैनी, खादी अेजन्सी, ठि. पो. महेश्वर Maheshwar Barwah W. R. म. भा.
9. श्री मायाचंदजी जटाले, खादी अेजन्सी, ठि. पो. सनावद Sanawad W. R.
10. श्री वद्रीनारायणजी जोशी, खादी अेजन्सी, ठि. पो. वडवानी Barwani Barwah W. R.
11. श्री शांतिलालजी जैन, खादी अेजन्सी, ठि. पो. हातोद Hatod वाया पाल्या U. R. म. भा.
12. श्री रामानन्दजी मिश्र, खादी अेजन्सी, ठि. पो. भेलसा Bhilsa म. भा.
13. श्री मेम्बरसिंहजी, खादी अेजन्सी, ठि. पो. अम्बाह Ambah जि. मुरैना C. R. म. भा.

मत्स्य राज्य ग्राम सेवा मंडल, करौली

1. प्रधान कार्यालय और सेंट्रल स्टोर्स—नाज़िम हाउस, चटीखाना वाज़ार, करौली Karauli, जि. सवाई माधोपुर, राजस्थान Hindaun, R. S., W. R.

अुत्पत्ति केंद्र

2. खादी अुत्पत्ति केंद्र, चटीखाना वाजार नाजिम हाअुस नं. २ ठि. पो. करौली, Karauli जिला सवाअी माधोपुर, राजस्थान
3. खादी अुत्पत्ति केंद्र, ठि. पो. आजाद गली, कटरा, मडरायल Madrayal, व्हाया करौली, जिला सवाअी माधोपुर, राजस्थान

4. खादी उत्पत्ति केन्द्र, ठि. पो. सपोटरा Sapotara व्हाया गंगापुर सिटी W. R.
जि. सवाओी माधोपुर, राजस्थान

विक्री केन्द्र

5. खादी भंडार, होप सर्कस, ठि. पो. अलवर Alwar, राजस्थान W. R.

6. खादी अेजन्सी, लक्ष्मणजी का मन्दिर, ठि. पो. भरतपुर Bharatpur

7. खादी भंडार और सेन्ट्रल स्टोर्स, नाज़िम हौस नं. ३, चटिखाना वाजार, करौली Karauli जिला सवाओी माधोपुर, राजस्थान

३. राजस्थान खादी संघ, चौमूं

1. प्रधान कार्यालय–ठि. पो. चौमूं Chomu जि. जयपुर Jaipur, राजस्थान

अुत्पत्ति केन्द्र

2. खादी आश्रम, ठि. पो. चौमूं Chomu, जि. जयपुर, राजस्थान

3. खादी आश्रम, ठि. पो. निवाणा, Niwana वाया चौमूं, जि. जयपुर

4. खादी आश्रम, ठि. पो. मनोहरपुर Manoharpur, जि. जयपुर

5. खादी आश्रम, देवगढ Deogarh, जि. अुदयपुर, राजस्थान

6. खादी आश्रम, ठि. पो. निवाओी Niwai, जि. टोंक, राजस्थान

7. खादी आश्रम, ठि. पो. सामोद Samod, जि. जयपुर

विक्री केन्द्र

8. खादी भण्डार, जौहरी बाजार, जयपुर सिटी Jaipur City, राजस्थान
तार–Khadi, फोन–५१२

9. खादी भण्डार, जेसलमेर Jaisalmer, राजस्थान

अेजंसियाँ

1. खादी अेजंसी, विद्यार्थी भवन, झुन्झुनू Jhunjhunu, राजस्थान

खादी व्यापार में अगर मुनाफा रहा तो अुसका विनियोग खादी कारीगरों के हितार्थ होना चाहिये। यह रकम संघ के पास अमानत रखनी चाहिये।

2. खादी अेजन्सी, किसनलालजी, चिडावा Chidawa, जिला झुन्झुनू
3. „ „ मोहनलालजी जैन, सरदार शहर Sardar Shahar, जिला बीकानेर
4. „ „ मगराजजी पाटोदिया, नवलगढ Navalgarh जिला सीकर, राजस्थान
5. „ „ भीमारामजी, मुकुन्दगढ Mukundgarh, जिला झुन्झुनू
6. „ „ चिरंजीलालजी, फतहपुर Fatahpur, जिला सीकर
7. „ „ जौहरीलालजी इन्दू, धौलपुर Dhaulpur, जिला भरतपुर,
8. „ „ वांसवाडा जिला सेवा संघ, परतापुर Partapur
9. „ „ देवीचन्दजी सागरमलजी, शिवगंज Shivaganj, पो. अेरनपुरा, सिरोही, राजस्थान
10. „ „ लोकसेवक संघ, पाली Pali, राजस्थान
11. „ „ हरिदेवजी जोशी, डूंगरपुर Dungarpur, राजस्थान
12. „ „ अभिन्न हरिजी, कोटा Kota, राजस्थान
13. „ „ खादी मंदिर, वनस्थली Banasthali, जिला सवाअीमाधोपुर
14. „ „ ठि. पो. जैसलमेर Jaisalmer, राजस्थान
15. „ „ ठि. पो. लछमनगढ Lachhamangarh, जि. सीकर

खादी उत्पादक सहकारी समिति लि०, शाहपुरा

1. प्रधान कार्यालय—नाहरगढ रोड, लाल हाथियों के मन्दिर के पास जयपुर सिटी Jaipur City, राजस्थान

अुत्पत्ति तथा विक्री केन्द्र

2. खादी अुत्पत्ति केन्द्र, शाहपुरा Shahpura, जिला जयपुर, राजस्थान

विक्री केन्द्र

3. खादी भंडार, नाहरगढ रोड, पो. जयपुर Jaipur, राजस्थान

खादी उत्पादक सहकारी समिति लि., वैराठ

1. प्रधान कार्यालय—नाहरगढ रोड, लाल हाथियों के मन्दिर के पास
जयपुर सिटी Jaipur City, राजस्थान

अुत्पत्ति तथा बिक्री केन्द्र

2. खादी उत्पत्ति केन्द्र, वैराठ Bairath, जिला जयपुर, राजस्थान

3. खादी भंडार, नाहरगढ रोड, पो. जयपुर Jaipur

उद्योग मंदिर, जयपुर

1. प्रधान कार्यालय–जौहरी बाजार, ठि. पो. जयपुर सिटी Jaipur City, राजस्थान

अुत्पत्ति केन्द्र

2. खादी उत्पत्ति केन्द्र, ठि. पो. अर्जुनपुरा Arjunpura, जिला जयपुर
Jaipur, राजस्थान

3. ,, ,, ठि. पो. अचरौल Achraul, जि. जयपुर

4. ,, ,, ठि. पो. जोबनेर Jobner, जि. जयपुर

5. ,, ,, ठि. पो. आमेर Amer, जि. जयपुर, राजस्थान

बिक्री केन्द्र

6. अुद्योग मन्दिर खादी भंडार, जौहरी बाजार, जयपुर सिटी Jaipur City

हैदराबाद

हैदराबाद-कर्नाटक-ग्रामसेवा संघ, हैदराबाद

1. प्रधान कार्यालय—नारायणगुडा, पो. हैदराबाद Hyderabad (Dn.)

अुत्पत्ति केन्द्र

2. खादी अुत्पत्ति केंद्र, ठि. पो. गडवाल Gadwal, जि. रायचूर
Raichur C. R.

3. खादी अुत्पत्ति केंद्र, ठि. पो. मनेढाल Manedhal, जि. रायचूर Raichur C. R.

4. „ ठि. पो. केंभावी Kembhavi, जि. गुलवर्गा Gulbarga वाया-याडगीर Yadgir, C. R.

5. „ ठि. पो. गोपाल पेठ Gopalpet, व्हाया वनपर्ति रोड, Vanparti Road C. R.

विक्री केन्द्र

6. खादी वस्त्रालय ठि. पो. शोरापुर Shorapur, वाया याडगीर Yadgir

7. „ ठि. पो. रायचूर Raichur, C. R.

8. „ ठि. पो. गुलवर्गा Gulbarga, C. R.

9. „ ठि. पो. याडगीर Yadgir C. R.

सूत केन्द्र

10. ठि. पो. हुनगुंड Hungund, जि. बिजापुर Bijapur

11. ठि. पो. सोरापुर Shorapur, वाया गाडगीर Yadgir C. R.

खादी अजन्सी

12. श्री विजयराव देसाअी, खादी अेजन्ट, ठि. पो. कुस्तागी Kustagi, जि. रायचूर Raichur

13. खादी अेजन्सी, ठि. पो. कोप्पाल Koppal, M. S. M. जि. रायचूर Raichur

14. श्री डी. अेन्. अुडगटी, खादी अेजन्ट, ठि. पो. रानी-बेन्नूर Ranebennur, M. S. M. जि. धारवाड Dharwar

खादी ग्रामोद्योग प्रचार समिति, रेचना

1. प्रधान कार्यालय–ठि. पो. सिरपुर कागज नगर Sirpur Kagajnagar C. Rly. ता. असिफाबाद, जि. आदिलाबाद हैदराबाद राज्य.

2. खादी कार्यालय, ठि. पो. धागांव Dhagaon, ता. शिरपुर, जि. आदिलाबाद वाया रेचनी रोड Rechni Road R. S., C. Rly.

3. खादी कार्यालय, ठि. पो. सिरपुर टाउन Sirpur Town R. S., C. Rly.

हैदराबाद खादी समिति, हैदराबाद

1. प्रधान कार्यालय—गांधी भवन, मुअज़्ज़मजाही रोड, हैदराबाद Hyderabad Dn. C. R.

अुत्पत्ति केन्द्र

2. खादी कार्यालय, ठि. पो. मेटपल्ली Matpalli व्हाया निझामाबाद Nizamabad C. R. (अुपकेन्द्र-धुनफल, कमर्पल्ली (जि. निजामाबाद) कोरट्ला, जगत्याल, रायफल, पुड्डूर और आत्मकूर (करीमनगर))

3. खादी कार्यालय, ठि. पो. जमीकुंटा Jamikunta C. R. जि. करीमनगर (अुपकेन्द्र—वायलाल, जीलीकुंटा, मोगलपल्ली)

खादी अेजन्सियाँ

1. खादी कन्झ्यूमर्स कोआपरेटिव सोसायटी लि. खादी भंडार, सुलतान बाजार, हैदराबाद Hyderabad Dn. C. R.

2. श्री मिश्रीलाल जैन, खादी भंडार, ठि. पो. बोलाराम Bolaram C. R. हैदराबाद राज्य

3. खादी प्रेमी मंडली, खादी भंडार, ठि. पो. करीमनगर Karimnagar, हैदराबाद राज्य

4. श्री राधाकृष्ण जोशी, खादी भंडार, किंग्ज वे, पो. सिकंदराबाद (द.) Secunderabad Dn. C. R.

5. खादी प्रेमी मंडली, खादी भंडार, ठि. पो. नांदेड Nander C. R. हैदराबाद राज्य

6. श्री रतनलाल मुंदडा, खादी भंडार, ठि. पो. परभनी Parbhani C. R., हैदराबाद राज्य

प्रमाणितों को बगैर सूतशर्त खादी बिक्री की अिजाजत है।

7. श्री गंगा विसन कारवा, खादी भंडार. ठि. पो. जालना Jalna C. R.
हैदराबाद राज्य

8. श्री सागरमल घिसूलाल जैन खादी भंडार, ठि. पो. औरंगाबाद
Aurangabad C. R. हैदराबाद राज्य

9. खादी प्रेमी मंडल, खादी भंडार, ठि. पो. उदगीर Udgir, जि. बिदर हैदराबाद

प्रमाणित संस्थाओं के भावपत्रक

कृष्णा जिला सर्वोदय सहायक समिति, पुरीटिगड्डा

1.	खादीसफेद--कोरी	१८×५०"	२– ४–६	प्रतिगज
2.	"	२०×५०"	२– ८–४	"
3.	"	२२×५४"	२–१२–०	"
4.	"	२४×५४"	३– ६–०	"
5.	"	१६×४५"	२– १–०	"

धोती और लुंगी भी होती है।

ग्राम स्वावलंबी विद्यालय, रनीवाँ, फैजाबाद

क्रम	विवरण माल	नाप	पट्टी (घर)	सूत नंबर	दर	
1	थान सादा	१२×३२	६००	१०A	१) से १।=)	प्रतिगज
2	"	१२×३२	६५०	१२A	१≡) से १॥)	"
3	"	१२×३२	७००	१२A	१॥-) से १।॥)	"
4	धोती	४×४५	७००	१४A	६।=) से ६॥)	प्रतिनग
5	"	"	८००	"	७॥ से ७।॥)	"
6	"	"	९००	"	८। से ८॥)	"
7	चादर	५×४५	९००	१४A	५।॥) से ६)	"

कमिसन ७ प्रतिशत।

प्रमाणित खादी उत्पत्ति करनेवाली संस्था को खादी की शुद्धता के लिये चरखा संघ की सुझायी कार्यपद्धति का स्वीकार करना चाहिये।

ग्रामशिक्षा निकेतन, महुअवानंदना

सादी खादी	पट्टी (घर)	सूत अंक	दर (प्रतिगज, रु. आ. पा.
1. ,,	७००	१२	१- ९-६
2. ,,	,,	१४	१-१३-०
3. ,,	७५०	१४	१-१४-०
4. ,,	,,	१६	१-१५-०
5. ,,	८००	१६	२- ०-०
6. ,,	,,	१८	२- १-०

कमिशन ७ प्रतिशत। माल भाडा, पैकिंग, और ढुलाअी खर्च खरीददार को देना होगा।

गांधी आश्रम, मेरठ

	साअिज	सूत अंक	मूल्य	
1. खादी सफेद	१२×२७	८ से १६	१- ९-० से १-११-६	प्रतिगज
2. ,, ,,	१२×३२	८ से २०	१- १-० से २- ३-०	,,
3. ,, ,,	१२×३६	९ से १६	१- ५-० से १-१५-०	,,
4. ,, ,,	१२×४५	९ से २५	१- ८-६ से ३- ०-०	,,
5. धोती ,,	४×४५	,,	५-१२-० से ११- ०-०	प्रति नग
6. ,, ,,	(४, ४॥×४५; ५०	११ से १६	७- ६-० से १०- ६-०	,,
7. साडी ,,	५×४५	११ से २५	८-१२-० से १५-१०-०	,,
8. ,, छपी	,,	१० से २५	११- ०-० से १७- ८-०	,,
9. दो सूती	१२×३०	१० से २०	१- ९-० से २- ५-०	प्रति गज
10. दुवटा	,,	१२ से २५	२- ०-० से २-१५-०	,,

प्रमाणितों को बगैर सूतशर्त खादी बिक्री की अिजाजत है।

11. कोटिंग	१२×२८	१२ से २५	२- ०-० से	२-११-०	„
12. शर्टिंग चेक	२७″	५०० से ६०० पट्टी	१- ४-० से	१-१२-०	„
13. „ „	३२″	६०० से ७०० „	१- ७-० से	२- ७-०	„
14. „ डोरिया	२७″	५०० से ६०० „	१- २-० से	१-१२-०	„
15. „ „	३२″	६०० से ७०० „	१- ६-६ से	२- ०-०	„
16. दरी	७′×४′		९- ४-० से	१८- ०-०	प्रति नग

अिसके अलावा थेली, सॉक्स, टोपी, हाथ रुमाल, वनियन, टावेल, चद्दर, टेबल क्लॉथ, राष्ट्रीय झंडा आदि माल मिलता है।

कमिशन ६। प्रतिशत।

स्वराज्य आश्रम, जनरल गंज, कानपुर, अु. प्र.

कोटिंग, शर्टिंग, धोती, साडी, दरी, खेस, चादर, तौलिया, गमछा, रुमाल आदि सभी तरह की सूती खादी वनती है। कोटिंग शर्टिंग की अुत्पत्ति विशेप रूप से होती है। कोटिंग की दर २।. रु. गज से ३।. रु. गज तक और शर्टिंग की १।≈) से १॥≈) गज तक है।

प्रांत के अंदर ६ प्रतिशत और प्रांत के वाहर ६। प्रतिशत कमिशन दिया जाता है। प्रांत के अंदर पॅकिंग व मालभाडा नहीं लिया जाता है और प्रांत के वाहर पॅकिंग व मालभाडा लिया जाता है।

ग्रामोद्योग सहकारी संघ लि., सवदत्ती, जि. वेलगांव

	दर		
धोती—४×५०	११— ८—०	रु.	प्रतिनग
धोती—४×४५	९— ८—०	रु.	„
खादी—३६″	१—१२—०	रु.	प्रतिगज
खादी—४५″	२— ४—०	रु.	„

प्रमाणित खादी अुत्पत्ति करनेवाली संस्था को खादी की शुद्धता के लिये चरखा संघ की सुझायी कार्य पद्धति का स्वीकार करना चाहिये।

पंड्या खादी कार्यालय, चलाला

किस्म	नंबर × विशी	अिंच	दर (प्रतिगज)
दोसूती	१२ × ५		१-११-०
,,	१४ × ६		१-१२-०
,,	१८ × ७		२-१-०
अेकसूती	६ × ५		१-४-०
,,	८ × ६		१-५-०
,,	१० × ७		१-६-०
,,	१२ × ८	२७-३० "	१-७-०
,,	१६ × ९	३०-३६ "	१-१०-०
,,	१४ × १०	३६-४० "	१-१३-०
,,	१४ × ११	४५ "	२-१-०
,,	१६ × १२	,,	२-२-०
,,	१८ × १३	,,	२-४-०
,,	२२ × १४	,,	२-७-०
,,	२६ × १६	,,	२-१५-०
,,	३२ × १७	,,	३-२-०
,,	३६ × १८	,,	३-८-०
,,	४० × १९	,,	३-१३-०
,,	१८ × १४	५० "	२-७-०
,,	२० × १५	,,	२-११-०
,,	२४ × १६	,,	२-१५-०
,,	२६ × १७	,,	३-२-०
,,	३० × १८	,,	३-८-०
,,	३४ × १९	,,	३-१३-०
,,	४० × २०	,,	४-०-०

गुजरात और बंबअी शहर में माल भेज सकते हैं। कमिशन प्रति रुपया ०-१-३ दिया जाता है।

प्रमाणितों को बगैर सूतशर्त खादी बिक्री की इजाजत है।

गांधी आश्रम, तिरुचेनगोड्ड (सेलम)

			दर		
सफेद खादी धुली हुई–			रु. आ. पा.	रु. आ. पा.	
	स्टैंडर्ड	२०" से ५४"	०–१५– ० से	२– ७– ०	प्रति गज
	मध्यम	,,	१– ६– ० से	२–१०– ०	,,
	महीन	,,	२– ०– ० से	३– ८– ०	,,
धोती	स्टैंडर्ड	४०" से ५४"	२– ८– ० से	१०–१५– ६	प्रति नग
	मध्यम	,,	४– ४– ३ से	११–१३– ०	,,
	महीन	१॥ गज से ४॥गज	५– ७– ३ से	७–१४– ०	,,
टावेल्स	२८" से ३६" १॥ गज से २॥ गज	स्टैंडर्ड	१– ९– ० से	३–१४– ६	,,
		मध्यम	१–११– ० से	३– ६– ०	,,
		महीन	१–११– ६ से	४– ३– ६	,,
दुपट्टा	४५" से ५४" २॥ गज से ३ गज		६– ७– ० से	९– ०– ०	,,
कोटिंग	२७ इंची		१–१०– ० से	३– ०– ०	प्रतिगज

खादी कोटिंग तथा दुपट्टा रंगीन भी मिलता है। माल पर कमिशन नहीं दिया जाता

बम्बअी अुपनगर जिला ग्रामोद्योग संघ, बम्बअी

विक्री की चीजें

1. हर प्रान्त की खादी,
2. राष्ट्रीय झंडा और कांग्रेस झंडा (सरकार मान्य) पक्के रंगोंमें दोनों ओर चक्र और चरखा छपा हुआ,
3. अहिंसक चमडे से बनी चीजें-चप्पल, स्लीपर, शूज, पठाणी, अॅटेची, सूटकेस आदि,
4. तिल्ली का तेल,
5. किसान चरखा।

रेशम शिल्पी संघ, बरुआ

केवल कोरा थान मिलता है। किस्में व दर नीचे लिखे अनुसार:-

१२ × ५०" रेशम थान		४४)-५२) तक
११ × ४५" दो साड़ीका थान		३१॥)-३९॥=) तक
१२ × ४५" ड्रेस पीस के लिओ		३५॥)-४३) तक
१२ × ३६"		३५॥)-४३) तक
१२ × ३४"		३०)-३८) तक
३ × ५४"	चादर	आर्डर से
२॥ × ४५"	"	आर्डर से
टसर कोटिंग	...	८०) - ११०) तक
टसर शर्टिंग	१२ × ३४	४०) से १००) तक
टसर धोती	५ × ४५	२०) से ३०) तक
टसर साड़ी केवल लाल पाड	५ × ४५	३०) से ४०) तक
टसर चादर	३ × ५४	
कटिया चादर	३ × ५४	

टसर का सारा माल वटे ताने पर होगा। सब माल वास्तविक अुत्पत्ति मूल्य पर दिया जाता है। अतः कोअी कमिशन नहीं दिया जाता।

रेशम शिल्पी संघ, चक, अिस्लामपुर

	गज × अिंच	रु.		रु.	प्रति नग
1.	१२ × ५०" सिल्क पाट	५५	से	६५	"
2.	१२ × ४५" "	४५	से	५५	"
3.	१२ × ३६" "	४०	से	५०	"
4.	१२ × ३२" "	३८	से	४८	"
5.	१२ × ५० वटा थान				"
6.	१२ × ४५" "				"
7.	१२ × ३६" "				"
8.	१६ × २८" सिल्क कोटिंग				"

खादी विक्री चरखा संघ द्वारा नियत किये हुअे दरों से ही करनी चाहिये।

	गज × अिंच	रु.		रु.	प्रति नग
9.	३ × ६०" सिल्क चद्दर	४०	से	४५	प्रति जोडा
10.	३ × ५४" ,,	३६	से	४२	,,
11.	३ × ५०" ,,	३२	से	३६	,,
12.	२३/४ × ४५" ,,	३०	से	३२	,,
13.	७ × ३०" पगडी	२०	से	२५	प्रति नग
14.	८ × ३०" ,,	२२	से	२७	,,
15.	९ × ३०" ,,	२४	से	३०	,,
16.	१२ × ५०" मटका शर्टिंग	९०	से	१३०	,,
17.	१२ × ३४" ,,	५०	से	६०	,,
18.	३ × ५२" मटका चद्दर	४०	से	६०	प्रति जोडा
19.	१२ × ३६" मटका सिल्क	६०	से	७२	प्रति नग
20.	१६ × २८" मटका कोटिंग	१००	से	११२	,,
21.	५ × ४५" मटका साड़ी व धोती				
22.	५१/२ × ४६" ,, ,,				

जिनके दर नहीं दिये हैं वह माल ऑर्डर के मुताबिक तैयार किया जाता है।

सरकारी हाथकताअी-बुनाअी-केन्द्र, जलंधर

किस्म	नाप			दर	
1. खादी सफेद	नं० ७	२७"	रु०	०–१५–६	प्रति गज
2. ,,	नं० ८	२७"	,,	१– ०–०	,,
3. ,,	नं० ९	२७"	,,	१– १–०	,,
4. ,,	नं० १०	२७"	,,	१– १–९	,,
5. शर्टिंग		२७"	,,	१– ५–६ से १–६–०	,,
6. चोसकी		२७"	,,	१– ३–० से १–३–६	,,
7. कोटिंग		२७"	,,	२– २–६	प्रति गज

प्रमाणपत्र संस्था को दिया जाता है; व्यक्ति को नहीं।

किस्म	नाप		दर	
8. बेड शीट्स्	$२\frac{३}{४} \times १\frac{१}{२}$ गज	रु०	५– ८–०	प्रति नग
	$२\frac{१}{२} \times १\frac{१}{४}$ गज	”	५– ४–०	”
9. दोसूती	२७”	”	१– ८–०	प्रति गज
ड्रिल	२७”	”	१– ७–९	”
10. दोसूती	२७”	”	१– ६–६	”
ड्रिल	२७”	”	१– ६–६	”
11. दोसूती	२७”	”	१– ५–६	”
12. बेडदरी	$२\frac{१}{४} \times १\frac{१}{४}$ गज	”	११– ८–०	”
13. धोती	४ गज × ४५”	”	६– ८–० से ७– ०–०	”
14. खादी	५४”	”	२– ०–० से २– ३–०	”
”	३६”	”	१– ६–६ से १– ७–९	”
15. हनीकोम टावेल	२२”×३६”	”	१– ७–०	”
16. ”	२२”×४५”	”	१–१२–०	”
17. ”	२७”×५४”	”	२– ८–०	”
18. नैपकिन	१८”×१८”	”	०–१४–३	”
	२२”×२२”	”	१– २–३	”

कमिशन नहीं दिया जाता है।

बिहार खादी समिति, मुझफ्फरपुर

1. धोती– नाप ६×३४", ७×४०", ७×४२", ७×४४", ८×४२", ८×४४", ८×४५", ८×५०", ९×५०"
   पोत–८ से १४, अंक ७ से २५
   दर ८।।।=) से २४।=) तक

2. साडी– नाप १०×४५", पोत–९ से १३, अंक–१२ से २५,
   दर– १८।.) से ३०।।।=) किस्म–कोरवाली, धूपछांह, चेक

बिक्री मार्जिन कदापि ९–६–० % से अधिक नहीं रखना चाहिये। यातायात खर्च के लिये ३–२–० % तक जितना आता हो अुतना बढ़ाया जा सकता है।

3. लूंगी धूपछांह- नाप ५×४५", पोत-१०, अंक-१४-१६
दर- १२।।।=), १३।।।.)

4. थान सादा- नाप १२×२८", पोत-६ से १२, अंक ६ से २०
दर- ९।।-) से १८।=)

" " नाप १२×३२", १२×३५", पोत-८ से १३, अंक-८ से २५
दर- १४-) से २४।।-)

" " नाप १०×४५", १२×४५", १२×५०", १२×४०"
पोत-११ से १३, अंक-१६ से २५
दर -२१।।.) से ३४।-)

5. थान दो सूती नाप १२×२८", १२×३०", १२×३२" पोत-७ से १२,
अंक-१२ से २०, दर-१९।।.) से २३।।=),
किस्म-सादा, मोतीचूड़, बुलबुल

6. रुमाल- नाप १२×३५", पोत-११ से १३, अंक-१६ से २५
दर- २१।.) से २४।।।.)

7. चादर सादा नाप-५×४४", ६×५४", पोत-८ से१३, अंक-८ से २५.
दर-७।।।.) से १८।.)

8. चादर दोसूती तथा ट्वील-नाप-६×५४", ६×५६", ६×५८", पोत-७-८
अंक-१४ से २५, दर-१७।।।.) से २१।≡)

9. बिछावन एक सूती-नाप-५×४४", ५×५०", ५×६०" पोत-८ से ११;
अंक-८ से १६ दर-९।।=) से १५-)

10. गमछी- नाप-१२×२६", पोत-८ से १०, अंक-१० से १४,
दर -१२) से १४।।।.)

आदिम जाति सेवा मंडल, गुमला

		प्रतिगज
1. सादा अेक सूती कोरा	१२ × ३२"	१।।)
2. सादा दो सूती कोरा	१२ × ३२"	२).

उत्पत्ति से लेकर विक्री तक मार्जिन २० % से अधिक नहीं बढ़ाना चाहिये।

		प्रतिगज
3. गमछी	१॥ × ३२"	२।-)
4. ,,	॥। × ३२"	॥।)
5. ,,	१॥ × २८"	१।-॥

कमिशन ९—६—० प्रतिशत। धुलाअी का प्रबंध नहीं है, माल कोरा भेजा जाता है।

मध्यभारत खादी संघ, सबलगढ़

जात माल	लंबाअी चौडाअी गज अिंच	नंबर	दर (प्रति थान) रु. आ. पा.
1. गाढा	१६ × ३०	S D	३२—१०—०
2. ,,	,, ,,	A	२२— ०—०
3. दो सूती	१० × २७	S I	१७— ९—०
4. ,,	,, ,,	5	१६—११—०
5. कोटिंग	१२ × २७	S	३५—१४—०
6. ,,	,, ,,	देशी D	२३— ८—०
7. शर्टिंग	१६ × २७	S	३१— १—०
8. ,,	,, ,,	D	१९— ५—०

वैराठ तथा शाहपुरा खादी उत्पादक सहकारी समिति लि०

रेजी ८, ९, १०, गाढा ४, १, A, Sc, Sd, Se; दो सूती ६, ५, S, ६०, हाथरूमाल, मलमल आदि खादी तैयार होती है कमिशन ६$\frac{१}{२}$ प्रतिशत।

बिक्री का काम 'केन्द्रीय सर्वोदय सहकारी संघ लि०, नाहरगढ़ रोड, जयपुर, द्वारा होता है।

खादी व्यापार में अगर मुनाफा रहा तो अुसका विनियोग खादी कारीगरों के हितार्थ होना चाहिये। यह रकम चरखा संघ के पास अमानत रखनी चाहिये।

अुद्योग मंदिर, जयपुर

जात माल-सूरती रुअी

	जात माल	जात माल नम्बर	पोत	सूत नम्बर	दर
1.	गाढा	SF १६x३०	३२	२०	३८≡)
2.	,,	SE १६x३०	३०	१८	३५॥)
3.	,,	SD १६x३०	२६॥	१६	३२॥=)
4.	दोसूती	70 १०।x२८	२५	२०	३१=)
5.	,,	60 १०x२८	२१॥	१७	२७।-)
6.	मलमल	S 36 १६x३६	२२।	२०	३०॥≡
7.	,,	SI १०x५०	२०	१८	२४॥=)
8.	,,	S १०x४६	२१॥।	१८	२३॥।=)
9.	साडी जोडा रंगीन पाट	SI १०x५०	२०	१८	२५॥=)
10.	,,	S ,,	२१॥	१८	२५)
11.	धोती जोडा	SI ९x५०	२०	१८	२१।=)
12.	,,	S ८x४६	२१॥)	१८	१८॥=)
13.	साफा जोडा	S १६x२०	२२॥)	२०	१६=)
14.	हाथ रुमाल	S १६x१८	२२।)	२०	१५(।≡॥ फी नग)

जात माल जयपुरी रुअी

	जात माल	जात माल नम्बर	पोत	सूत नम्बर	दर
1.	गाढा	B १६x३०	४६	१२	२४।=
2.	,,	A ,,	४०	१०	२२)
3.	,,	4 ,,	३३	८-९	१८॥।-
4.	रेजी	8 १६x२८	३२	६-८	१७)
5.	कोटिंग	40 १२।x२८	२८	८-९	२३॥)
6.	शर्टिंग	D १६x२८	३२	८-९	१९।-)
7.	दोसूती	SI १०x२८	३०	१०-११	१७॥-)

8.	चादर जोडा	S	५x५४	३७	१०-११	१२।≈)
9.	,,	9	५x५४	३१॥	९	११)
10.	साडी जोडा	ड	१०x४६	३७	१६	१९।≈)
11.	,,	स	१०x४६	३३	११-१२	१७॥≈)
12.	धोती	ड	८x४६	३७	१३	१४।)
13.	,,	स	८x४६	३३	११-१२	१३≈)
14.	रेजी टावेल	8	१६x२८	३२	७-८	१७॥.॥

अुपरोक्त खादी किस्में प्रायः प्रचलित है। इसके अलावा मांग के अनुसार, नमूने के अनुसार, तथा सुविधाके अनुसार माल तैयार भी हो सकता हैं।

कमिशन ६। प्रतिशत दिया जाता है।

मत्स्य राज्य ग्राम सेवा मंडल, करौली

रेजी, गाढा, मलमल, धोती, हाथरूमाल, दोसूती, साफा और पगडी।
सफेद खादी—अर्ज–३०, सूत अंक ८ से २० तक।

मूल्य १ रु. प्रतिगज से २-४-० रु. प्रतिगज तक।

हैदराबाद कर्नाटक ग्राम सेवा संघ, हैदराबाद

	पुंजम्	अर्ज	दर–प्रतिगज
सफेद खादी	१२	३६"	१–१०–०
,,	१३	३६"	१–११–०
,,	१६	३६"	२– २–०
,,	१३	४५"	२– २–०
,,	१६	५०"	२– ४–०
,,	१८	५०" और ५४"	२– ८–०
,,	२०	५०"	२–१२–०

खादी व्यापार में अगर मुनाफा रहा तो अुसका विनियोग खादी कारीगरों के हितार्थ होना चाहिये। यह रकम संघ के पास अमानत रखनी चाहिये।

ता. 1-7-52 से 30-6-53 तक के लिये अधिकृत

सफेद खादी	२२ ५०" और ५४"	३-९-०
"	२४ ५०" और ५४"	३-१२-०
"	१६ × ४५"	२-४-० प्रति गज
सफेद साडी	१६ × ४५"	२-७-० " "
अर्धरंगीन साडी	१६ × ४५"	२-८-० " "
बिजली साडी	१६ × ४५"	२-१०-० " "
चौकडा साडी	१२½ x २७"	२-१४-० प्रति नग
टावेल हनीकोंब	८ x २७"	२-०-० प्रति गज
दुपटा कोटिंग	१० x २७"	२-६-० " "
"		

कमीशन- ६। प्रतिशत।

खादी ग्रामोद्योग प्रचार समिति, रेचना

	पोत	गज	अर्ज इंच	पुंजम	दर (प्रतिगज)
खादी	८३४	१२॥	३२	९	१।=
"	९३७	"	"	१०	१।≡॥
"	१०४०	"	"	१०॥	१॥
"	११४२	"	"	११।	१॥=
"	१२४५	"	"	१२	१॥≡
"	१०४०	१२॥	३६	१२	१॥।
"	१२४२	"	"	१३	१॥।-
"	९३७	"	४५	१४	२=
"	१०४०	"	४५	१५	२≡
"	१२४२	"	४५	१६	२।
"	१०४०	१२॥	५०	१७	२।=
"	१४४२	"	"	१८	२॥
दोसूती	१०२९	१२	२७	६॥	१॥।-
"	१२३२	"	"	७॥	१॥।=

खादी-बिक्री चरखा संघ द्वारा नियत किये हुये दरों से ही करनी चाहिये।

अेक सूती टावेल ८३४	१॥	२७	९	१॥।≡॥
खड्डा टावेल १०२९	१॥	२७	६॥	२॥≡॥

कमिशन १२॥. प्रतिशत ।

हैदराबाद खादी समिति, हैदराबाद

खादी—सूत नं. ८ से ७०, पोत ३४ से ८६ तक ।
अर्ज २७ अिंच से ७२ अिंच तक ।
दर प्रति गज रु. १–२–० से रु. ५–०–० तक ।

धोती—सूत नं. १० से २६, पोत ३७ से ५३ ।
नाप—३॥ × ४०, ३॥ × ४५, ३॥ × ५०, ४ × ४५, ४॥ × ५०
दर प्रति नग—रु. ५–११–० से रु. १३–०–० तक ।

साडी (अुत्तर पद्धति)—सूत नं. १६ से २४, पोत २४ से ४८ ।
नाप—५ × ४५, ६ × ४५, ५ × ५०, ६ × ५०
दर प्रति नग—रु. १०–२–० से रु. १५–१२–० तक ।

साडी (दक्षिण पद्धति)—सूत नं. १६ से २४, पोत ४२ से ४८ ।
नाप—७×४५, ८॥×४५, ९×४५, ७×५०, ८॥×५०, ९×५० ।
दर प्रति नग—रु. १२–२–० से रु. २२–१०–० ।

कोटिंग—पोत १२३१—रु. १–१२–० से २–४–० प्रति गज
„ २०४५—रु. २–८–० से २–१२–० „

पंचा, अुपरना, साफा—

पोत–१०४० } नाप—२॥ × ३६; ३ × ३६, २॥ × ४५,
„ १२४२ } २॥। × ५०, ६ × २०, ८ × २० ।

दर प्रति नग—रु. ४–१–० से रु. ६–८–० तक ।

तौलिये—अेक सूती–पोत–८३४ } नाप—२२ × २२, २७ × २७, १ × २७
दो सूती–पोत–१२३२ } ११ × २७, १॥ × २७।

दर प्रति नग–रु. ०–१०–० से रु. २–१०–० तक ।

प्रमाणितों को बगैर सूतशर्त आदी विक्री की अिजाजत है ।

ता. 1-7-52 से 30-6-53 तक के लिये अधिकृत

	पोत	गज	अर्ज (अिंच)		दर प्रतिगज
सद्दा चादर	८२९	३	५४	=	८॥≡
अर्ध धूनी चादर	८२७	२॥।	५४	=	९॥
रंगीन नक्षी चादर	८२७	२॥	५०	=	९॥
शुभ्र ड्रिल चादर	९३४	२॥।	५४	=	८॥≡
" "	८२७	२॥।	५४	=	७॥
टेबल क्लॉथ बिना गाँठके	४५	४५		=	३
" "	३६	३६		=	२।
" "	३६	४५		=	२॥।/
" "	४५	५४		=	३॥
" "	२७	२७		=	१॥
मच्छरदानी ५० अिंची			फी गज	=	२॥
नेट शर्टिंग			पु. १० ॥ × ३२	=	१॥≡

प्रमाणित खादी उत्पत्ति करनेवाली संस्था को खादी की शुद्धता
खा संघ की सुझायी कार्यपद्धति का स्वीकार करना चाहिये।

अ. भा. चरखा संघ, प्रधान कार्यालय सेवाग्राम (वर्धा)

प्रमाणपत्र के नियम

(संघ की ता. २९, ३० व ३१ जुलाअी १९५२ की सभा में संशोधित)

१. प्रमाणपत्र खादी की अुत्पत्ति और बिक्री के लिये तथा केवल अुत्पत्ति या बिक्री के लिये भी दिये जायेंगे।

२. प्रमाणपत्र मुख्यतः परोपकारी सार्वजनिक संस्थाओं या सहकारी संस्थाओं को दिये जायेंगे। व्यक्ति को कदापि नहीं। खयाल रहे कि प्रमाणपत्र संस्थाओं के लिये हैं, न कि खादी या खादी से बनी चीजों के लिये।

३. अेक ही क्षेत्र में अेक से अधिक संस्थाओं को भी प्रमाणपत्र दिया जा सकेगा और अुसका कामकाज संघ के प्रधान कार्यालय के नियंत्रण में चलेगा। लेकिन प्रमाणपत्र प्रत्यक्ष मंजूर करने का अधिकार, विभाग संचालक की सिफारिश से, संघ के मंत्री को होगा।

४. संस्था को संघ के बने हुअे और भविष्य में समय-समय पर बनने वाले सब नियम-अुपनियमों का पालन करना होगा।

५. संस्था को अपना सारा खादीकाम संघ की नीति के अनुसार, तथा अुन्हें संघ द्वारा समय-समय पर दी हुअी हिदायतों के अनुसार, चलाना होगा।

६. प्रमाणपत्र का वर्ष संघ के हिसाबी वर्षानुसार फिलहाल १ जुलाअी से ३० जून तक गिना जायगा। प्रमाणपत्र कभी भी अेक वर्ष से अधिक समय के लिये नहीं दिया जायगा। वर्ष के बीच दिया हुआ प्रमाणपत्र अुसी वर्ष के आखिर में खतम हो जायगा। चालू वर्ष खतम होने के अेक माह पहले ही दरख्वास्त करके नये वर्ष के लिये फिर से नया प्रमाणपत्र ले लेना चाहिये। अुसकी मीआद खतम होने पर संस्था को बिना प्रमाणपत्र लिये खादी का काम नहीं करना चाहिये।

७. प्रमाणपत्र अुसी संस्था को दिया जायगा जिसके पदाधिकारी और कार्यकारी मंडल के सदस्य तथा खादी का प्रत्यक्ष अुत्पत्ति-बिक्री का काम करने वाले सब कार्यकर्ता आदतन व संपूर्ण खादीधारी हों।

सब कार्यकर्ताओं को नियमपूर्वक हर महीने कम-से-कम साढ़े सात गुंडी केवल कताअी का अथवा पाँच गुंडी संयुक्त कताअी का सूत (४ फुट=१ तार और ६४० तार=१ गुंडी) स्वयं कातना ही चाहिये। अुन्हें चरखा संघ के साधारण सहयोगी सदस्य भी बनना होगा।

संस्था के लिये यह भी आवश्यक है कि अुसके अुद्देश्यों में खादी को विशेष स्थान हो। अुस दृष्टि से यह ज़रूरी है कि संस्था में प्रत्यक्ष किसी प्रकार से मिल के सूत या मिल के सूत के बने या मिल के बने कपड़े का व्यापार न होता हो, तथा संस्था के ट्रस्टी अथवा संचालक मंडल के सदस्य या संस्था की कोअी अुपसमिति या वह किसी संस्था की अुपसमिति हो तो वह मूल संस्था प्रत्यक्ष मिल सूत या मिल कपड़े का व्यापार न करती हो।

८. आवश्यकता होनेपर संस्था जहाँ तक हो सके बिना व्याज, या कम से कम व्याज पर कर्ज लेने की कोशिश करे।

९. अगर संस्था नियम-अुपनियमोंका ठीक-ठीक पालन न करेगी तो अुसका प्रमाणपत्र अुसकी मीआद के बीच में ही रद्द कर दिया जा सकेगा।

संस्था ने नियमों का भंग किया या नहीं, अिसका निर्णय करने का अधिकार संघ को होगा और संघ का फैसला संस्था को बंधनकारक होगा।

१०. संस्था का फर्ज है कि अुसके दायरे में जो वस्त्र-स्वावलंबी होंगे अुनका सूत बुनवाने का प्रबंध वह करे।

११. जितने दायरे में संस्था का कताअी-बुनाअी का काम होता है अुतने क्षेत्र के लोगों में अुसे अधिक खादी खपाने की कोशिश करनी चाहिये। स्थानिक खपत की मात्रा बढ़ते परिमाण में होनी चाहिये। स्थानिक खपत के बाद बचा हुआ माल वह प्रान्त में बेच सकेगी। पर आंतर-प्रांतीय खपत के लिये अुसे चरखा संघ से अिजाज़त लेनी होगी।

१२. कारीगरों की मजदूरी संघ द्वारा नियत किये दरों से कम न देनी चाहिये। अुनको सिखाकर अुतनी मज़दूरी पाने के लायक बनाना चाहिये तथा अैसा प्रबंध करना चाहिये जिससे अुनको अच्छे औज़ार और अच्छा कच्चा माल मिल सके।

१३. संस्था को अपना काम चरखा संघ द्वारा मुकर्रर किये हुये क्षेत्र में ही करना होगा। अुसके बाहर बिना चरखा संघ की अिजाजत से अुसे काम करना नहीं चाहिये। रेशम और अून के काम के लिये परिस्थिति का विचार करके अधिक मर्यादा रखी जा सकती है।

१४. संस्था को संघ की हिदायत के मुताबिक हिसाब, रजिस्टर आदि रखने होंगे और वे संघ के निरीक्षकों को बतलाने होंगे तथा अुनको हिसाब जाँचने में मदद करनी होगी। समय-समय पर मांगे हुअे रिपोर्ट्स और अंक भेजने होंगे और वार्षिक हिसाब संघ को भेजना होगा।

१५. संस्था को अपना माल संघ द्वारा समय-समय पर नियत किये दरों से ही बेचना होगा। वह अप्रमाणित व्यापारी को अपना माल नहीं बेच सकेगी।

अुसी तरह चरखा संघ से या चरखा संघ द्वारा प्रमाणित अन्य संस्थाओं से ही वह सूत, सूती, अूनी या रेशमी खादी खरीद कर सकेगी।

१६. (अ) संस्था को सूती, अूनी तथा रेशमी अुत्पत्ति के लिये फी-रुपया अधिक से अधिक डेढ़ आना व्यवस्था-खर्च लगाने की अिजाजत रहेगी। अुसमें से सब तरह का अुत्पत्ति का खर्च कच्चे माल की यातायात का खर्च, सूद तथा वेतन आदि का खर्च निभाना होगा।

बिक्री के लिये यातायात-खर्च मिला कर फी-रुपया अधिक से अधिक दो आना लगाने की अिजाजत होगी।

(आ) मंजूर शुदा व्यवस्था-खर्च के अुपरांत संस्था को पूँजी के लिये फुटकर बिक्री पर रुपये पीछे आधा आना अधिक लगाने की अिजाजत है, बशर्ते कि अिस आधे आने का अुपयोग संस्था केवल अपनी पूँजी बढ़ाने में ही कर सकेगी, अन्य किसी काम में नहीं।

१७. (अ) संस्था को संघ द्वारा मंजूर किया हुआ फी रुपया खर्च लेने के बाद जो मुनाफ़ा रहेगा, वह संस्था के पास कारीगर-सेवा-कोष में जमा होकर वहाँ दो वर्ष तक बना रहेगा। तीसरा वर्ष शुरू होने पर पहले वर्ष की रकम, नियमों के अनुसार कामगार और ग्राहकों के सेवाकार्य में खर्च की जाय। अिस प्रकार दो-दो वर्ष की रकम बनी रहेगी और यदि संस्था को हानि हो तो अुसकी पूर्ति में वह लगायी जा सकेगी।

(आ) मंजूरशुदा फी रुपया व्यवस्था-खर्च की मर्यादा में हुअी बचत संस्था की रहेगी। याने रुपये पीछे डेढ़ आना व्यवस्था-खर्च के लिये मंजूर हो, तो कुल व्यवहार पर डेढ़ आने के हिसाब से जो भी रकम होगी अुसमें से संस्था अपना व्यवस्था-खर्च निभावेगी तथा संस्था अुसमें कुछ बचत कर सकेगी तो वह अुसका अुपयोग अपने मन के अनुसार कर सकेगी।

१८. प्रांतीय सरकारों, स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं तथा रजिस्टर्ड सहकारी संस्थाओं के लिये विशेष यह है कि बचे हुअे मुनाफ़े का अुपयोग संघ की सूचनाओं का खयाल रख कर सरकारी नियमों के अनुसार वह कर सकती हैं। अिस सम्बन्ध के अुपनियम चरखा संघ की सलाह लेकर बनाये जाने चाहिये।

१९. संस्था का व्यवस्थापक खादी में विश्वास रखने वाला और चरखा संघ की पसंदगी का होना चाहिये।

२०. प्रमाणपत्र की मीआद खतम होते ही या रद्द किये जाने की सूचना प्राप्त होते ही चरखा संघ को प्रमाणपत्र वापिस कर देना चाहिये।

२१. प्रमाणपत्र की वार्षिक फीस नीचे लिखे मुताबिक रहेगी; लेकिन रुपये २० से कम और रुपये २५० से ज्यादा नहीं होगी। फीस का हिसाब सूती, अूनी व रेशमी तीनों तरह की खादी पर होगा। सरंजाम, ग्रामोद्योग वस्तु आदि अन्य विक्री पर फीस नहीं रहेगी।

फुटकर विक्री पर अेक रुपया प्रति हजार;
थोक विक्री पर २ रुपये प्रति हज़ार;

जिनकी फीस रु. २५० हो अनको फीस के अलावा चरखा संघ

का निरीक्षक, संस्था का निरीक्षण करने आये तब अुसका वेतन व मार्ग-व्यय देना होगा।

यह फीस प्रमाणपत्र मंजूर होते ही प्रमाणपत्र मिलने के पहले देनी होगी। पूरे हुअे साल की बिक्री के अनुसार फीस का हिसाब कर वह रकम नये साल के प्रमाणपत्र की अर्जी के साथ स्था० च० संघ विभाग संचालक के पास प्रमाणपत्र के आवेदनपत्र के साथ भेजनी चाहिये।

द्रष्टव्य—"संस्था" का मतलब खादी अुत्पत्ति-बिक्री का विशेष अुद्देश्य रखकर काम करने वाले सार्वजनिक और परोपकारी मंडल या ट्रस्ट से है। "संघ" अर्थात् अखिल भारत चरखा संघ है।

सेवाग्राम,
१०-१-९-५२

मंत्री
अखिल भारत चरखा संघ

अखिल भारत चरखा संघ, सेवाग्राम (वर्धा) मध्यप्रदेश

प्रमाणपत्र की अर्जी

[साल १९५   –१९५   के लिये]

श्री. मंत्रीजी,

अखिल भारत चरखा संघ, प्रधान कार्यालय, सेवाग्राम (वर्धा)
मार्फत–अ. भा. चरखा संघ, शाखा/विभाग..............................

१. दरख्वास्त देनेवाली संस्था का नाम और पूरा पता

२. संस्था कब बनायी गयी ? चरखा संघ का प्रमाणपत्र पहली बार कब लिया गया ?

३. संस्था रजिस्टर्ड करायी गयी है या अुसका कोअी ट्रस्ट-डीड रजिस्टर्ड किया गया है ?
(अिन दस्तावेजों तथा नियमों की नकलें भेजें ।)

४. संस्था के सदस्यों और ट्रस्टियों के नाम लिखें तथा यह भी लिखें कि यह सब आदतन् खादीधारी हैं क्या ? अिनका मिल कपड़े तथा मिल-सूत के व्यापार से कोअी सम्बन्ध तो नहीं है ?

५. प्रमाणपत्र नया चाहिये या पुराना नया करना है ?

६. क्षेत्र, जिसमें नया कार्य किया जायगा ।

७. संस्था जिस क्षेत्र में कार्य करेगी, अुसमें चरखा संघ का या किसी अन्य प्रमाणित संस्था का अभी काम होता है क्या ?

८. संस्था के अुत्पत्ति और बिक्री केन्द्र कहाँ-कहाँ हैं ? नये केन्द्र कहाँ चालू करने का विचार है ?

९. (अ) वार्षिक आनुमानिक अुत्पत्ति रु०
(मूल्य बिक्री-दरों पर तथा वर्ग-गज)

(आ) वार्षिक आनुमानिक विक्री थोक रु.

" " " फुटकर रु.

(अि) थोक विक्री पर फी रुपया कमिशन

१०. (क) लगी हुअी ँजी रु०

(ख) संस्था की खुद की पूँजी रु०

(ग) क़र्ज़ पर ली हुअी ँजी रु०

(घ) क़र्ज़ की पूँजी का ब्याज प्रति सैकड़ा

११. ख़र्च के लिये प्राप्य कच्चे मुनाफ़े का विवरण।

१२. आनुमानिक व्यवस्था ख़र्च रु०

(बजट के रूप में पूरा विवरण नत्थी किया जाय। कार्यकर्ताओं के नाम के साथ वेतन का विवरण भी हो। और वे सब वस्त्र-स्वावलंबी अर्थात् नियमित रूप से सूत कातनेवाले हैं क्या? यह भी लिखें।)

१३. अुत्पत्ति और विक्री के परिमाण में ख़र्च का प्रतिशत

१४. संस्था की खादी कार्यक्षेत्र के जिलों के बाहर विक्री के लिअे जाती है क्या? कहाँ और कितनी?

१५. गत तीन वर्षों में संस्था को कितना मुनाफ़ा हुआ है? अुसका अुपयोग कितना और किस प्रकार किया गया?

प्रमाणपत्र सम्बन्धी सब नियम पढ़ लिये हैं और वे हमें मंजूर हैं। हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारी संस्था अुन तमाम नियमों का भी पालन करेगी जो कि संघ नये बनावेगा या वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा। हम अपना प्रमाणपत्र मुद्दत पूरी होते ही या यदि वह रद्द किया गया तो अुसके रद्द होने की सूचना मिलते ही वापस कर देंगे।

हम यह स्वीकार करते हैं कि यदि हमारी संस्था के कामकाज में अधिकृत ख़र्च के अुपरान्त कोअी मुनाफ़ा बचेगा तो हम संघ के नियमों के अनुसार अुसका अुपयोग करेंगे।

पूरे हुअे साल की याने सन १९५ – १९५ की फुटकर तथा थोक बिक्री रु. तथा रु. क्रमशः हुअी है। अुस अनुसार प्रमाणपत्र की फीस रु.········ अिसके साथ भेजी है।

स्थान················

ता०···················· ·······················

पूरे हस्ताक्षर
तथा अधिकार-पद

मैं सिफारिश करता हूँ कि अिन्हें प्रमाणपत्र दिया जाय।

(सही)
संचालक

अ. भा. चरखा संघ————विभाग/————

स्थान :————ता०————

---

१. प्रमाणित संस्थाओं से निवेदन है कि वे अैसे फ़ार्म भर कर संघ के विभाग संचालक के पास भेजें। संचालक अपनी सिफारिश के साथ अेक प्रति संघ के पास रवाना करे। जिस संस्था के बारे में अुपर्युक्त जानकारी नहीं मिलेगी और जिनको प्रमाणपत्र देना मंजूर नहीं हुआ होगा, अुस संस्था का नाम प्रमाणित संस्थाओं की सूची में दाखिल नहीं किया जायगा। प्रमाणित संस्थाओं की सूची खादी केंद्र-सूची में प्रसिद्ध की जाती है।

अजन्सी के नियम

(नीचे लिखे नियमों के अनुसार प्रमाणित संस्थाओं खादी-बिक्री की अजन्सियाँ दे सकती हैं। अजन्सी की जानकारी संघ को देनी चाहिये।)

१. अजन्सी स्वयं खादी पहननेवाले को ही दी जायगी। अुसे चरखा संघ का सहयोगी सदस्य बनना चाहिये। (सहयोगी याने प्रतिवर्ष खुद काती हुअी छः गुंडी सूत चरखा संघ को चन्दा देनेवाला।)

२. विदेशी कपड़े का या स्वदेशी मिल के सूत या कपड़े का बेपार या सिलाअी करनेवाले को अजन्सी नहीं दी जायगी।

३. अजन्ट को माल नगदी से लेना होगा।

४. माल तथा टुकड़े वापिस नहीं लिये जायेंगे। माल लाने-ले जाने का खर्च अजन्ट पर रहेगा। माल की जोखिम अजन्ट पर रहेगी।

५. अजन्ट को सम्बन्धित भंडार के भाव से ही माल बेचना होगा। संबंधित भंडार के लेबल माल पर वैसे ही कायम रखने चाहिये। अजन्ट अपने खुद के लेबल नहीं लगा सकेगा।

६. माल लेने में अजन्ट किसी विशेष तरह के माल का आग्रह न रखे, जो माल स्टॉक में हो अुसीमें से अुसे माल लेना चाहिये। थान फाड कर माल नहीं दिया जायगा। लेकिन फाडा हुआ थान या टुकड़ा हो तो वह दिया जा सकेगा।

७. बिक्री तिहरे पन्नों के "मेमो बुक" से करनी चाहिये। अेक पन्ना ग्राहक को देना चाहिये, दूसरा पन्ना अपने पास रखना चाहिये और तीसरा पन्ना हर मास, मासिक बिक्री के अंक के साथ, संबंधित भंडार को भेजना चाहिये।

८. अजन्ट रंगाअी, छपाअी, सिलाअी आदि करा कर तैयार माल बनवावें तो तैयार माल की लागत कीमत पर रुपये पीछे अेक आने तक कीमत चढ़ा कर अुसे बेच सकेगा। अुसे तैयार माल का बीजक बना कर संबंधित भंडार को भेजना होगा।

९. अेजन्ट को संबंधित भंडार के अलावा और किसीसे खादी न लेनी चाहिये। अखिल भारत चरखा संघ की प्रमाणित संस्थाओं के पास से खादी लेनी हो तो माल की ऑर्डर संबंधित भंडार द्वारा भेजनी चाहिये। अगर संबंधित भंडार ठीक समझेगा तो माल मंगाने की अिजाजत दी जावेगी।

१०. अेजन्सी, संबंधित भंडार और अेजन्ट दोनों की ओर से चाहे जब बंद की जा सकेगी।

११. यह अेजन्सी खुद के अुपयोग के लिये खादी खरीदने वाले ग्राहकों को संबंधित भंडार के भावों से ही माल मिले अिस अुद्देश्य से दी जाती है। अतः अेजन्ट अन्य वेपारियों को माल नहीं वेच सकेगा।

१२. अेक वर्ष में कम से कम रुपये ५००) का माल वेचने पर अेजन्ट को अेक रुपया पर अेक आना के हिसाब से कमिशन माँगने का हक होगा। अेजन्ट की अेक समय की खरीदी रुपये २५ से कम हो तो अुस पर कमिशन नहीं दिया जायगा। अेजन्ट माल खरीद करेगा तब बिल में कमिशन का हिसाब किया जायेगा। और साधारणतः रुपये १,००० तक सालियाना बिक्री करनेवाले अेजन्ट से रुपये २५ और १,००० से अूपर की बिक्री करनेवाले से रुपये ५० डिपॉझिट की रकम भंडार में जमा होने तक कमिशन नहीं दिया जायेगा। अिस अमानत रकम पर व्याज नहीं मिलेगा। डिपॉझिट की रकम पूरी होने के बाद के बिलों के कमिशन की रकम माल ले जाने के समय ही दे दी जावेगी।

१३. अेजन्ट द्वारा अेजन्सी के नियमों का भंग हुआ है अैसा पाया गया तो डिपॉझिट की रकम जप्त की जायगी और अेजन्सी बंद कर दी जायगी।

१४. चरखा संघ का निरीक्षक हिसाब जाँचने आवे तो अुसे सब हिसाब-किताब दिखाना होगा। नियत दर से ज्यादा दर लगाये गये दिखाअी दें तो ज्यादा दर की रकम संघ के पास तुरंत जमा करनी होगी।

अेजन्सी आवेदनपत्र का फार्म

श्रीमान् मंत्री,

अखिल भारत चरखा संघ प्रमाणित खादी भंडार, ____________________

____

महोदय,

चरखा संघ की अेजन्सी के नियमों के अनुसार मैं आपके भंडार की अेजन्सी लेना चाहता हूँ। मैं खादी आपके ही ____________________ खादी भंडार से खरीदूँगा। आप मेरा नाम अपने अेजन्टों में दाखिल करने की कृपा करें।

आवेदक

मुकाम ____________________ (सही) ____________________

तारीख ____________________ नाम ____________________

पूरा पता ____________________

____

—अूपर का आवेदनपत्र मंजूर किया जाता है।

(सही) ____________________

मंत्री, अ० भा० चरखा संघ प्रमाणित

तारीख १९५ । ____________________

नकल जानकारी के लिये :

(१) अ० भा० चरखा संघ, प्रधान कार्यालय-सेवाग्राम (वर्धा)।

(२) अ० भा० चरखा संघ, विभाग ____________________

आठ आने के कताअी-दर

चरखा संघ ने जब जीवन-निर्वाह मजदूरी के सिद्धांत को अपनाया था, तब अनेक अनुभवों के बाद अन्त में आठ घंटों के कुशल काम पर कम से कम तीन आने मज़दूरी की मर्यादा सन् १९३९ में तय की थी। जागतिक लड़ाअी के दरमियान और बाद में महँगाअी बढ़ती गयी। साथ साथ कताअी मज़दूरी के दर भी बढ़े। अब वे कहीं छः आने तो कहीं आठ आने के पैमाने पर दिये जाते हैं। पर सन १९३९ की तुलना में अभी की महँगाअी का ख्याल किया जाय तो अब कताअी के दर कम-से-कम बारह आने होने चाहिये, यह बात चरखा संघ के ध्यान में थी।

महसूस होता रहा कि अितने परिणाम में कताअी के दर बढ़ाये जा सकें तो अच्छा हो। लेकिन अैसा करने में कअी व्यावहारिक दिक्कतें हैं, यह देखकर अ. भा. चरखा संघ ने निर्णय किया कि—

(क) जहाँ आठ आने से कम दर हैं वहाँ वे कम से कम आठ आने जल्दी ही कर दिये जायँ। जहाँ संभव हो वहाँ, और जिन अंकों के लिअे संभव हो अुन अंकों के सूत के लिअे, अधिक दर दिये जायँ। किसी भी अंक के लिये आठ आने से कम दर न दिये जायँ।

(ख) अब कताअी करनेवालों को कपास से लेकर कपड़ा बुनने तक की सब प्रक्रियाअें करने की ओर प्रवृत्त करना जरूरी है। अिस व्यवस्था में खादी के आज के दरों में विशेष वृद्धि न होते हुअे कताअी में रोजी का पैमाना अूँचा अुठ सकेगा। अैसी सब प्रक्रियाअें करने वालों को आठ घंटे के कुशल काम के लिये कम से कम बारह आना मज़दूरी मिलनी चाहिये।

(ग) कताअी घरेलू धंधा रखते हुअे अेक से अधिक तकुवों के चरख का प्रचार कर के कताअी की मज़दूरी बारह आने तक पहुँचाने की कोशिश की जाय।

कम से कम तीन आने का पैमाना निश्चित करते वक्त कातने की जो गति निर्धारित की थी अुसी हिसाब से, नंबर के मुताबिक, कताअी के नीचे लिखे दर दिये जायँ—

सूत का अंक	कताअी दर	सूत का अंक	कताअी दर	सूत का अंक	कताअी दर
६	१।–॥	२२	६॥≡	६०	२५
७	१॥≡	२४	७।=	६५	२८
८	२	२६	८	७०	३१
९	२।–॥	२८	९	७५	३४
१०	२॥≡	३०	१०	८०	३७
११	३	३२	११	८५	४०
१२	३।–	३६	१२॥	९०	४३
१४	४	४०	१५	९५	४६॥
१६	॥≡	४५	१७॥	१००	५०
१८	५।	५०	२०		
२०	६	५५	२२॥		

खादी की खरीद कीमत पर चढाये जानेवाले व्यवस्था खर्च की तालिका

प्रति रुपया नीचे लिखे अनुसार खर्च चढाने के लिये

चढाने का	०-१-०	०-१-३	०-१-६	०-१-९	०-२-०	०-२-३
खर्च			खरीद कीमत			
०-०-३	०-१-६	०-१-३	०-१-०	०-०-९	०-०-९	०-०-६
०-०-६	०-५-६	०-४-६	०-३-९	०-३-०	०-२-९	०-२-३
०-०-९	०-९-६	०-७-९	०-६-३	०-५-३	०-४-९	०-४-०
०-१-०	०-१३-६	०-१०-९	०-९-०	०-७-३	०-६-९	०-५-९
०-१-३	१-१-६	०-१४-०	०-११-९	०-१०-०	०-८-९	०-७-६
०-१-६	१-५-६	१-१-३	०-१४-३	०-१२-३	०-१०-९	०-९-६
०-१-९	१-९-६	१-४-६	१-१-०	०-१४-६	०-१२-९	०-११-३
०-२-०	१-१३-६	१-७-९	१-३-९	१-०-९	०-१४-९	०-१३-०
०-२-३	२-१-६	१-१०-९	१-६-३	१-३-०	१-०-९	०-१४-९
०-२-६	३-५-६	१-१४-०	१-९-०	१-५-३	१-२-९	१-०-६
०-२-९	२-९-६	२-१-३	१-११-९	१-७-६	१-४-९	१-२-३
०-३-०	२-१३-६	२-४-६	१-१४-३	१-१०-०	१-६-९	१-४-०
०-३-३	३-१-६	२-७-९	२-१-०	१-१२-३	१-८-९	१-५-९
०-३-६	३-५-६	२-१०-९	२-३-९	१-१४-६	१-१०-९	१-७-६
०-३-९	३-९-६	२-१४-०	२-६-३	२-०-९	१-१२-९	१-९-६
०-४-०	३-१३-६	३-१-३	२-९-०	२-३-०	१-१४-९	१-११-३
०-४-३	४-१-६	३-४-६	२-११-९	२-५-३	२-०-९	१-१३-०
०-४-६	४-५-६	३-७-९	२-१४-३	२-७-६	२-२-९	१-१४-९
०-४-९	४-९-६	३-१०-९	३-१-०	२-१०-०	२-४-९	२-०-६
०-५-०	४-१३-६	३-१४-०	३-३-९	२-१२-३	२-६-९	२-४-०
०-५-३	५-१-६	४-१-३	३-६-३	२-१४-६	२-८-९	२-५-९
०-५-६	५-५-६	४-४-६	३-९-०	३-०-९	२-१०-९	२-७-६
०-५-९	५-९-६	४-७-९	३-११-९	३-३-०	२-१२-९	२-९-६
०-६-०	५-१३-६	४-१०-९	३-१४-३	३-५-३	२-१४-९	२-११-३

१. पूरे थान का जो भाव हो अुसके लेबल पर जितने गज लिखे होंगे अुस अनुसार अेक गज की खरीद कीमत निकालिये।

प्रति रुपया नीचे लिखे अनुसार खर्च चढाने के लिये

चढाने का	०—२—६	०—२—९	०—३—०	०—३—६	०—४—०	०—४—६
खर्च	खरीद कीमत					
०—०—३	०—०—६	०—०—६	०—०—६	०—०—६	०—०—६	०—०—३
०—०—६	०—२—०	०—२—०	०—१—९	०—१—९	०—१—६	०—१—३
०—०—९	०—३—९	०—३—६	०—३—३	०—२—९	०—२—६	०—२—०
०—१—०	०—५—३	०—४—९	०—४—६	०—४—०	०—३—६	०—३—०
०—१—३	०—७—०	०—६—३	०—५—९	०—५—०	०—४—६	०—३—९
०—१—६	०—८—६	०—७—९	०—७—३	०—६—३	०—५—६	०—४—९
०—१—९	०—१०—०	०—९—३	०—८—६	०—७—३	०—६—६	०—५—६
०—२—०	०—११—९	०—१०—९	०—९—९	०—८—६	०—७—६	०—६—६
०—२—३	०—१३—३	०—१२—०	०—११—३	०—९—९	०—८—६	०—७—३
०—२—६	०—१५—०	०—१३—६	०—१२—६	०—१०—९	०—९—६	०—८—३
०—२—९	१—०—६	०—१५—०	०—१३—९	०—१२—०	०—१०—६	०—९—३
०—३—०	१—२—०	१—०—६	०—१५—३	०—१३—०	०—११—६	०—१०—०
०—३—३	१—३—९	१—२—०	१—०—६	०—१४—३	०—१२—६	०—११—०
०—३—६	१—५—३	१—[illegible]—६	१—१—९	०—१५—३	०—१३—६	०—११—९
०—३—९	१—७—०	१—४—९	१—३—३	१—०—६	०—१४—६	०—१२—९
०—४—०	१—८—६	१—६—३	१—४—६	१—१—९	०—१५—६	०—१३—६
०—४—३	१—१०—०	१—७—९	१—५—९	१—२—९	१—०—६	०—१४—६
०—४—६	१—११—९	१—९—३	१—७—३	१—४—०	१—१—६	०—१५—३
०—४—९	१—१३—३	१—१०—९	१—८—६	१—५—०	१—२—६	१—०—३
०—५—०	१—१५—०	१—१२—०	१—९—९	१—६—३	१—३—६	१—१—३
०—५—३	२—०—६	१—१३—६	१—११—३	१—७—३	१—४—६	१—२—०
०—५—६	२—२—०	१—१५—०	१—१२—६	१—८—६	१—५—६	१—३—०
०—५—९	२—३—९	२—०—६	१—१३—९	१—९—९	१—६—६	१—३—९
०—६—०	२—५—३	२—२—०	१—१५—३	१—१०—९	१—७—६	१—४—९

२. खरीद कीमत पर प्रति रुपया जितना आना खर्च चढाना हो, अुसके नीचे वाले खाने में वह खरीद कीमत देख कर अुस लाअिन के पहले खाने में दिया हुआ खर्च खरीद कीमत पर चढाना चाहिये।

३. प्रत्येक खाने में दी हुअी खरीद कीमत के नीचे के खाने में दी हुअी कीमत से अेक पैसा कम कीमत तक अुसी लाअिन के पहले खाने में दिया हुआ खर्च चढाया जाय।

प्रति रुपया नीचे लिखे अनुसार खर्च चढाने के लिये।

०-५-०			०-३-६	०-४-०	०-४-६	०-५-०
चढाने का खर्च	खरीद कीमत	चढाने का खर्च	खरीद कीमत			
०-०-३	०-०-३	०-६-३	१-१२-०	१-८-६	१-५-६	१-३-६
०-०-६	०-१-०	०-६-६	१-१३-०	१-९-६	१-६-६	१-४-३
०-०-९	०-१-९	०-६-९	१-१४-३	१-१०-६	१-७-३	१-५-०
०-१-०	०-२-९	०-७-०	१-१५-३	१-११-६	१-८-३	१-५-९
०-१-३	०-३-६	०-७-३	२-०-६	१-१२-६	१-९-३	१-६-९
०-१-६	०-४-३	०-७-६	२-१-९	१-१३-६	१-१०-०	१-७-६
०-१-९	०-५-०	०-७-९	२-२-९	१-१४-६	१-११-०	१-८-३
०-२-०	०-५-९	०-८-०	२-४-०	१-१५-६	१-११-९	१-९-०
०-२-३	०-६-९	०-८-३	२-५-०	२-०-६	१-१२-९	१-९-९
०-२-६	०-७-६	०-८-६	२-६-३	२-१-६	१-१३-६	१-१०-९
०-२-९	०-८-३	०-८-९	२-७-३	२-२-६	१-१४-६	१-११-६
०-३-०	०-९-०	०-९-०	२-८-६	२-३-६	१-१५-३	१-१२-३
०-३-३	०-९-९	०-९-३	२-९-९	२-४-६	२-०-३	१-१३-०
०-३-६	०-१०-९	०-९-६	२-१०-९	२-५-६	२-१-३	१-१३-९
०-३-९	०-११-६	०-२-९	२-१२-०	२-६-६	२-२-०	१-१४-९
०-४-०	०-१२-३	०-१०-०	२-१३-०	२-७-६	२-३-०	१-१५-६
०-४-३	०-१३-०	०-१०-३	२-१४-३	२-८-६	२-३-९	२-०-३
०-४-६	०-१३-९	०-१०-६	२-१५-३	२-९-६	२-४-९	२-१-०
०-४-९	०-१४-९	०-१०-९	३-०-६	२-१०-६	२-५-६	२-१-९
०-५-०	०-१५-६	०-११-०	३-१-९	२-११-६	२-६-६	२-२-९
०-५-३	१-०-३	०-११-३	३-२-९	२-१२-६	२-७-३	२-३-६
०-५-६	१-१-०	०-११-६	३-४-०	२-१३-६	२-८-३	२-४-३
०-५-९	१-१-९	०-११-९	३-५-०	२-१४-६	२-९-३	२-५-०
०-६-०	१-२-९	०-१२-०	३-६-३	२-१५-६	२-१०-०	२-५-९

४. यह तालिका बढाना हो तो चढाने के खर्च में अेक-अेक पैसा बढाते जाअिये और अेक रुपये के अंदर जितनी रकम है अुसमें क्रमशः अेक-अेक रुपया बढाअिये।

परोपकारी तथा सहकारी संस्थाओं का विधान

चरखा संघ के प्रस्ताव के अनुसार खादी अुत्पत्ति-विक्री का प्रमाणपत्र केवल सार्वजनिक परोपकारी संस्थाओं तथा सहकारी संस्थाओं को ही दिया जा सकता है। कअी जगह सार्वजनिक कार्यकर्ता अैसी संस्थाओं को बनाने का अुत्साह रखते हैं। अुनकी ओर से अैसी संस्थाओं के विधान के बारे में चरखा संघ के दफ्तर से पूछताछ होती रहती है। सहकारी संस्थाओं को अपना विधान सरकार के सहकारी महकमे के मसविदे के अनुसार बनाना पड़ता है। सरकार के मसविदे में प्रान्त-प्रान्त में कहीं-कहीं थोडा फर्क है। अनुभव यह है कि स्थानिक रजिस्ट्रार सरकारी विधान के अनुसार सहकारी संस्था के विधान की शब्दरचना हो अैसा आग्रह रखते हैं। वास्तव में अैसा नहीं होना चाहिये। लेकिन हर जगह अुसके लिये झगडते रहना संभव और अिष्ट भी नहीं होता। अिसलिये सहकारी संस्थाओं के विधान की अन्य बातों की ओर हम विशेष ध्यान नहीं देंगे। केवल दो बातों का आग्रह हम रखते हैं। चरखा संघ प्रमाणपत्र देते वक्त ये दो बातें ही देखेगा। -

(१) कार्यकारी मंडल के चुनाव के संबंध में,

(२) मुनाफे के बटवारे के संबंध में।

कार्यकारी मंडल के चुनाव के संबंध में हमारा आग्रह है कि अुसका हरअेक पदाधिकारी और सदस्य आदतन खादीधारी हो तथा मिल कपड़े तथा मिल सूत के व्यापार से अुसका प्रत्यक्ष संबंध न हो। अिसलिये कार्यकारी मंडल के चुनाव के नियमों में यह शर्त शामिल की जानी चाहिये।

मुनाफा करने को प्रोत्साहन बिलकुल नहीं देना है। फिर भी बचत रह जाय तो अुस पर खादी कामगारों का ही हक माना जाय। वह हक सामुदायिक रहेगा, व्यक्तिगत नहीं। अिसलिये मुनाफे की सारी रकम वास्तव में कामगार सेवा कोष में जमा की जानी चाहिये और संघ के सुझावों के अनुसार संघ की अनुमति से कामगारों के संमिलित हित में खर्च होनी चाहिये। सरकारी नियमों के अनुसार अैसा नहीं किया जा सकता, अिसलिये हम नीचे लिखा मार्ग सुझाते हैं।

(अ) किसी भी परिस्थिति में डिविडंड की रकम ९ प्रतिशत से अधिक न हो।

(आ) रिझर्व में सरकारी नियमों के अनुसार २५ प्रतिशत और बोनस के लिये सिर्फ १५ प्रतिशत रखकर बाकी ६० प्रतिशत मुनाफा चरखा संघ के कामगार सेवा कोष के नियमों के अनुसार खर्च हो।

मसविदा

१. संस्था का नाम :— ग्राम सेवा मंडल,

२. संस्था के अुद्देश्य :—

(क) समग्र ग्राम सेवा

(ख) खादी तथा अन्य ग्रामोद्योग, बुनियादी शिक्षा, गो-सेवा, खेती-सुधार, गो-पालन, स्वास्थ्य-सुधार, अस्पृश्यता निवारण आदि रचनात्मक कामों द्वारा देहाती जनता की सेवा करना।

(ग) देहात में परस्पर सहयोग और आर्थिक स्वावलंबन का जीवन सिद्ध करने का प्रयत्न करना।

(घ) देहात की आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, अेवं सर्वांगीण अुन्नति करना।

(च) अूपर लिखे अुद्देश्य सिद्ध करने के लिये जो काम करना जरूरी हो वह सब करना। अुसके लिये पैसा अिकट्ठा करना, स्थावर जंगम जायदाद बनाना और आवश्यकता होने पर फ़रोख्त करना।

३. संस्था का कार्यक्षेत्र :—

ग्राम सेवा मंडल के नियम :—

१. मंडल का दफ्तर........में रहेगा; अथवा अैसी जगह कि जो मंडल समय पर निश्चित करे।

२. मंडल के सदस्य नीचे मुताबिक होंगे।

(क) सदस्यों के नाम तथा पता—

(ख) अैसे भी व्यक्ति कि जो संपूर्ण आदतन खादीधारी होकर नियमपूर्वक हर मास साढ़े सात गुन्डी कातते हैं और जो मंडल की सभा में अुपस्थित और

मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाअी मत से सदस्य बनाये जायँ, बशर्ते कि सब सदस्यों की संख्या १५ से अधिक न हो।

३. (क) अिस्तीफा अथवा दूसरे किसी कारण से सदस्य का स्थान रिक्त होने पर वह बाकी सदस्यों द्वारा भरा जायगा।

(ख) मंडल को अधिकार होगा कि वह यदि कोअी सदस्य दुर्व्यवहार करे अथवा मंडल के हितों को या अुद्देश्यों को हानि पहुँचाने लायक काम करे तो अुसे मंडल के सदस्यों के कम से कम $\frac{3}{5}$ बहुमत से हटा दे। अिस बात में मंडल का निर्णय आखिरी माना जायगा, और मंडल सदस्य को हटाने के कारण बतलाने को बाध्य नहीं रहेगा।

४. (क) मंडल के कारोबार का नियंत्रण, मार्ग-दर्शन और प्रबन्ध का अधिकार मंडल की प्रबन्ध समिति के हाथ में रहेगा, और मंडल का सारा कारोबार अुसके द्वारा चलाया जायेगा। अुसमें मंडल समय-समय पर नियत करेगा अुतने सभासद होंगे, जनकी संख्या पदाधिकारियों के सहित छः से कम और नौ से अधिक न हो। यदि मंडल अैसी कोअी अलग प्रबन्ध समिति बनाने का निश्चय न करे तो मंडल के सारे सदस्य अर्थात् मंडल ही प्रबन्ध समिति समझा जायगा।

(ख) जब प्रबन्ध समिति और मंडल समान नहीं है अर्थात् प्रबन्ध समिति अलग बनाअी गअी है, तब प्रबन्ध समिति के अेकतिहाअी सदस्य हर साल निवृत्त होंगे और अिस कारण से रिक्त हुअे स्थान, बाकी रहे सदस्य निर्वाचन करके भरेंगे। निवृत्त हुअे सदस्य फिर से निर्वाचित होने के पात्र समझे जायेंगे। यदि अन्य रीति से अेक राय न हो तो कौन-कौन सदस्य कब निवृत्त हो अिसका पहिली दफा फैसला चिट्ठी डाल कर लिया जाय।

५. मंडल के पदाधिकारी—

१. अध्यक्ष........

२. मंत्री............

३. कोषाध्यक्ष............रहेंगे।

अिनके अलावा अेक अुपाध्यक्ष, अेक सहायक मंत्री और विभाग मंत्री भी रह सकेंगे।

६. मंडल की प्रबन्ध समिति को अधिकार होगा कि वह अपने कामों में से कोअी भी काम अुसको अुचित मालूम हो अैसे अपने सदस्यों तथा बाहर की व्यक्तियों की अुपसमितियाँ बना कर अुनको सौंपे अथवा पदाधिकारियों को, और व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को भी सौंपे। अैसी अुपसमिति को अथवा पदाधिकारी को अथवा सदस्य को अुनका सौंपा हुआ काम करने में प्रबन्ध समिति समय-समय पर जो हिदायतें देगी अुनका पालन करना होगा।

७. प्रबंध समिति को अधिकार होगा कि वह अुपनियम बना सकें जो कि मंडल के नियमों के जितने ही बंधनकारक होंगे। परंतु वे अुपनियम मंडल के चालू नियमों के विरोधी न होने चाहिये।

८. मंडल का अध्यक्ष अुनकी प्रबंध समिति की सभाओं में तथा अैसी अुपसमिति की सभाओं में कि जिसका वह सभासद हो, सभापतित्व करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यदि अुपाध्यक्ष हो तो अुपाध्यक्ष सभापतित्व करेगा। अध्यक्ष या अुपाध्यक्ष कोअी भी अुपस्थित न हो तो सभाओं में अुपस्थित सदस्य अुस सभा के लिअे अपने सदस्यों में से किसी को सभापति चुन लेंगे और अुसका अधिकार अुस सभा के लिये अध्यक्ष के समान ही होगा।

९. मंडल का वर्ष १ जुलाअी से ३० जून तक का रहेगा।

१०. वार्षिक सभा—

हर वर्ष मंडल की अेक साधारण वार्षिक सभा होगी, जिसमें नीचे लिखे काम किये जायँगे :—

(क) विगत वर्ष के मंडल के कारोबार का कार्य-विवरण पेश होना और अुसका विचार करना।

(ख) विगत वर्ष के आडिट किये हुअे हिसाब और आंकड़ों का विचार करना और वह पास करना।

(ग) मंडल के नियमों के अनुसार आवश्यकता हो तब पदाधिकारी तथा प्रबंध समिति के अन्य सदस्यों का चुनाव करना।

(घ) बजट मंजूर करना। और

(च) अध्यक्ष, अथवा मंत्री, अथवा अध्यक्ष की सम्मति से अन्य कोअी सदस्य जो विषय सभा में अुपस्थित करे अुसका विचार करना।

११. विशेष सभा—

जब-जब जरूरत हो तब अथवा मंडल के अेक-तिहाअी सदस्यों की माँग आने पर मंडल की विशेष साधारण सभाअें हो सकेंगी।

१२. प्रबंध समिति की सभाअें—

अध्यक्ष के आदेश से अथवा अुसकी सम्मति से मंत्री भी जब जब आवश्यकता हो तब अथवा प्रबंध समिति के अेक-तिहाअी-सदस्यों की माँग आने पर मंडल की प्रबन्ध समिति की सभाअें बुलायेगा।

१३. सभाओं का समय और स्थान—

साधारण वार्षिक सभा का तथा साधारण विशेष सभा का तथा प्रबन्ध समिति की सभाओं का समय और स्थान यदि प्रबंध समिति ने अन्य कोअी निश्चय न किया हो तो मंत्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निश्चित करेगा।

१४. सभासदों द्वारा सभा के लिये मांग—

मंडल की तथा प्रबन्ध समिति की सभा की सदस्यों द्वारा मांग लेखी तथा मांग करने वाले सदस्यों की सही से होनी चाहिये। और सभा कराने के अुद्देश्य भी अुसमें लिखे होने चाहिये। मांग पहुँचने पर अेक महीने के भीतर यदि मंत्री सभा न बुवावे तो मांग करने वालों को अधिकार होगा कि वे मंत्री को मांग मिलने के दो महीने के अन्दर जहाँ मंडल का मुख्य दफ्तर होगा वहाँ सभा बुला सके।

१५. कानून में अथवा मंडल के नियमों में कोअी अन्य व्यवस्था न हो तो मंडल के सामने आने वाले सब विषयों का निर्णय बहुमत से होगा। समान मत होने पर सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार रहेगा। कोरम पूरा न होने के कारण स्थगित रखी गअी सभाओं को छोड़ कर अन्य सभाओं में कोरम $\frac{२}{५}$ सदस्यों का होगा।

१६. मंडल की रकम प्रबन्ध समिति समय-समय पर निश्चित करेगी अुसके अनुसार बैंक में अथवा अन्य जगह रखी जायगी।

१७. मंडल की सब जायदाद स्थावर जंगम की मालिकी मंडल की अुस समय की प्रबन्ध समिति में रहेगी। मंडल की तरफ़ से सारे दस्तावेज मंत्री अथवा प्रबन्ध समिति जिस व्यक्ति को अधिकार देगी वह कर सकेंगे या लिख दे सकेंगे।